बहारे शरीअ़त

अ़क़ाइद
त़हारत
नमाज़
रोज़ा
ज़कात
ह़ज
निकाह़
त़लाक़
खुला
वक़्फ़

1 ता 10

मुसन्निफ़
स़दरूश्शरीआ़ मौलाना
अमजद अ़ली आ़ज़मी
अलैहिर्रह़मा

अनुवादक
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी
बरेलवी

क़ादरी दारूल इशाअत

तमाम भाईयो को सलाम किताबे

स्केन करके पीडिएफ में आप

तक पहुँचाने के लिए इस

फक़ीर को अपनी दुआओ मे

खास तौर पर याद रखे।

दुआओ का तालीब

सग ए रज़ा लाला ख़ान

बहारे शरीअ़त

सातवाँ हिस़्स़ा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त

मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली—53
Mob:—9312106346

नाम किताब — बहारे शरीअ़त (सातवाँ हिस्सा)

मुसन्निफ़ — सदरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह

हिन्दी तर्जमा — मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

कम्प्यूटर कम्पोज़िंग — मौलाना मुहम्मद शफ़ीक़ुल हक़ रज़वी

क़ीमत जिल्द अव्वल — 500/

तादाद — 1000

इशाअ़त — 2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलक़ुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6 क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
7 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

निकाह का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है :–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

"निकाह करो जो तुम्हें खुश आयें औरतों से दो दो और तीन–तीन और चार–चार और अगर यह ख़ौफ़ हो कि इन्साफ़ न कर सकोगे तो एक से" और फ़रमाता है :–

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

"अपने यहाँ की बे शौहर वाली औरतों का निकाह करो और अपने नेक ग़ुलामों और बाँधियों का अगर वह मोहताज हों तो अल्लाह अपने फ़ज़्ल के सबब उन्हें ग़नी कर देगा और अल्लाह वुसअ़त वाला इल्म वाला है और चाहिए कि पारसाई करें वह कि निकाह का मक़दूर (ताक़त)नहीं रखते यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़्ल से उन्हें मक़दूर वाला कर दे।"

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ जवानो तुम में जो कोई निकाह की इस्तिताअ़त रखता है वह निकाह करे कि यह अजनबी औरत की तरफ़ नज़र करने से निगाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की हिफ़ाज़त करने वाला है और जिस में निकाह की इस्तिताअ़त नहीं वह रोज़ा रखे कि रोज़ा क़ातेअ़ शहवत है।

हदीस न.2 :– इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो ख़ुदा से पाक व साफ़ हो कर मिलना चाहे वह आज़ाद औरतों से निकाह करे।

हदीस न.3 :– बैहक़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मेरे तरीक़ा को महबूब रखे वह मेरी सुन्नत पर चले और मेरी सुन्नत से निकाह है।

हदीस न.4 :– मुस्लिम व नसाई अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया दुनिया मताअ़ है और दुनिया की बेहतर मताअ़(माल व दौलत) नेक औ़रत है।

हदीस न.5 :– इब्ने माजा में अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते थे तक़वे के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं अगर उसे हुक्म करता है तो वह इताअ़त करती है और उसे देखे तो ख़ुश कर दे और उस पर क़सम खा बैठे तो क़सम सच्ची कर दे और कहीं को चला जाये तो अपने नफ़्स और शौहर के माल में भलाई करे (ख़ियानत व ज़ाए न करे)

हदीस न.6 :– तबरानी कबीर व औसत में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसे चार चीज़े मिलीं उसे दुनिया व आख़िरत की भलाई मिली 1. दिल शुक्र गुज़ार 2. ज़बान यादे ख़ुदा करने वाली और 3. बदन बला

पर साबिर और 4. ऐसी बीवी कि अपने नफ़्स और माले शौहर में गुनाह की जोयाँ न हो।

हदीस न.7 :– इमाम अहमद व बज़्ज़ार व हाकिम सअ्द इब्ने अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन चीज़ें आदमी के नेकबख़्ती से हैं और तीन चीज़ें बद बख़्ती से नेकबख़्ती की चीजों में नेक औरत और अच्छा मकान(यानी लम्बा चौड़ा या उस के पड़ोसी अच्छे हों)और अच्छी सवारी और बदबख़्ती की चीज़ें बद औरत, बुरा मकान, बुरी सवारी।

हदीस न.8 :– तबरानी व हाकिम अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जिसे अल्लाह ने नेक बीवी नसीब की उस के निस्फ़ दीन पर इआनत(मदद)फ़रमाई तो निस्फ़ बाक़ी में अल्लाह से डरे।(तक़्वा व परहेज़गारी करे)

हदीस न.9 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसाई व इब्ने माजा अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरत से निकाह चार बातों की वजह से किया जाता है (निकाह में उनका लिहाज़ होता है) 1.माल व 2.हसब 3.व जमाल व 4.दीन और तू दीन वाली को तरजीह दे.

हदीस न.10 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा हब्बान व हाकिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया तीन शख़्सों की अल्लाह तआला मदद फ़रमायेगा 1. अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला और 2. मकातिब के अदा करने का इरादा रखता है और 3. पारसाई के इरादे से निकाह करने वाला।

हदीस न.11 :– अबू दाऊद व निसाई व हाकिम मअ्क़ुल इब्ने यसार रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने इज़्ज़त व मनसब व माल वाली एक औरत पाई मगर उस के बच्चा नहीं होता क्या मैं उस से निकाह कर लूँ हुज़ूर ने मनअ् फ़रमाया फिर दो बारा हाज़िर हो कर अर्ज़ की हुज़ूर ने मनअ् फ़रमाया तीसरी मरतबा हाज़िर हो कर फिर अर्ज़ की इरशाद फ़रमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो महब्बत करने वाली बच्चा जन्ने वाली हो कि मैं तुम्हारे साथ और उम्मतों पर कसरत ज़ाहिर करने वाला हूँ

हदीस न.12 :– इब्ने अबी हातिम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी उन्होंने फ़रमाया कि अल्लाह ने जो तुम्हें निकाह का हुक्म फ़रमाया तुम उस की इताअत करो। उस ने जो ग़नी करने का वअ्दा किया है पूरा फ़रमायेगा अल्लाह तआला ने फ़रमाया अगर वह फ़क़ीर होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़्ल से ग़नी कर देगा।

हदीस न.13 :– अबू यअ्ला जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं जब तुम में कोई निकाह करता है तो शैतान कहता है हाए! अफ़सोस इब्ने आदम ने मुझ से अपना दो तिहाई दीन बचा लिया।

हदीस न.14 :– एक रिवायत में है कि फ़रमाते हैं जो इतना माल रखता है कि निकाह कर ले फिर निकाह न करे वह हम में से नहीं

मसाइले फ़िक़्हिय्या

निकाह उस अक़्द को कहते हैं जो इस लिए मुक़र्रर किया गया कि मर्द को औरत से जिमाअ् वग़ैरा हलाल हो जाये।

मसअ्ला :– ख़ुन्सा मुश्किल यानी जिस में मर्द व औरत दोनों की अलामतें पाई जायें और यह साबित न हो कि मर्द है या औरत उस से न मर्द का निकाह हो सकता है न औरत का अगर किया गया तो बातिल है हाँ बादे निकाह अगर उस का औरत होना मुतअ्य्यन हो जाये और निकाह मर्द से हुआ है तो सहीह है यूँ ही अगर औरत से हुआ और उस का मर्द होना क़रार पागया ख़ुन्सा मुश्किल का निकाह ख़ुन्सा मुश्किल से भी नहीं हो सकता मगर उसी सूरत में कि एक का मर्द होना दूसरे का औरत होना मुतहक़्क़ हो जाये (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मर्द का परी से या औरत का जिन से निकाह नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार जिल्द 2 सफ़ा 281)

मसअ्ला :– यह जो अवाम में मशहूर है कि बन मानुस आदमी की शक्ल का एक जानवर होता है अगर वाक़ेई है तो उस से भी निकाह नहीं हो सकता कि वह इन्सान नहीं जैसे पानी का इन्सान कि देखने से बिल्कुल इन्सान मालूम होता है और हक़ीकतन वह इन्सान नहीं।

मसअ्ला :– एअ्तिदाल की हालत में यानी न शहवत का बहुत ज़ियादा ग़लबा हो न इन्नीन (नामर्द)हो और महर व नफ़्क़ा पर क़ुदरत भी हो तो निकाह सुन्नतें मुअक्कदा है कि निकाह न करने पर अड़ा रहना गुनाह है और अगर हराम से बचा या इत्तिबाअे सुन्नत व तअ्मीले हुक्म या औलाद हासिल होना मक़सूद है तो सवाब भी पायेगा और अगर महज़ लज़्ज़त या क़ज़ाए शहवत मन्ज़ूर हो तो सवाब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शहवत का ग़लबा है कि निकाह न करे तो मआज़ल्लाह अन्देशा–ए–ज़िना है और महर व नफ़्क़ा की क़ुदरत रखता हो तो निकाह वाजिब यूँहीं जब कि अजनबी औरत की तरफ़ निगाह उठने से रोक नहीं सकता या मआज़ल्लाह हाथ से काम लेना पड़ेगा तो निकाह वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– या यक़ीन हो कि निकाह न करने में ज़िना वाक़ेअ् हो जायेगा तो फ़र्ज़ है कि निकाह करे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर यह अन्देशा है कि निकाह करेगा तो नान नफ़्क़ा न देसकेगा या जो ज़रूरी बातें हैं उन को पूरा न कर सकेगा तो मकरूह है और इन बातों का यक़ीन हो तो निकाह करना हराम मगर निकाह बहर हाल होजायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– निकाह और उस के हुक़ूक़ अदा करने में और औलाद की तरबियत में मशग़ूल रहना नवाफ़िल में मशग़ूली से बेहतर है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– निकाह में यह उमूर मुस्तहब हैं 1.अलानीया होना 2. निकाह से पहले ख़ुत्बा पढ़ना कोई सा ख़ुतबा हो और बेहतर वह है जो हदीस[1] में वारिद हुआ 3. मस्जिद में होना 4. जुमा के दिन

---

[1] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ، يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ، يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ١٢٥

गवाहाने आदिल के सामने, औरत उम्र हस्ब माल इज़्ज़त में मर्द से कम हो और चाल चलन 7.और अख़लाक़ व तक़वा व जमाल में बेश हो (दुर्रे मुख़्तार)हदीस में है जो किसी औरत से बवजह उस की इज़्ज़त के निकाह करे अल्लाह उस की ज़िल्लत में ज़्यादती करेगा और जो किसी औरत से उस के माल के सबब निकाह करेगा अल्लाह तआला उसकी मुहताजी ही बढ़ायेगा और जो उस के हस्ब के सबब निकाह करेगा तो उस के कमीना पन में ज़यादती फ़रमायेगा और जो इस लिए निकाह करे कि इधर उधर निगाह न उठे और पाक दामनी हासिल हो या सिला रहम करे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उस मर्द के लिए उस औरत में बरकत देगा और औरत के लिए मर्द में رواه الطبرانی عن انس رضی اللّٰه تعالیٰ عنه کذا فی الفتح (रद्दुल मुहतार स 284)

मसअला :– 8.जिस से निकाह करना हो उसे किसी मोअ्तबर औरत को भेज कर दिखवा ले और आदत व अतवार व सलीक़ा वग़ैरा की ख़ूब जाँच कर ले कि आइन्दा ख़राबियाँ न पड़ें 9.कुंवारी औरत से और जिस से औलाद ज़्यादा होने की उम्मीद हो निकाह करना बेहतर है सिन रसीदह (उम्र दराज़) और बद खुल्क़ और ज़ानिया से निकाह न करना बेहतर (रद्दुल मुहतार स 284)

मसअला :– 10.औरत को चाहिए कि मर्द दीनदार खुश खुल्क़ मालदार सख़ी से निकाह करे फ़ासिक़ बदकार से नहीं और 11.यह भी न चाहिए कि कोई अपनी जवान लड़की का बूढ़े से निकाह करदे (रद्दुल मुहतार स 284)

मसअला :– यह मुस्तहब्बाते निकाह बयान हुए अगर उस के ख़िलाफ़ निकाह होगा जब भी हो जायेगा

मसअला :– ईजाब व क़बूल यानी मसलन एक कहे मैंने अपने को तेरी ज़ौजियत में दिया दूसरा कहे मैंने क़बूल किया यह निकाह के रुक्न हैं पहले जो कहे वह ईजाब है और उस के जवाब में दूसरे के अल्फ़ाज़ को क़बूल कहते हैं यह कुछ ज़रूरी नहीं कि औरत की तरफ़ से ईजाब हो और मर्द की तरफ़ से क़बूल बल्कि उस का उल्टा भी हो सकता है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार स 285)

ईजाब व क़बूल

मसअला :– ईजाब व क़बूल में माज़ी का लफ़्ज़ होना ज़रूरी है मसलन यूँ कहे कि मैं ने अपना या अपनी लड़की या अपनी मुवक्किला का तुझ से निकाह किया या उन को तेरे निकाह में दिया वह कहे मैंने अपने लिए या अपने बेटे या मुअक्किल के लिए क़बूल किया या एक तरफ़ से अम्र का सेग़ा हो दूसरी तरफ़ से माज़ी का मसलन यूँ कि तू मुझ से अपना निकाह कर दे या तू मेरी औरत हो जा उस ने कहा मैंने क़बूल किया या ज़ौजियत में दिया हो जायेगा या एक तरफ़ से हाल का सेग़ा हो दूसरी तरफ़ से माज़ी का मसलन कहे तू मुझ से अपना निकाह करती है उस ने कहा किया तो हो गया या यूँ कि मैं तुझ से निकाह करता हूँ उस ने कहा मैंने क़बूल किया तो होजायेगा इन दोनों सूरतों में पहले शख़्स को उस की ज़रूरत नहीं कि कहे मैंने क़बूल किया और अगर कहा तूने अपनी लड़की का मुझ से निकाह कर दिया उस ने कहा कर दिया या कहा हाँ तो जब तक पहला शख़्स यह न कहे कि मैं ने क़बूल किया निकाह न होगा और उन लफ़्ज़ों से कि निकाह करूँगा या क़बूल करूँगा निकाह नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी वग़ैरा स 285)

मसअला :– बाज़ ऐसी सूरतें भी हैं जिन में एक ही लफ़्ज़ से निकाह हो जायेगा मसलन चचा की

नाबालिग़ा लड़की से निकाह करना चाहता है और वली यहीं है तो दो गवाहों के सामने इतना कह देना काफ़ी है कि मैं ने उस से अपना निकाह किया या लड़का लड़की दोनों नाबालिग़ा हैं और एक ही शख़्स दोनों का वली है या मर्द व औरत दोनों ने एक शख़्स को वकील किया उस वली या वकील ने यह कहा कि मैं ने फ़ुलाँ का फ़ुलानी के साथ निकाह कर दिया हो गया इन सब सूरतों में क़बूल की कुछ हाजत नहीं।(जौहरा नय्यरा)

मसअला :– दोनों मौजूद हैं एक ने एक पर्चा पर लिखा मैं ने तुझ से निकाह किया दूसरे ने भी लिख कर दिया या ज़बान से कहा मैं ने क़बूल किया निकाह न हुआ और अगर एक मौजूद है दूसरा ग़ाइब उस ग़ाइब ने लिख भेजा उस मौजूद ने गवाहों के सामने पढ़ा या कहा फ़लाँ ने ऐसा लिखा मैंने अपना निकाह उस से किया तो होगया और अगर उस का लिखा हुआ न सुनाया न बताया फ़क़त इतना कह दिया कि मैंने उस से अपना निकाह कर दिया तो न हुआ हाँ अगर उस में अम्र का लफ़्ज़ था मसलन तू मुझ से निकाह कर तो गवाहों को ख़त सुनाने या मज़मून बताने की हाजत नहीं। और अगर उस मौजूद ने उस के ज़वाब में ज़बान से कुछ न कहा बल्कि वह अल्फ़ाज़ लिख दिये जब भी न हुआ (रद्दुल मुहतार स 288)

मसअला :– औरत ने मर्द से ईजाब के अल्फ़ाज़ कहे मर्द ने उस के जवाब में क़बूल के लफ़्ज़ न कहे और महर के रुपये देदिये तो निकाह न हुआ। (रद्दुल मुहतार 287)

मसअला :– यह इक़रार कि यह मेरी औरत है निकाह नहीं यानी अगर पेश्तर से निकाह न हुआ था तो फ़क़त यह इक़रारे निकाह क़रार न पायेगा अल्बत्ता क़ाज़ी के सामने दोनों ऐसा इक़रार करें तो वह हुक्म दे देगा कि यह मियाँ बीवी हैं। और अगर गवाहों के सामने इक़रार किया गवाहों ने कहा तुम दोनों ने निकाह किया कहा हाँ तो होगया (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार स 287)

मसअला :– निकाह की इज़ाफ़त कुल की तरफ़ हो या ऐसे अज़ू की तरफ़ जिसे बोल कर कुल मुराद लेते हैं मसलन सर व गर्दन तो अगर यह कहा कि निस्फ़ से निकाह किया न हुआ(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– अल्फ़ाज़े निकाह दो क़िस्म के हैं एक सरीह यह सिर्फ़ दो लफ़्ज़ हैं निकाह व तज़व्वुज बाक़ी किनाया हैं अलफ़ाज़े किनाया में उन लफ़्ज़ों से निकाह हो सकता है जिस से खुद शय (चीज़)मिल्क में आजाती है मसलन हिबा, तमलीक,सदक़ा अत्या,बैअ् शरा(कोई चीज़ देदेना, मालिक बनादेना, अता करना, ख़रीदने बेचने)मगर उन में क़रीना की ज़रूरत है कि गवाह उसे निकाह समझें।(दुर्रे मुख़्तार स290 आलमगीरी स 270)

मसअला :– एक ने दूसरे से कहा मैंने अपनी यह लौन्डी तुझे हिबा की तो अगर यह पता चलता है कि निकाह है मसलन गवाहों को बुला कर उन के सामने कहना और महर का ज़िक्र वग़ैरा तो यह निकाह होगया और अगर क़रीना न हो मगर वह कहता है मैंने निकाह मुराद लिया था और जिसे हिबा की वह उस की तस्दीक़ करता है जब भी निकाह है और अगर वह तस्दीक़ न करे तो हिबा क़रार दिया जायेगा और आज़ाद औरत की निस्बत यह अल्फ़ाज़ कहे तो निकाह ही है क़रीना की हाजत नहीं मगर जब ऐसा क़रीना पाया जाये जिस से मअ्लूम होता है कि निकाह नहीं तो नहीं, मसलन मआज़ल्लला किसी औरत से ज़ना की दरख़्वास्त की उस ने कहा मैंने अपने को तुझे हिबा कर दिया उस ने कहा क़बूल किया तो निकाह न हुआ या लड़की के बाप ने कहा यह लड़की

ख़िदमत के लिए मैं ने तुझे हिबा कर दी उस ने कबूल किया तो यह निकाह नहीं मगर जबकि उस लफ़्ज़ से निकाह मुराद लिया तो हो जायेगा (आलमगीरी सफ़ा 270 रद्दुल मुहतार सफ़ा 291)

मसअला :– औरत से कहा तू मेरी हो गई उस ने कहा हाँ मैं तेरी हो गई या औरत से कहा इ एवज़ इतने के तू मेरी औरत हो जा उस ने कबूल किया या औरत ने मर्द से कहा मैं ने तुझ से अपनी शादी की मर्द ने कबूल किया मर्द ने औरत से कहा तूने अपने को मेरी औरत किया उस ने कहा किया तो इन सब सूरतों में निकाह हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअला :– जिस औरत को बाइन तलाक़ दी है उस ने गवाहों के सामने कहा मैं ने अपने को तेरी तरफ़ वापस किया मर्द ने कबूल किया निकाह हो गया (आलमगीरी सफ़ा 271)अजनबी औरत अगर यह लफ़्ज़ कहे तो न होगा।

मसअला :– किसी ने दूसरे से कहा अपनी लड़की का मुझ से निकाह कर दे उस ने कहा उसे उठा ले जा या तू जहाँ चाहे ले जा तो निकाह न हुआ। (आलमगीरी स 271)

मसअला :– एक शख़्स ने मंगनी का पैग़ाम किसी के पास भेजा उन पैग़ाम ले जाने वालों ने वहाँ जाकर कहा तूने अपनी लड़की हमें दी उस ने कहा दी निकाह न हुआ। (आलमगीरी सफ़ा 172)

मसअला :– लड़के के बाप ने गवाहों से कहा मैंने अपने लड़के का निकाह फ़लाँ की लड़की के साथ इतने महर पर कर दिया तुम गवाह हो जाओ फिर लड़की के बाप से कहा गया क्या ऐसा नहीं है उस ने कहा ऐसा ही है और उस के सिवा कुछ न कहा तो बेहतर यह है कि निकाह की तजदीद की जाये (आलमगीरी सफ़ा 271)

मसअला :– लड़के के बाप ने लड़की के बाप के पास पैग़ाम दिया उस ने कहा मैंने तो उसका निकाह फ़ुलाँ से कर दिया है उस ने कहा नहीं तो उस ने कहा अगर मैं ने उस से निकाह न किया हो तो तेरे बेटे से कर दिया उस ने कहा मैंने कबूल किया बअ्द को मालूम हुआ कि उस लड़की का निकाह किसी से नहीं हुआ था तो यह निकाह सहीह हो गया। (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने मर्द से कहा मैंने तुझ से अपना निकाह किया इस शर्त पर कि मुझे इख़्तियार है जब चाहूँ अपने को तलाक दे लूँ मर्द ने कबूल किया तो निकाह हो गया और औरत को इख़्तियार रहा जब चाहे अपने को तलाक़ दे ले।(आलमगीरी)

मसअला :– निकाह में ख़ियारे रुयत, ख़ियारे ऐब, ख़ियारे शर्त, मुतलक़न नहीं ख़्वाह मर्द को ख़ियार हो या औरत के लिए या दोनों के लिए तीन दिन का ख़ियार हो या कम या ज़ाइद का मसलन अन्धे लुन्झे अपाहिज न होने की शर्त लगाई या यह शर्त की कि ख़ुबसूरत हो और उस के ख़िलाफ़ निकला या मर्द ने शर्त लगाई कि कुंवारी हो और है उसके ख़िलाफ़ तो निकाह हो जायेगा और शर्त बातिल यूँही औरत ने शर्त लगाई कि मर्द शहरी हो निकला देहाती तो अगर कफ़ू है निकाह हो जायेगा और औरत को कुछ इख़्तियार नहीं या इस शर्त पर निकाह हुआ कि बाप को इख़्तियार है तो निकाह हो गया और उसे इख़्तियार नहीं। (आलमगीरी 377)

मसअला :– निकाह में महर का ज़िक हो तो ईजाब पूरा जब होगा कि महर भी ज़िक कर ले मसलन यह कहता था कि फ़ुलाँ औरत तेरे निकाह में दी बएवज़ हज़ार रुपये के और महर के ज़िक्र से पेश्तर उस ने कहा मैं ने कबूल की निकाह न हुआ कि अभी ईजाब पूरा न हुआ था और अगर

महर का ज़िक न होता तो हो जाता (दुर्रे मुख़्तार स 289 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी ने लड़की के बाप से कहा तेरे पास इस लिए आया कि तू अपनी लड़की का निकाह मुझ से कर दे उस ने कहा मैं ने उस को तेरे निकाह में दिया निकाह हो गया कबूल की भी हाजत नहीं बल्कि उसे अब यह इख़्तियार नहीं कि न कबूल करे। (रद्दुल मुहतार 287)

मसअला :– किसी ने कहा तूने लड़की मुझे दी उस ने कहा दी अगर निकाह की मज्लिस है तो निकाह है और मंगनी की है तो मंगनी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत को अपनी दुल्हन या बीवी कह कर पुकारा उस ने जवाब दिया तो उस से निकाह नहीं होता (रद्दुल मुहतार) निकाह के लिए चन्द शर्तें हैं 1. आक़िल होना मजनून या ना समझ बच्चा ने निकाह किया तो मुन्अकिद ही न हुआ। 2. बुलूग़, नाबालिग़ अगर समझवाला है तो मुन्अकिद हो जायेगा मगर वली की इजाज़त पर मौकूफ़ रहेगा 3. गवाह होना ईजाब व कबूल दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों के सामने हों गवाह आज़ाद आक़िल बालिग़ हो और सब ने एक साथ निकाह के अलफ़ाज़ सुने बच्चों ओर पागलों की गवाही से निकाह नहीं हो सकता न ग़ुलाम की गवाही से अगर्चे मुदब्बिर या मुकातिब (मुदब्बिर :– यह गुलाम जिसका आका के मरने के बाद आज़ाद होना साबितहै। मुकातिब :– ऐसा ग़ुलाम जिस से आका ने कह दिया हो कि इतना माल अदा कर दे तो तू आज़ाद है(कादरी) हो–मुसलमान औरत के साथ है तो गवाहों का मुसलमान होना भी शर्त है लिहाज़ा मुसलमान मर्द व औरत का निकाह काफ़िर की शहादत से नहीं हो सकता और अगर किताबिया से मुसलमान मर्द का निकाह हो तो उस निकाह के गवाह ज़िम्मी काफ़िर भी हो सकते हैं अगर्चे औरत के मज़हब के ख़िलाफ़ गवाहों का मज़हब हो मसलन औरत नसरानिया है और गवाह यहूदी या बिलअक्स यूँहीं अगर काफ़िर काफ़िरा का निकाह हो तो उस निकाह के गवाह काफ़िर भी हो सकते हैं अगर्चे दूसरे मज़हब के हों।

मसअला :– समझदार बच्चे या ग़ुलाम के सामने निकाह हुआ और मज्लिसे निकाह में वह लोग भी थे जो निकाह के गवाह हो सकते हैं फिर वह बच्चा बालिग़ हो कर या ग़ुलाम आज़ाद होने के बाद उस निकाह की गवाही दें कि हमारे सामने निकाह हुआ और उस वक़्त हमारे सिवा निकाह में और लोग भी मौजूद थे जिन की गवाही से निकाह हुआ तो उन की गवाही मान ली जायेगी(रद्दुल मुहतार स 296)

मसअला :– मुसलमान का निकाह ज़िम्मिया से हुआ और गवाह ज़िम्मी थे अब अगर मुसलमान ने निकाह से इन्कार कर दिया तो उन की गवाही से निकाह साबित न होगा (दुर्रे मुख़्तार स 297)

मसअला :– सिर्फ़ औरतों या ख़ुन्सा की गवाही से निकाह नही हो सकता जब तक उन में के दो के साथ एक मर्द न हो (ख़ानिया)

मसअला :– सोते हुओं के सामने ईजाब व कबूल हुआ तो निकाह न हुआ यूँही अगर दोनों गवाह बहरे हों कि उन्होंने अल्फ़ाज़े निकाह न सुने तो निकाह न हुआ (ख़ानिया)

मसअला :– एक गवाह सुनता है और एक बहरा बहरे ने नहीं सुना और उस सुनने वाले या किसी और ने चिल्ला कर उस के कान में कहा निकाह न हुआ जब तक दोनों गवाह एक साथ आक़ेदैन से न सुनें (ख़ानिया स 332)

मसअला :– एक गवाह ने सुना दूसरे ने नहीं फिर लफ़्ज़ का इआदा किया अब दूसरे ने सुना पहले

ने नहीं तो निकाह न हुआ (खानिया स 332)

मसअला :– गूँगे गवाह नहीं हो सकते कि जो गूँगा होता है बहरा भी होता है हाँ अगर गूँगा हो और बहरा न हो तो हो सकता है (हिन्दिया स 268)

मसअला :– आक़ेदैन गूँगे हों तो निकाह इशारे से होगा लिहाज़ा उस निकाह का गवाह गूँगा हो सकता है और बहरा भी (रदुल मुहतार 296)

मसअला :– गवाह दूसरे मुल्क के हैं कि यहाँ की ज़बान नहीं समझते तो अगर यह समझ रहे है कि निकाह हो रहा है और अल्फ़ाज़ भी सुने और समझे यानी वह अल्फ़ाज़ ज़बान से अदा कर सकते है अगर्चे उन के मअ्ना नहीं समझते निकाह हो गया (खानिया स 268 आलमगीरी स 268 रदुल मुहतार 296)

मसअला :– निकाह के गवाह फ़ासिक़ हों या अन्धे या उन पर तोहमत की हद लगाई गई हो तो उन की गवाही से निकाह मुनअक़िद हो जायेगा मगर आक़ेदैन में से अगर कोई इन्कार कर बैठे तो उन की शहादत से निकाह साबित न होगा (दुर्रे मुख़्तार स 396 रदुल मुहतार 397)

मसअल :– औरत या मर्द दोनों के बेटे गवाह हुए निकाह हो जायेगा मगर मियाँ बीवी में से अगर किसी ने निकाह से इन्कार कर दिया तो उन लड़कों की गवाही अपने बाप या माँ के हक़ में मुफ़ीद नहीं मसलन मर्द के बेटे गवाह थे और औरत निकाह से इन्कार करती है अब शौहर ने अपने बेटों को गवाही के लिए पेश किया तो उन की गवाही अपने बाप के लिए नहीं मानी जायेगी और अगर वह दोनों गवाह दोनों के बेटे हों या एक एक का दूसरा दूसरे का तो उन की गवाही किसी के लिए नहीं मानी जायेगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– किसी ने अपनी बालिग़ा लड़की का निकाह उस की इजाज़त से कर दिया और अपने बेटों को गवाह बनाया अब लड़की कहती है कि मैंने इज़्न नही दिया और उस का बाप कहता है दिया तो लड़कों की गवाही कि इज़्न दिया था मक़बूल नहीं। (खानिया)

मसअला :– एक शख़्स ने किसी से कहा कि मेरी नाबालिग़ा लड़की का निकाह फ़ुलाँ से कर दे उस ने एक गवाह के सामने कर दिया तो अगर लड़की का बाप वक़्ते निकाह मौजूद था निकाह हो गया कि वह दोनों गवाह हो जायेंगे और बाप आक़िद, और मौजूद न था तो न हुआ यूँही अगर बालिग़ा का निकाह उस की इजाज़त से बाप ने एक शख़्स के सामने पढ़ाया अगर लड़की वक़्ते अक़्द मौजूद थी हो गया वरना नहीं यूँही अगर औरत ने किसी को अपने निकाह का वकील किया उसने एक शख़्स के सामने पढ़ा दिया तो अगर मुअक्किला मौजूद है हो गया वरना नहीं ख़ुलासा यह कि मुअक्किल अगर बवक़्ते अक़्द मौजूद है तो अगर्चे वकील अक़्द कर रहा है मगर मुअक्किल आक़िद क़रार पायेगा और वकील गवाह मगर यह ज़रूर है कि गवाही देते वक़्त अगर वकील ने कहा मैं ने पढ़ाया है तो शहादत ना मक़बूल है कि यह ख़ुद अपने फ़ेअ्ल की शहादत हुई(दुर्रे मुख़्तार स 297)

मसअला :– मौला ने अपनी बाँदी या गुलाम का एक शख़्स के सामने निकाह किया तो अगर्चे वह मौजूद हो निकाह न हुआ और अगर उसे निकाह की इजाज़त दे दी फ़िर उस की मौजूदगी में एक शख़्स के सामने निकाह किया तो हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार स 298)

मसअला :– गवाहों का ईजाब व क़बूल के वक़्त होना शर्त है लिहाज़ा अगर निकाह इजाज़त पर मौक़ूफ़ है और ईजाब व क़बूल गवाहों के सामने हुए और इजाज़त के वक़्त न थे होगया और उस

का अक्स हुआ तो नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– गवाह उसी को नहीं कहते जो दो शख़्स मज्लिसे अक़्द में मुक़र्रर कर लिए जाते हैं बल्कि वह तमाम हाज़िरीन गवाह हैं जिन्होंने ईजाब व क़बूल सुना अगर क़ाबिले शहादत हों।

मसअला :– एक घर में निकाह हुआ और यहाँ गवाह नहीं दूसरे मकान में कुछ लोग हैं जिन को उन्होंने गवाह नहीं बनाया मगर वह वहाँ से सुन रहे हैं अगर वह लोग उन्हें देख भी रहे हों तो उन की गवाही मक़बूल है वरना नहीं। (आलमगीरी स 266)

मसअला :– औरत से इज़्न लेते वक़्त गवाहों की ज़रूरत नहीं यानी उस वक़्त अगर गवाह न भी हों और निकाह पढ़ाते वक़्त हों तो निकाह हो गया अल्बत्ता इज़्न के लिए गवाहों की यूँ हाजत है कि अगर उस ने इन्कार कर दिया और यह कहा कि मैंने इज़्न नहीं दिया था तो अब गवाहों से उस का इज़्न देना साबित किया जायेगा (आलमगीरी स 269 रदुल मुहतार स 295 वग़ैराहुमा)

मसअला :– जो तमाम हिन्दुस्तान में आम तौर पर रिवाज हो गया है कि औरत से एक शख़्स इज़्न ले कर आता है जिसे वकील कहते हैं वह निकाह पढ़ाने वाले से कह देता है मैं फ़ुलाँ का वकील हूँ आप को इजाज़त देता हूँ कि निकाह पढ़ा दीजिए यह तरीक़ा महज़ ग़लत है वकील को यह इख़्तियार नहीं कि उस काम के लिए दूसरे को वकील बना दे अगर ऐसा किया तो निकाह फ़ुज़ूली हुआ इजाज़त पर मौक़ूफ़ है इजाज़त से पहले मर्द व औरत हर एक को तोड़देने का इख़्तियार हासिल है बल्कि यूँ चाहिए कि जो पढ़ाये वह औरत या उस के वली का वकील बने ख़्वाह यह ख़ुद उस के पास जा कर वकालत हासिल करे या दूसरा उस की वकालत के लिए इज़्न लाये कि फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ को तूने वकील किया कि वह तेरा निकाह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ इब्ने फ़लाँ से कर दे औरत कहे हाँ।

जिस औरत से निकाह हो रहा है उसका मुतअय्यन करना

मसअला :– यह अम्र भी ज़रूरी है कि मनकूहा गवाहों को मालूम हो जाये यानी यह कि फ़लाँ औरत से निकाह होता है उस के दो तरीक़े हैं एक यह कि अगर वह मज्लिसे अक़्द में मौजूद है तो उस की तरफ़ निकाह पढ़ाने वाला इशारा कर के कहे कि मैं ने उस को तेरे निकाह में दिया अगर्चे औरत के मुँह पर निक़ाब पड़ा हो बस इशारा काफ़ी है और इस सूरत में अगर उस के या उस के बाप दादा के नाम में ग़ल्ती भी हो जाये तो कुछ हर्ज नहीं कि इशारे के बाद अब किसी नाम वग़ैरा की ज़रूरत नहीं और इशारे की तईन के मक़ाबिल कोई ताईन नहीं दूसरी सूरत मालूम करने की यह है कि औरत और उस के बाप और दादा के नाम लिए जायें कि फ़ुलाना बिन्ते फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ और सिर्फ़ उसी के नाम लेने से गवाहों को मालूम हो जाये कि फ़ुलानी औरत से निकाह हुआ तो बाप दादा के नाम लेने की ज़रूरत नहीं। फ़िर भी एहतियात उस में है कि उन के नाम भी लिए जायें और उस की अस्लन ज़रूरत नहीं कि उसे पहचानते हो बल्कि यह जानना काफ़ी है कि फ़ुलानी और फ़ुलाँ की बेटी फ़ुलाँ की पोती है और उस सूरत में अगर उस के या उस के बाप दादा के नाम में ग़लती हुई तो निकाह न हुआ और हमारी ग़र्ज़ नाम लेने से यह नहीं कि ज़रूर उस का नाम ही लिया जाये बल्कि मक़सूद यह है कि तईन हो जाये ख़्वाह नाम के ज़रीआ से या यूँ कि

अपने को किया उस के मौला ने निकाह तो जाइज़ किया मगर ग़ुलाम के महर में होने की इजाज़त न दी तो निकाह हो गया और महर की निस्बत यह हुक्म है कि महर मिस्ल व क़ीमते ग़ुलाम दोनों में जो कम है वह महर है ग़ुलाम बेचकर महर अदा किया जाये (आलमगीरी स 229)(6)लड़की बालिग़ है तो उस का राज़ी होना शर्त है वली को यह इख़्तियार नहीं कि बग़ैर उस की रज़ा के निकाह कर दे(7)किसी ज़माना आइन्दा की तरफ़ निस्बत न की हो न किसी शर्त ना मालूम पर मुअ़ल्लक़ किया हो मसलन मैंने तुझ से आइन्दा रोज़ में निकाह किया मैं ने निकाह किया अगर ज़ैद आये इन सूरतों में निकाह न हुआ।

मसअला :– जबकि सरीह अल्फ़ाज़ निकाह में इस्तेमाल किये जायें तो आक़ेदैन और गवाहों का उन के मअ़्ना जानना शर्त नहीं (दुर्रेमुख़्तार स 290) निकाह की इज़ाफ़त कुल की तरफ़ हो या उन अअ़्ज़ा की तरफ़ जिन को बोल कर कुल मुराद लेते हैं तो अगर यह कहा फ़ुलाँ के हाथ या पाँव या निस्फ़ से निकाह किया सहीह न हुआ (आलमगीरी)

महरमात का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ

'तर्जमा:–' उन औ़रतों से निकाह न करो जिन से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो मगर जो गुज़र चुका बेशक यह बे हयाई और ग़ज़ब का काम है और बहुत बुरी राह। तुम पर हराम हैं तुम्हारी माऐं और बेटियाँ और बहनें और फूफियाँ और ख़ालायें और भतीजियाँ और भानजीयाँ और तुम्हारी वह मायें जिन्हों ने तुम्हें दूध पिलाया और दूध की बहनें और तुम्हारी औ़रतों की मायें और उन की बेटियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं उन बीवियों से जिन से तुम जिमाअ़ कर चुके हो और अगर तुम ने उन से जिमाअ़ न किया हो तो उन की बेटियों में गुनाह नहीं और तुम्हारे नस्ली बेटों की बीवियाँ और दो बहनों को इकठ्ठा करना मगर जो हो चुका बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है और हराम हैं शौहर वाली औ़रतें मगर काफ़िरों की औ़रतें जो तुम्हारी मिल्क में आजायें यह अल्लाह का नविश्ता है और उन के सिवा जो रहीं वह तुम पर हलाल हैं। कि अपने मालों के एवज़ तलाश करो पारसाई चाहते न ज़ना करते'' और फ़रमाता है।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا

الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ؕ

तर्जमा :– ''मुशरिक औ़रतों से निकाह न करो जब तक ईमान न लायें बेशक मुसलमान बाँदी मुशरिका से बेहतर है अगर्चे तुम्हें यह भली मालूम होती हो और मुशरिकों से निकाह न करो जब तक ईमान न लायें बेशक मुसलमान ग़ुलाम मुश्रिक से बेहतर है अगर्चे तुम्हें यह अच्छा मालूम होता हो यह दोज़ख़ की तरफ़ बुलाते हैं और अल्लाह बुलाता है जन्नत व मग़्फ़िरत की तरफ़ अपने हुक्म से और लोगों के लिए अपनी निशानियाँ ज़ाहिर फ़रमाता है ताकि लोग नसीहत मानें''।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि औ़रत और उस की फूपी को जमअ़ न किया जाये और न औ़रत और उस की ख़ाला को।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व दारमी व निसाई की रिवायत उन्हीं से है कि हुज़ूर ने उस से मनअ़ फ़रमाया कि फूपी के निकाह में होते उस की भतीजी से निकाह किया जाये या भतीजी के होते हुए उस की फूपी से या ख़ाला के होते हुए उसकी भान्जी से या भान्जी के होते हुए उस की ख़ाला से।

हदीस न.3 :– इमाम बुख़ारी आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो औ़रतें विलादत (नस्ब)से हराम हैं वह रदाअ़त (दूध पिलाने का रिश्ता)से भी हराम हैं।

हदीस न.4 :– सहीह मुस्लिम में मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक अल्लाह तआ़ला ने रदाअ़त से उन्हें हराम कर दिया जिन्हें नस्ब से हराम फ़रमाया।

मसाइले फ़िक़्हिया

महरमात वह औ़रतें हैं जिन से निकाह हराम है और हराम होने के चन्द सबब हैं लिहाज़ा इस बयान को नौ क़िस्म पर तक़सीम किया जाता है।

क़िस्मे अव्वल :– **नस्ब** इस क़िस्म में सात औ़रतें हैं (1)माँ (2)बेटी (3)बहन (4) फूफ़ी(5) ख़ाला (6) भतीजी (7) भानजी।

मसअ़ला :– दादी, नानी, पर दादी, पर नानी, अगर्चे कितनी ही ऊपर की हों सब हराम हैं और यह सब माँ में दाख़िल हैं यह बाप या माँ या दादा, दादी, नाना, नानी की मायें हैं कि माँ से मुराद वह औ़रत है जिसकी औलाद में यह है बिला वास्ता या ब–वास्ता

मसअ़ला :– बेटी से मुराद वह औ़रतें हैं जो उसकी औलाद हैं लिहाज़ा पोती, नवासी, पर पोती पर नवासी अगर्चे दरमियान में कितनी ही पुश्तों को फ़ासिला हो सब हराम हैं।

मसअ़ला :– बहन ख़्वाह हक़ीक़ी हो यअ़नी एक माँ बाप से या सोतेली कि बाप दोनों का एक है और मायें दो या माँ एक है और बाप दो सब हराम हैं।

मसअ़ला :– बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी, वग़ैरहुम उसूल की फूपियाँ या ख़ालायें अपनी फूफियाँ और ख़ाला के हुक्म में हैं ख़्वाह यह हक़ीक़ी हों या सोतेली• यूँही हक़ीक़ी या अ़ल्लाती

फूफी की फूफी या हकीकी या अख़्याफी ख़ाला की ख़ाला।

मसअला :– भतीजी भानजी से भाई बहन की औलादें मुराद हैं उन की पोतियाँ नवासियाँ भी उन्हीं में शुमार हैं।

मसअला :– ज़िना से बेटी,पोती,बहन, भानजी भी महरमात में हैं।

मसअला :– जिस औरत से उस के शौहर ने लिआन किया अगर्चे उसकी लड़की अपनी माँ की तरफ मन्सूब होगई मगर फिर भी उस शख़्स पर वह लड़की हराम है (रद्दुल मुहतार)

किस्मे दोम :– **मुसाहिरत** (1)ज़ौजा मोतूहा (वह बीवी जिस से मियाँ बीवी के सम्बन्ध स्थापित हुए हों) की लड़कियाँ (2) ज़ौजा की माँ दादियाँ नानियाँ (3) बाप दादा वग़ैराहुमा उसूल की बीवियाँ (4) बेटे पोते वग़ैराहुमा फुरूअ़ की बीवियाँ

मसअला :– जिस औरत से निकाह किया और वती(सम्भोग) न की थी कि जुदाई होगई उस की लड़की उस पर हराम नहीं नीज़ हुरमत उस सूरत में है कि वह औरत मुश्तहात हो उस लड़की का उस की परवरिश में होना ज़रूरी नहीं और ख़लवते सहीहा भी वती ही के हुक्म में है यअ्नी अगर ख़लवते सहीहा औरत के साथ हो गई उसकी लड़की हराम होगई अगर्चे वती न की हो (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– निकाहे फ़ासिद से हुरमते मुसाहिरत साबित नहीं होती जब तक वती न हो लिहाज़ा अगर किसी औरत से निकाहे फ़ासिद किया तो औरत की माँ उसपर हराम नहीं और जब वती हुई तो हुरमत साबित होगई कि वती से मुतलकन हुरमत साबित हो जाती है ख़्वाह वती हलाल हो या शुबह व ज़िना से मसलन बैअ़ फ़ासिद से ख़रीदी हुई कनीज़ से या कनीज़ मुश्तरक या मुकातिबा या जिस औरत से ज़िहार किया या मजूसिया बाँदी या अपनी ज़ौजा से हैज़ व निफ़ास में एहराम व रोज़ा में ग़र्ज़ किसी तौर पर वती हो हुरमते मुसाहिरत साबित होगई लिहाज़ा जिस औरत से ज़िना किया उस की माँ और लड़कियाँ उस पर हराम यूँ ही वह औरत ज़ानिया उस शख़्स के बाप दादा और बेटों पर हराम हो जाती है। (आलमगीरी स 274 रद्दुल मुहतार 304)

मसअला :– हुरमते मुसाहिरत जिस तरह वती से होती है यूँही ब–शहवत छूने और बोसा लेने और फ़र्जे दाख़िल(र्शम गाह) की तरफ़ नज़र करने और गले लगाने और दाँत से काटने और मुबाशरत यहाँ तक कि सर पर जो बाल हों उन्हें छूने से भी हुरमत हो जाती है अगर्चे कोई कपड़ा भी हाइल हो मगर जब इतना मोटा कपड़ा हाइल हो कि गर्मी महसूस न हो यूँहीं बोसा लेने में भी अगर बारीक निक़ाब हाइल हो तो हुरमत साबित हो जायेगी ख़्वाह यह बातें जाइज़ तौर पर हों मसलन मनकूहा या कनीज़ है या नाजाइज़ तौर पर जो बाल सर से लटक रहे हों उन्हें ब–शहवत छुआ तो हुरमत मुसाहिरत साबित न हुई (आलमगीरी स 274 रद्दुल मुहतार स 304 वग़ैराहुमा)

मसअला :– फर्जे दाख़िल की तरफ़ नज़र करने की सूरत में अगर शीशा दरमियान में हो या औरत पानी में थी उस की नज़र वहाँ तक पहुँची जब भी हुरमत साबित होगई अल्बत्ता आईना या पानी में अक्स दिखाई दिया तो हुरमते मुसाहिरत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स 304 आलमगीरी स 274)

मसअला :– छूने और नज़र के वक़्त शहवत न थी बाद को पैदा हुई यअ्नी जब हाथ लगाया उस वक़्त न थी हाथ जुदा करने के बाद हुई तो उस से हुरमत नहीं साबित होती उस मक़ाम पर शहवत के मअ्ना यह हैं कि उसकी वजह से इन्तिशारे आला हो जाये और अगर पहले से

इन्तिशार मौजूद था तो अब ज़्यादा हो जाये यह जवान के लिए है बूढ़े और औरत के लिए शहवत की हद यह है कि दिल में हरकत पैदा हो और पहले से हो तो ज़्यादा हो जाये महज़ मैलाने नफ़्स का नाम शहवत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स 304)

मसअला :– नज़र और छूने में हुरमत जब साबित होगी कि इन्ज़ाल न हो और इन्ज़ाल होगया तो हुरमत मुसाहिरत न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने शहवत के साथ मर्द को छुआ या बोसा लिया या उस के आला की तरफ नज़र की तो उस से भी हुरमते मुसाहिरत साबित होगई (दुर्रे मुख़्तार 304 आलमगीरी 274)

मसअला :– हुरमते मुसाहिरत के लिए शर्त यह है कि औरत मुश्तहात हो यअ्नी नौ बरस से कम उम्र की न हो नीज़ यह कि ज़िन्दा हो,तो अगर नौ बरस से कम उम्र की लड़की या मुर्दा औरत को ब–शहवत छुआ या बोसा लिया तो हुरमत साबित न हुई (दुर्रे मुख़्तार 350)

मसअला :– औरत से जिमाअ़ किया मगर दुख़ूल न हुआ तो हुरमत साबित न हुई हाँ अगर उस को हमल रह जाये तो हुरमते मुसाहिरत होगई (आलमगीरी स 274) बुढ़िया औरत के साथ यह अफ़आल वाक़ेअ़ हुए या उस ने किये तो मुसाहिरत हो गई उस की लड़की उस शख़्स पर हराम होगई वह उस के बाप दादा पर भी हराम हो गई (दुर्रे मुख़्तार स 350)

मसअला :– वती से मुसाहिरत में यह शर्त है कि आगे के मकाम में हो अगर पीछे में हुई मुसाहिरत न होगी। (दुर्रे मुख़्तार 305)

मसअला :– अग़लाम से मुसाहिरत नहीं साबित होती (रद्दुलमुहतार स 380)

मसअला :– मुराहिक (वह लड़का कि अभी बालिग़ न हुआ मगर उस के हम उम्र बालिग़ हो गये हों उसकी मिक़दार बारह बरस की उम्र है) ने अगर वती की या शहवत के साथ छुआ या बोसा लिया तो मुसाहिरत हो गई. (रद्दुल मुहतार 306)

मसअला :– यह अफ़आल क़स्दन हों या भूल कर या गलती से या मजबूरन बहर हाल मुसाहिरत साबित होजायेगी मसलन अँधेरी रात में मर्द ने अपनी औरत को जिमाअ़ के लिए उठाना चाहा ग़लती से शहवत के साथ मुश्तहात लड़की पर हाथ पड़ गया उस की माँ हमेशा के लिए उस पर हराम हो गई यूँही अगर औरत ने शौहर को उठाना चाहा और शहवत के साथ हाथ लड़के पर पड़ गया जो मुराहिक था हमेशा को अपने उस शौहर पर हराम होगई (दुर्रे मुख़्तार 306)

मसअला :– मुँह का बोसा लिया तो मुतलकन हुरमते मुसाहिरत साबित हो जायेगी अगर्चे कहता हो कि शहवत से न था यूँही अगर इन्तिशार आला था तो मुतलकन किसी जगह का बोसा लिया हुरमत हो जायेगी और अगर इन्तिशार न था और रुख़सार या ठोड़ी या पेशानी या मुँह के अलावा किसी और जगह का बोसा लिया और कहता है कि शहवत न थी तो उस का कौल मान लिया जायेगा यूँही इन्तिशार की हालत में गले लगाना भी हुरमत साबित करता है अगर्चे शहवत का इन्कार करे (रद्दुल मुहतार 306)

मसअला :– चुटकी लेने दाँत काटने का भी यही हुक्म है कि शहवत से हो तो हुरमत साबित हो जायेगी औरत की शर्मगाह को छुआ या पिस्तान को और कहता है कि शहवत न थी तो उस का कौल मोअ्तबर नहीं। (आलमगीरी, 274 दुर्रे मुख़्तार 307)

मसअला :– नज़र से हुरमत साबित होने के लिये नज़र करने वाले में शहवत पाई जाना ज़रूर है और बोसा लेने, गले लगाने, छूने वगैरा में उन दोनों में से एक को शहवत हो जाना काफ़ी है अगर्चे दूसरे को न हो (दुर्रे मुख़्तार स 307 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मजनून और नशा वाले से यह अफ़आल हुए या उन के साथ किये गये जब भी यही हुक्म है कि और शर्तें पाई जायें तो हुरमत होजायेगी (दुर्रे मुख़्तार स 307)

मसअला :– किसी से पूछा गया तूने अपनी सास के साथ क्या किया उस ने कहा जिमाअ़ किया हुरमते मुसाहिरत साबित होगई अब अगर कहे मैंने झूट कह दिया था नहीं माना जायेगा बल्कि अगर्चे मज़ाक़ में कह दिया हो जब भी यही हुक्म है (आलमगीरी, वगैरा)

मसअला :– हुरमते मुसाहिरत मसलन शहवत से बोसा लेने या छूने या नज़र करने का इक़रार किया तो हुरमत साबित होगई और अगर यह कहे कि उस औरत के साथ मैंने निकाह से पहले उसकी माँ से जिमाअ़ किया था जब भी यही हुक्म रहेगा मगर औरत का महर उस से बातिल न होगा वह बदस्तूर वाजिब (रद्दुल मुहतार 308)

मसअला :– किसी ने एक औरत से निकाह किया और उस के लड़के ने औरत की लड़की से निकाह किया जो दूसरे शौहर से है तो हर्ज नही यूँही अगर लड़के ने औरत की माँ से निकाह किया जब भी यही हुक्म है (आलमगीरी स 277)

मसअला :– औरत ने दअ़्वा किया कि मर्द ने उस के उसूल या फ़ुरूअ़ को ब–शहवत छुआ या बोसा लिया या कोई और बात की है जिस से हुरमत साबित होती है और मर्द ने इन्कार किया तो क़ौल मर्द का लिया जायेगा यअ़्नी जबकि औरत गवाह न पेश कर सके (दुर्रे मुख़्तार)

क़िस्मे सोम :– जमअ़् बैनल महारिम

मसअला :– वह दो औरतें कि उन में जिस एक को मर्द फ़र्ज़ करें दूसरी उस के लिए हराम हो मसलन दो बहनें कि एक को मर्द फ़र्ज़ करो तो भाई बहन का रिश्ता हुआ या फूफी भतीजी कि फूफी को मर्द फ़र्ज़ करो तो चचा भतीजी का रिश्ता हुआ और भतीजी को मर्द फ़र्ज़ करो तो फूफी भतीजे का रिश्ता हुआ या ख़ाला भानजी कि ख़ाला को मर्द फ़र्ज़ करो तो मामू भानजी का रिश्ता हुआ और भानजी को मर्द फ़र्ज़ करो तो भानजे ख़ाला का रिश्ता हुआ)ऐसी दो औरतों को निकाह में जमअ़् नहीं कर सकता बल्कि अगर तलाक़ दे दी हो अगर्चे तीन तलाक़ें तो जब तक इद्दत न गुज़र ले दूसरी से निकाह नहीं कर सकता बल्कि अगर एक बाँदी है और उस से वती की तो दूसरी से निकाह नहीं कर सकता यूँही अगर दोनों बाँदी हैं और उस से वती कर ली तो दूसरी से वती नहीं कर सकता (आम्मए कुतुब)

मसअला – ऐसी दो औरतें जिन में उस क़िस्म का रिश्ता हो जो ऊपर मज़कूर हुआ वह नसब के साथ मख़सूस नहीं बल्कि दूध के ऐसे रिश्ते हों जब भी दोनों का जमअ़् करना हराम है मसलन औरत और उसकी रज़ाई बहन या ख़ाला या फूफी (आलमगीरी स 277)

मसअला – दो औरतों में अगर ऐसा रिश्ता पाया जाये कि एक को मर्द फ़र्ज़ करें तो दूसरी उस के लिए हराम हो और दूसरी को मर्द फ़र्ज़ करें तो पहली हराम न हो तो दो औरतों के जमअ़् करने में हरज नहीं मसलन औरत और उस के शौहर की लड़की कि उस लड़की को मर्द फ़र्ज़ करें तो उस

औरत उस पर हराम होगी कि उस की सौतेली माँ हुई और औरत को मर्द फ़र्ज़ करें तो लड़की से कोई रिश्ता पैदा न होगा यूँही औरत और उस की बहू (दुर्रे मुख़्तार 308,309)

मसअला :– बाँदी से वती की फिर उसकी बहन से निकाह किया तो यह निकाह सहीह हो गया मगर अब दोनों में से किसी से वती नहीं कर सकता जब तक एक को अपने ऊपर किसी ज़रीआ से हराम न कर ले मसलन मन्कूहा को तलाक़ देदे या वह ख़ुलअ़् कराले और दोनों सूरतों में इद्दत गुज़र जाये या बाँदी को बेच डाले या आज़ाद कर दे ख़्वाह पूरी बेची या आज़ाद की या उस का कोई हिस्सा निस्फ़ वगैरा या उस को हिबा कर दे और क़ब्ज़ा भी दिलादे या उसे मकातिब करदे या उस का किसी से निकाहे सहीह कर दे और अगर निकाहे फ़ासिद कर दिया तो उसकी बहन यअ़्नी मनकूहा से वती नहीं हो सकती मगर जब कि निकाहे फ़ासिद में उस के शौहर ने वती भी करली तो चूँकि अब उस की इद्दत वाजिब होगी लिहाज़ा मालिक के लिए हराम होगई और मनकूहा से वती जाइज़ होगई और बैअ़् वगैरा की सूरत में अगर वह फिर उस की मिल्क में वापस आई। मसलन बैअ़् फ़स्ख़ हो गई या उस ने फिर ख़रीदली तो अब फिर बदस्तूर दोनों से वती हराम हो जायेगी जब तक फिर सबबे हुरमत न पाया जाये। बाँदी के एहराम व रोज़ा व हैज़ व निफ़ास व रहन व इजारा से मनकूहा हलाल न होगी और अगर बाँदी से वती न की हो तो उस मनकूहा से मुतलक़न वती जाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार 309 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुक़द्दमाते वती मसलन शहवत कि साथ बोसा लिया या छुआ या उस बाँदी ने अपने मौला को शहवत के साथ छुआ या बोसा लिया तो यह भी वती के हुक्म में हैं कि इन अफ़आल के बाद अगर उस की बहन से निकाह किया तो किसी से जिमाअ़् जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार 310)

मसअला :– ऐसी दो औरतें जिन को जमा करना हराम है अगर दोनों से एक अक़्द के साथ निकाह किया तो किसी से निकाह न हुआ फ़र्ज़ है कि दोनों को फ़ौरन जुदा कर दे और दुख़ूल न हुआ तो महर भी वाजिब न हुआ और दुख़ूल हुआ हो तो मिस्ल और बँधे हुए महर में जो कम हो वह दिया जाये अगर दोनों कि साथ दुख़ूल किया तो दोनों को दिया जाये और एक के साथ किया तो एक को (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार 310)

मसअला :– अगर दोनो से दो अक़्द के साथ किया तो पहली से निकाह हुआ और दूसरी का निकाह बातिल लिहाज़ा पहली से वती जाइज़ है मगर जबकि दूसरी से वती करली तो अब जब तक उस की इद्दत न गुज़र जाये पहली से भी वती हराम है। फिर उस सूरत में अगर यह याद न रहा कि पहले किस से हुआ तो शौहर पर फ़र्ज़ है कि दोनें को जुदा करदे और अगर वह ख़ुद जुदा न करे तो क़ाज़ी पर फ़र्ज़ है कि तफ़रीक़ कर दे और यह तफ़रीक़ तलाक़ शुमार की जायेगी फिर अगर दुख़ूल से पेश्तर तफ़रीक़ हुई तो निस्फ़ महर में दोनों बराबर बाँट ले अगर दोनों का बराबर मुक़र्रर हो और अगर दोनों के महर बराबर न हों और मालूम है कि फ़ुलानी का इतना था और फ़ुलानी का उतना तो हर एक को उस के महर की चौथाई मिलेगी और अगर यह मालूम है कि एक का इतना है और एक का उतना मगर यह मालूम नहीं कि किस का इतना है किस का उतना तो जो कम है उस के निस्फ़ में दोनों बराबर तक़सीम कर लें और अगर महर मुक़र्रर ही न हुआ था तो एक मुतअ़(मुतअ़् के मअ़्ना महर के दयान में आयेंगे)वाजिब होगा जिस में दोनों बाँट लें और

अगर दुख़ूल के बाद तफ़रीक़ हुई तो एक एक को उस का पूरा महर वाजिब होगा यूँही अगर एक से दुख़ूल हुआ तो उस का पूरा महर वाजिब होगा और दूसरी को चौथाई (दुर्रे मुख़्तार स 310 रदुल मुहतार 311)

मसअला :– ऐसी दो औरतों से एक अक़्द के साथ निकाह किया था फिर दुख़ूल से क़ब्ल तफ़रीक़ हो गई अब अगर उन में से एक के साथ निकाह करना चाहा तो कर सकता है और दुख़ूल के बाद तफ़रीक़ हुई तो जब तक इद्दत न गुज़र जाये निकाह नहीं कर सकता और अगर एक की इद्दत पूरी हो चुकी दूसरी की नहीं तो दूसरी से कर सकता है और पहली से नहीं कर सकता जब तक दूसरी की इद्दत न गुज़र ले और अगर एक से दुख़ूल किया है तो उस से निकाह कर सकता है और दूसरी से निकाह नहीं कर सकता जबतक मदख़ूला की इद्दत न गुज़र ले और उस की इद्दत गुज़रने के बाद जिस एक से चाहे निकाह करे (आलमगीरी 278)

मसअला :– ऐसी दो औरतों ने किसी शख़्स से एक साथ कहा कि मैं ने तुझ से निकाह किया उस ने एक का निकाह क़बूल किया तो उस का निकाह हो गया और अगर मर्द ने ऐसी दो औरतों से कहा कि मैं ने तुम दोनों से निकाह किया और एक ने क़बूल किया दूसरी ने इन्कार किया तो जिस ने क़बूल किया उस का निकाह भी न हुआ (आलमगीरी 278)

मसअला :– ऐसी दो औरतों से निकाह किया और उन में एक इद्दत में भी थी तो जो ख़ाली है उस का निकाह सहीह हो गया और अगर वह उसी की इद्दत में थी तो दूसरी से भी सहीह न हुआ। (आलमगीरी 276)

चौथी क़िस्म :– हुरमत बिल मिल्क

मसअला :– औरत अपने गुलाम से निकाह नहीं कर सकती ख़्वाह वह तन्हा उसी की मिल्क में हो या कोई और भी उस में शरीक हो (आलमगीरी, 282 दुर्रे मुख़्तार 313)

मसअला :– मौला अपनी बाँदी से निकाह नहीं कर सकता अगर्चे वह उम्मे वलद या मकातिबा या मुदब्बरा हो या उस में कोई दूसरा भी शरीक हो मगर बनज़रे एहतियात मुतअख़्ख़िरीन ने बाँदी से निकाह करना मुस्तहसन (बेहतर) बताया है (आलमगीरी 282) मगर यह निकाह सिर्फ़ बरबिनाए एहतियात है कि अगर वाक़ेअ् में कनीज़ नहीं जब भी जिमाअ् जाइज़ है लिहाज़ा समराते निकाह इस निकाह पर मुरत्तब नहीं न महर वाजिब होगा न तलाक़ हो सकेगी न दीगर अहकामे निकाह जारी होंगे।

मसअला :– अगर ज़न व शौहर में से एक दूसरे का या उस के किसी जुज़ का मालिक हो गया तो निकाह बातिल हो जायेगा (आलमगीरी 282)

मसअला :– माज़ून या मुदब्बर या मुकातिब ने अपनी ज़ौजा को ख़रीदा तो निकाह फ़ासिद न हुआ यूहीं अगर किसी ने अपनी ज़ौजा को ख़रीदा और बैअ् में इख़्तियार रखा कि अगर चाहेगा तो वापस करदेगा तो निकाह फ़ासिद न होगा यूँही जिस गुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका है वह अगर अपनी मन्कूहा को ख़रीदे तो निकाह फ़ासिद न हुआ। (आलमगीरी, रदुल मुहतार 313)

मसअला :– मकातिब या माज़ून की कनीज़ से मौला निकाह नहीं कर सकता (आलमगीरी)

मसअला :– मकातिब ने अपनी मालिका से निकाह किया फिर आज़ाद हो गया तो वह निकाह अब भी सहीह न हुआ हाँ अगर अब जदीद निकाह करे तो कर सकता है (आलमगीरी 283)

मसअला :– गुलाम ने अपने मौला की लड़की से उस की इजाज़त से निकाह किया तो निकाह

सहीह हो गया मगर मौला के मरने से यह निकाह जाता रहेगा और अगर मकातिब ने मौला की लड़की से निकाह किया था तो मौला के मरने से फ़ासिद न होगा अगर बदले किताबत अदा कर देगा तो निकाह बर क़रार रहेगा और अगर अदा न कर सका और फिर गुलाम होगया तो अब निकाह फ़ासिद होगया। (आलमगीरी283)

पाँचवीं क़िस्म :– हुरमत बिशिर्क

मसअला :– मुसलमान का निकाह मजूसिया ,बुत परस्त ,आफ़ताब परस्त सितारा परस्त औरत से नहीं हो सकता ख़्वाह यह औरतें हुर्रा हों या बाँदियाँ ग़र्ज़ किताबिया के सिवा किसी काफ़िरा औरत से निकाह नहीं हो सकता (फ़तह,136 वग़ैरा दुर 313)

मसअला :– मुरतद व मुरतद्दा का निकाह किसी से नहीं हो सकता अगर्चे मर्द व औरत दोनों एक ही मज़हब के हों (ख़ानिया वग़ैरहा)

मसअला :– यहूदिया और नस्रानिया से मुसलमान का निकाह हो सकता है मगर चाहिए नहीं कि उस में बहुत से मफ़ासिद का दरवाज़ा खुलता है (आलमगीरी स 287 वग़ैरा) मगर यह जवाज़ उसी वक़्त तक है जबतक अपने उसी मज़हब यहूदियत या नस्रानियत पर हों और अगर सिर्फ़ नाम की यहूदी नसरानी हों और हक़ीक़तन नेचरी और दहरिया मज़हब रखती हों जैसे आज कल के उमूमन नसारा का कोई मज़हब ही नहीं तो उन से निकाह नहीं हो सकता न उन का ज़बीहा जाइज़ बल्कि उन के यहाँ तो ज़बीहा होता भी नहीं।

मसअला :– किताबिया से निकाह किया तो उसे गिरजा (चर्च) जाने और घर में शराब बनाने से रोक सकता है (आलमगीरी 281)

मसअला :– किताबिया से दारुल हर्ब में निकाह कर के दारुलइस्लाम में लाया तो निकाह बाक़ी रहेगा और ख़ुद चला आया उसे वहीं छोड़ दिया तो निकाह टूटगया (आलमगीरी स 281)

मसअला :– मुसलमान ने किताबिया से निकाह किया था फिर वह मजूसिया होगई तो निकाह फस्ख़ हो गया और मर्द पर हराम हो गई और अगर यूहदिया थी अब नसरानिया होगई या नसरानिया थी यहूदिया होगई तो निकाह बातिल न हुआ (आलमगीरी स 281)

मसअला :– किताबी मर्द का निकाह मुरतद्दा के सिवा हर काफ़िरा से हो सकता है और औलाद किताबी के हुक्म में है मुसलमान किताबिया से औलाद हुई तो औलाद मुसलमान कहलायेगी (आलमगीरी 281)

मसअला :– मर्द व औरत काफ़िर थे दोनों मुसलमान हुए तो वही निकाहे साबिक़ (पहला)बाक़ी है जदीद निकाह की हाजत नहीं और अगर सिर्फ़ मर्द मुसलमान हुआ तो औरत पर इस्लाम पेश करें अगर मुसलमान हो गई तो ठीक वरना तफ़रीक़ (जुदाई) कर दें यूँही अगर औरत पहले मुसलमान हुई तो मर्द पर इस्लाम पेश करें अगर तीन हैज़ आने से पहले मुसलमान हो गया तो निकाह बाक़ी है वरना बाद को जिस से चाहे निकाह कर ले कोई उसे मनअ् नहीं कर सकता (आलमगीरी स 279)

मसअला :– मुसलमान औरत का निकाह मुसलमान मर्द के सिवा किसी मज़हब वाले से नहीं हो सकता और मुसलमान के निकाह में किताबिया है उस के बाद मुसलमान औरत से निकाह किया या मुसलमान औरत निकाह में थी उस के होते हुए किताबिया से निकाह सहीह है (आलमगीरी 282)

छटी क़िस्म :– हुर्रा निकाह में होते हुए बाँदी से निकाह करना

मसअ्ला :– आज़ाद औरत निकाह में है और बाँदी से निकाह किया सहीह न हुआ यूँही एक अक़्द में दोनों से निकाह किया हुर्रा का सहीह हुआ बाँदी से न हुआ (आलमगीरी स 279)

एक अक़्द में आज़ाद औरत और बाँदी से निकाह किया और किसी वजह से आज़ाद औरत का निकाह सहीह न हुआ तो बाँदी से निकाह हो जायेगा (आलमगीरी 279)

मसअ्ला :– पहले बाँदी से किया फिर आज़ाद से तो दोनों निकाह हो गये और अगर बाँदी से बिला इजाज़त मालिक निकाह किया और दुखूल न किया था फिर आज़ाद औरत से निकाह किया अब उसके मालिक ने इजाज़त दी तो निकाह सहीह न हुआ यूँही अगर गुलाम ने बग़ैर इजाज़त मौला हुर्रा से निकाह किया और दुखूल किया फिर बाँदी से निकाह किया अब मौला ने दोनों निकाह की इजाज़त दी तो बाँदी से निकाह न हुआ (आलमगीरी रदुल, मुहतार 316)

मसअ्ला :– आज़ाद औरत को तलाक़ देदी तो जब तक वह इद्दत में है बाँदी से निकाह नहीं कर सकता अगर्चे तीन तलाक़ें दे दी हों (आलमगीरी स 297)

मसअ्ला :– अगर हुर्रा निकाह में न हो तो बाँदी से निकाह जाइज़ है अगर्चे इतनी इस्तिताअ़त है कि आज़ाद औरत से निकाह कर ले (दुर्रे मुख़्तार 315 वग़ैरा)

मसअ्ला :– बाँदी निकाह में थी उसे तलाक़े रजई देकर आज़ाद से निकाह किया फिर रजअ़त करली तो वह बाँदी बदस्तूर ज़ौजा होगई (दुर्रे मुख़्तार 319)

मसअ्ला :– अगर चार बाँदियों और पाँच आज़ाद औरतों से एक अक़्द में निकाह किया तो बाँदियों का होगया और आज़ाद औरतों का न हुआ और दोनों चार चार थीं तो आज़ाद औरतों का हुआ बाँदियों का न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार स 316)

सातवीं क़िस्म : – हुरमत ब वजह तअ़ल्लुक़े हक़्क़े ग़ैर

मसअ्ला :– दूसरे की मनकूहा से निकाह नहीं हो सकता बल्कि अगर दूसरे की इद्दत में हो जब भी नहीं हो सकता इद्दत तलाक़ की हो या मौत की या शुबहा निकाह या निकाहे फासिद में दुखूल की वजह से (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– दूसरे की मनकूहा से निकाह किया और यह मालूम न था कि मनकूहा है तो इद्दत वाजिब है और मालूम था तो इद्दत वाजिब नहीं (आलमगीरी 280)

मसअ्ला :– जिस औरत को ज़िना का हमल है उस से निकाह हो सकता है फिर अगर उसी का हमल है तो वती भी कर सकता है और अगर दूसरे का है तो जब तक बच्चा न पैदा हो वती जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार 319)

मसअ्ला :– जिस औरत का हमल साबितुन्नसब है उस से निकाह नहीं हो सकता (आलमगीरी स 280)

मसअ्ला :– किसी ने अपनी उम्मे वलद हामिला का निकाह दूसरे से कर दिया तो सहीह न हुआ और हमल न था तो सहीह हो गया (अलमगीरी स 280)

मसअ्ला :– जिस बाँदी से वती करता था उसका निकाह किसी से कर दिया निकाह हो गया मगर मालिक पर इस्तिबरा वाजिब है यअ्नी जब उसका निकाह करना चाहे तो वती छोड़ दे यहाँ तक कि उसे एक हैज़ आजाये बादे हैज़ निकाह कर दे और शौहर के ज़िम्मे इस्तिबरा नहीं लिहाज़ा अगर इस्तिबरा से पहले शौहर ने वती कर ली तो जाइज़ है मगर न चाहिए और

अगर मालिक बेचना चाहता है तो इस्तिबरा मुस्तहब है वाजिब नहीं ज़ानिया से निकाह किया तो इस्तिबरा की हाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार 317)

मसअ्ला :– बाप अपने बेटे की कनीज़े शरई से निकाह कर सकता है (आलमगीरी 281)

आठवीं क़िस्म :– हुरमते मुतअ़ल्लिक़ ब अ़दद

मसअ्ला :– आज़ाद शख़्स को एक वक़्त में चार औरतों और गुलाम को दो से ज़्यादा निकाह कर ने की इजाज़त नहीं और आज़ाद मर्द को कनीज़ का इख़्तियार है उस के लिए कोई हद नहीं (दुर्रे मुख़्तार 316)

मसअ्ला :– गुलाम को कनीज़ रखने की इजाजत नहीं अगर्चे उसके मौला ने इजाज़त दे दी हो (दुर्रे मुख़्तार 316)

मसअ्ला :– पाँच औरतों से एक अक़्द के साथ निकाह किया किसी से निकाह न हुआ और अगर हर एक से अलाहिदा अलाहिदा अक़्द किया तो पाँचवें का निकाह बातिल है बाक़ियों का सहीह यूँही गुलाम ने तीन औरतों से निकाह किया तो उसमें भी वही दो सूरतें हैं (आलमगीरी स 277)

मसअ्ला :– काफिर हर्बी ने पाँच औरतों से निकाह किया फिर सब मुसलमान हुए अगर आगे पीछे निकाह हुआ तो चार पहली बाक़ी रखी जायें और पाँचवीं को जुदा कर दे और एक अक़्द था तो सब को अलाहिदा कर दे (आलमगीरी 277)

मसअ्ला :– दो औरतों से एक अक़्द में निकाह किया उन में एक ऐसी है जिस से निकाह नहीं हो सकता तो दूसरी का होगया और जो महर मज़कूर हुआ वह सब उसी को मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार 381)

मसअ्ला :– मुतअ़ (निकाह में वक़्त की क़ैद हो) हराम है यूँही अगर किसी ख़ास वक़्त तक के लिए निकाह किया तो यह निकाह भी न हुआ अगर्चे दो सौ बरस के लिए करे (दुर्रे मुख़्तार 318)

मसअ्ला :– किसी औरत से निकाह किया कि इतने दिनों के बाद तलाक़ दे देगा तो यह निकाह सहीह है या अपने ज़हिन में कोई मुद्दत ठहराली हो कि इतने दिनों के लिए निकाह करता हूँ मगर ज़ुबान से कुछ न कहा तो यह निकाह भी हो गया (दुर्रे मुख़्तार 318)

मसअ्ला :– हालते एहराम में निकाह कर सकता है मगर न चाहिए यूँही मुहरिम उस लड़की का भी निकाह कर सकता है जो उसकी विलायत में है (आलमगीरी 283)

नवीं क़िस्म :– रज़ाअ़त (दूध पिलाने का रिशता)उसका बयान मुफ़स्सल आयेगा

दूध के रिशते का बयान

मसअ्ला :– बच्चा को दो बरस तक दूध पिलाया जाये इस से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दूध पीने वाला लड़का हो या लड़की और यह जो बाज़ अवाम में मशहूर है कि लड़की को दो बर्ष तक और लड़के को ढाई बर्ष तक पिला सकते हैं यह सहीह नहीं यह हुक्म दूध पिलाने का है और निकाह हराम होने के लिए ढाई बर्ष का ज़माना है यअ्नी दो बर्ष के बाद अगर्चे दूध पिलाना हराम है मगर ढाई बर्ष के अन्दर अगर दूध पिलादेगी हुरमते निकाह साबित हो जायेगी और उस के बाद पिया तो हुरमते निकाह नहीं अगर्चे पिलाना जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– मुद्दत पूरी होने के बाद बतौर इलाज़ भी दूध पीना या पिलाना जाइज़ नहीं।(दुर्रे मुख़्तार 336)

मसअ्ला :– रज़ाअ़त (यअ्नी दूध का रिश्ता) औरत का दूध पीने से साबित होता है मर्द या जानवर का दूध पीने से साबित नहीं और दूध पीने से मुराद यही मअ़रूफ़ तरीक़ा नहीं बल्कि अगर हल्क़ या

नाक में टपकाया गया जब भी यही हुक्म हैं और थोड़ा पिया या ज़्यादा बहर हाल हुरमत साबित होगी जबकि अन्दर पहुँच जाना मालूम हुआ और अगर छाती मुँह में ली मगर यह नहीं मालूम कि दूध पिया तो हुरमत साबित नहीं। (हिदाया जौहरा वगैरा हुमा)

मसअला :– औरत का दूध अगर हुक्ना से अन्दर पहुँचाया गया या कान में टपकाया गया या पेशाब के मक़ाम से पहुँचाया गया या पेट या दिमाग़ में ज़ख़्म था उस में डाला कि अन्दर पहुँच गया तो उन सूरतों में रदाअ् (दूध का रिश्ता) नहीं (जौहरा)

मसअला :– कुंवारी या बुढ़िया का दूध पिया बल्कि मुर्दा औरत का दुध पिया जब भी रदाअत साबित है (दुर्रे मुख़्तार स 437)

मसअला :– मगर नौ बरस से छोटी लड़की का दूध पिया तो रदाअ् नहीं। (जौहरा)

मसअला :– औरत ने बच्चे के मुँह में छाती दी और यह बात लोगों को मालूम है मगर अब कहती है कि उस वक़्त मेरे दूध न था और किसी और ज़रीआ से भी मालूम नहीं हो सकता कि दूध था या नहीं तो उस का कहना मान लिया जायेगा (रद्दुल मुहतार 438)

मसअला :– बच्चा को दूध पीना छुड़ा दिया गया है मगर उस को किसी औरत ने दूध पिलादिया अगर ढाई बरस के अन्दर है तो रदाअ्(दुध का रिश्ता) साबित वरना नहीं (आलमगीरी 342)

मसअला :– औरत को तलाक़ देदी उस ने अपने बच्चा को दो बरस के बाद तक दूध पिलाया तो दो बरस के बाद की उजरत का मुतालबा नहीं कर सकती यअ्नी लड़के का बाप उजरत देने पर मजबूर नहीं किया जायेगा और दो बरस तक की उजरत उस से जबरन ली जा सकती है(आलमगीरी स 343)

मसअला :– दो बरस के अन्दर बच्चा का बाप उसकी माँ को दूध छुड़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता और उस के बाद कर सकता है (रद्दुल मुहतार स 338)

मसअला :– औरतों को चाहिए कि बिला ज़रूरत हर बच्चा को दूध न पिला दिया करें और पिलायें तो ख़ुद भी याद रखें और लोगों से यह बात कह भी दें औरत को बग़ैर इजाज़त शौहर किसी बच्चा को दूध पिलाना मकरूह है अल्बत्ता अगर उस के हलाक होने का अन्देशा है तो कराहत नहीं। (रद्दुल मुहतार 431) मगर मिआद के अन्दर रदाअत बहर सूरत साबित

मसअला :– बच्चा ने जिस औरत का दूध पिया वह उस बच्चा की माँ होजायेगी और उस का शौहर जिस का यह दूध है यानी उस की वती से बच्चा पैदा हुआ जिस से औरत को दूध उतरा उस दूध पीने वाले बच्चा का बाप होजायेगा और उस औरत की तमाम औलादें उस के भाई बहन ख़्वाह उसी शौहर से हों या दूसरे शौहर से उस के दूध पीने से पहले की हैं या बाद की या साथ की और औरत के भाई मामू और उसकी बहन ख़ाला यूँही उस शौहर की औलादें उसके भाई बहन और उसके भाई उसके चचा और उस की बहनें उस की फूफियाँ ख़्वाह शौहर की यह औलादें उसी औरत से हों या दूसरी से यूँही हर एक के बाप माँ के दादा दादी, नाना नानी (आलमगीरी 343)

मसअला :– मर्द ने औरत से जिमाअ् किया और औलाद नहीं हुई मगर दूध उतर आया तो जो बच्चा यह दूध पियेगा औरत उसकी माँ होजायेगी मगर शौहर उसका बाप नहीं लिहाज़ा शौहर की औलाद जो दूसरी बीवी से है उस से उस का निकाह हो सकता है (जौहरा)

मसअला :– पहले शौहर से औरत की औलाद हुई और दूध मौजूद था कि दूसरे से निकाह हुआ

और किसी बच्चा ने दूध पिया तो पहला शौहर उस का बाप होगा दूसरा नहीं और जब दूसरे शौहर से औलाद होगई तो अब पहले शौहर का दूध नहीं बलकि दूसरे का है और जब तक दूसरे से औलाद न हुई अगर्चे हमल हो पहले ही शौहर का दूध है दूसरे का नहीं (जौहरा)

मसअला :– मौला ने कनीज़ से वती की और औलाद पैदा हुई तो जो बच्चा उस कनीज़ का दूध पियेगा यह उस की माँ होगी और मौला उस का बाप (दुर्रे मुख़्तार 442)

मसअला :– जो नसब में हराम है रदाअ् (दूध का रिश्ता) में भी हराम, मगर भाई या बहन की माँ कि यह नसब में हराम है कि उस की माँ होगी या बाप की मोतुआ (जिस से वती की गई) और दोनों हराम और रदाअ् में हुरमत की कोई वजह नहीं लिहाज़ा हराम नहीं और उस की तीन सूरतें हैं रज़ाई भाई की रज़ाई माँ या रज़ाई भाई की हक़ीक़ी माँ या हक़ीक़ी भाई की रज़ाई माँ यूहीं बेटे या बेटी की बहन या दादी कि नसब में पहली सूरत में बेटी होगी या रबीबा और दूसरी सूरत में माँ होगी या बाप की मोतूहा यूँही चचा या फूफी की माँ या मामू या ख़ाला की माँ कि नसब में दादी नानी होगी और रज़ाअ् में हराम नहीं। और इन में भी वही तीन सूरतें हैं (आलमगीरी 343 दुर्रे मुख़्तार 343)

मसअला :– हक़ीक़ी भाई की रज़ाई बहन या रज़ाई भाई की हक़ीक़ी बहन या रज़ाई भाई की रज़ाई बहन से निकाह जाइज़ है भाई की बहन से नसब में भी एक सूरत जवाज़ की है यानी सौतेले भाई की बहन जो दूसरे बाप से हो। (दुर्रे मुख़्तार 442)

मसअला :– एक औरत का दो बच्चों ने दूध पिया और उन में एक लड़का एक लड़की है तो यह भाई बहन हैं और निकाह हराम अगर्चे दोनों ने एक वक़्त में न पिया हो बल्कि दोनों में बरसों का फ़ासिला हो अगर्चे एक के वक़्त में एक शौहर का दूध था और दूसरे के वक़्त में दूसरे का। (दुर्रे मुख़्तार 443)

मसअला :– दूध पीने वाली लड़की का निकाह पिलाने वाली के बेटों पोतों से नहीं हो सकता कि यह उन की बहन या फूफी है (दुर्रे मुख़्तार 443)

मसअला :– जिस औरत से ज़िना किया और बच्चा पैदा हुआ उस औरत का दूध जिस लड़की ने पिया वह ज़ानी पर हराम हैं (जौहरा)

मसअला :– पानी या दवा में औरत का दूध मिला कर पिया तो अगर दूध ग़ालिब है या बराबर तो रज़ाअ् है मग़लूब है तो नहीं यूँही अगर बकरी वग़ैरा किसी जानवर के दूध में मिला कर दिया तो अगर जानवर का दूध ग़ालिब है तो रज़ाअ नहीं वरना है और दो औरतों का दूध मिलाकर पिलाया तो जिस का ज़्यादा है उस से रज़ाअ् साबित है और दोनों बराबर हों तो दोनों से और एक रिवायत यह है कि बहर हाल दोनों से रज़ाअत साबित है (जौहरा 443)

मसअला :– खाने में औरत का दूध मिला कर दिया अगर वह पतली चीज़ पीने के क़ाबिल है और दूध ग़ालिब या बराबर है तो रदाअ् साबित वरना नहीं और अगर पतली चीज़ नहीं है तो मुतलक़न साबित नहीं (रद्दुल मुहतार 444)

मसअला :– दूध का पनीर या खोया बना कर बच्चा को खिलाया तो रज़ाअ् नहीं (दुर्रे मुख़्तार 444)

मसअला :– खुन्सा मुश्किल को दूध उतरा उस ने बच्चा को पिलाया तो अगर उस का औरत होना मालूम हुआ तो रज़ाअ् है और मर्द होना मालूम हुआ तो नहीं और कुछ मालूम न हुआ अगर औरतें कहें उस का दूध मिस्ल औरत के दूध के है तो रज़ाअ् है वरना नहीं।

मसअला :– किसी की दो औरतें हैं बड़ी ने छोटी को जो शीर ख़्वार है दूध पिलादिया तो दोनों उस पर हमेशा को हराम होगईं बशर्ते कि बड़ी के साथ वती कर चुका हो और वती न की हो तो दो सूरतें हैं एक यह कि बड़ी को तलाक़ दे दी है और तलाक़ के बाद उस ने दूध पिलाया तो बड़ी हमेशा को हराम हुई और छोटी बदस्तूर निकाह में है दोम यह कि तलाक नहीं दी है और दूध पिला दिया तो दोनों का निकाह फ़स्ख़ हो गया मगर छोटी से दोबारा निकाह कर सकता है और बड़ी से वती की हो तो पूरा महर पायेगी और वती न की हो तो कुछ न मिलेगा मगर जबकि दूध पिलाने पर मजबूर की गई या सोती थी सोते में छोटी ने दूध पी लिया या मजनूना थी हालते जुनून में दूध पिलादिया उस का दूध किसी और ने छोटी के हल्क़ में टपका दिया तो इन सूरतों में निस्फ़ महर बड़ी पायेगी और छोटी का निस्फ़ महर मिलेगा फिर अगर बड़ी ने निकाह फ़स्ख़ करने के इरादे से पिलाया तो शौहर यह निस्फ़ महर कि छोटी को देगा बड़ी से वुसूल कर सकता है यूँही उस से वुसूल कर सकता है जिस ने छोटी के हल्क़ में दूध टपका दिया बल्कि उस से तो छोटी बड़ी दोनों का निस्फ़ निस्फ़ महर वसूल कर सकता है जबकि उस का मक़सद निकाह फ़ासिद कर देना हो और अगर निकाह फ़ासिद करना मक़सूद न हो तो किसी सूरत में किसी से नहीं ले सकता और अगर यह ख़्याल कर के दूध पिलाया है कि भूकी है हलाक हो जायेगी तो इस सूरत में भी रुजूअ नहीं औरत कहती है कि फ़ासिद करने के इरादा से नहीं पिलाया था तो हल्फ़ के साथ उस का क़ौल मान लिया जाये (जौहरा दुर्रे मुख़्तार स 444 रद्दुल मुहतार स 445)

मसअला :– बड़ी ने छोटी को भूकी जान कर दूध पिला दिया बाद को मालूम हुआ कि भूकी न थी तो यह न कहा जायेगा कि फ़ासिद करने के इरादे से पिलाया (जौहरा)

मसअला :– रज़ाअ् के सुबूत के लिए दो मर्द या एक मर्द, और दो औरतें आदिल गवाह हों अगर्चे वह औरत खुद दूध पिलाने वाली हो फक़त औरतों की शहादत से सुबूत न होगा मगर बेहतर है कि औरतों के कहने से भी जुदाई कर ले। (जौहरा 446)

मसअला :– रज़ाअ् के सुबूत के लिए औरत के दअ्वा करने की कुछ ज़रूरत नहीं मगर तफ़रीक़ काज़ी के हुक्म से होगी या मुतारका से मदख़ूला में कहने की ज़रूरत है मसलन यह कहे कि मैं ने तुझे जुदा किया या छोड़ा और ग़ैर मदख़ूला में महज़ उस से अलाहिदा हो जाना काफ़ी है(रद्दुल मुहतार 448)

मसअला :– किसी औरत से निकाह किया और एक औरत ने आकर कहा मैं ने तुम दोनों को दूध पिलाया है अगर शौहर या दोनों उस के कहने को सच समझते हों तो फ़ासिद है और वती न की हो तो महर कुछ नहीं और अगर दोनों उस की बात झूटी समझते हो तो बेहतर जुदाई है अगर वह औरत आदिला है फिर अगर वती न हुई हो तो मर्द को अफ़ज़ल यह है कि निस्फ़ महर दे और औरत को अफ़ज़ल यह है कि न ले और वती हुई हो तो अफ़ज़ल यह है कि पूरा महर दे और नान नफ़का भी और औरत को अफ़ज़ल यह है कि महर मिस्ल और महर मुक़र्रर शुदा में जो कम है वह ले और अगर औरत को जुदा न करे जब भी हर्ज नहीं यूँही अगर ग़ैर आदिल या दो औरतों या एक मर्द और एक औरत ने शहादत दी तो उस में भी यही सूरतें हैं और अगर ज़ौजा ने उस ख़बर की तस्दीक़ की और शौहर ने तकज़ीब तो निकाह फ़ासिद नहीं मगर ज़ौजा शौहर से हल्फ़ ले सकती है अगर क़सम खाने से इन्कार करे तो तफ़रीक़ कर दीजायेगी। (आलमगीरी 347)

मसअला :– औरत के पास दो आदिल ने शहादत दी और शौहर मुन्किर है मगर क़ाज़ी के पास शहादत नहीं गुज़री फिर यह गवाह मरगये या ग़ाइब हो गये तो औरत को उस के पास रहना जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार 448)

मसअला :– सिर्फ़ दो औरतों ने क़ाज़ी के पास रज़ाअ् की (दूध के रिश्ते)शहादत दी और क़ाज़ी ने तफ़रीक़ का हुक्म दे दिया तो यह हुक्म नाफ़िज़ न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी औरत की निस्बत कहा कि यह मेरी दूध शरीक बहन है फिर उस इक़रार से फिर गया तो उस का कहना मान लिया जाये और अगर इक़रार के साथ यह भी कहा कि यह बात ठीक है सच्ची है सहीह है हक़ वही है जो मैं ने कहदिया तो अब इक़रार से फिर नहीं सकता और अगर उस औरत से निकाह कर चुका था अब उस क़िस्म का इक़रार करता है तो जुदाई कर दी जाये और अगर औरत इक़रार कर के फिर गई अगर्चे इक़रार पर इसरार किया और साबित रही हो तो उस का क़ौल भी मान लिया जाये दोनों इक़रार कर के फिर गये जब भी यही अहकाम हैं(दुर्रे मुख़्तार 448)

मसअला :– मर्द ने अपनी औरत की छाती चूसी तो निकाह में कोई नुक़सान न आया अगर्चे दूध मुँह में आगया बल्कि हल्क़ से उतर गया (दुर्रे मुख़्तार 229)

वली का बयान

इमाम अहमद व मुस्लिम इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सय्यब(जिसकी पहले शादी हो चुकी हो) वली से ज़्यादा अपने नफ़्स की हक़दार है और बिक (कुंवारी) से इजाज़त ली जाये और चुप रहना भी उस का इज़्न है अबूदाऊद और उन्हीं से मरवी कि एक जवान लड़की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की कि उस के बाप ने निकाह कर दिया और वह उस निकाह को नापसन्द करती है हुज़ूर ने उसे इख़्तियार दिया यअ्नी चाहे तो उस निकाह को जाइज़ कर दे या रद कर दे।

मसाइले फ़िक़्हिया

वली वह है जिस का क़ौल दूसरे पर नाफ़िज़ हो दूसरा चाहे या न चाहे वली का आक़िल बालिग़ होना शर्त है बच्चा और मजनून वली नहीं हो सकता मुसलमान के वली का मुसलमान होना भी शर्त है कि काफ़िर को मुसलमान पर कोई इख़्तियार नहीं मुत्तक़ी होना शर्त नहीं फ़ासिक़ भी वली हो सकता है विलायत के असबाब चार हैं। 1. क़राबत 2. मिल्क 3.विला 4. इमामत (दुर्रे मुख़्तार 321)

मसअला :– क़राबत की वजह से विलायत अस्बा बि–नफ़्सेही के लिए है यानी वह मर्द जिस को उस से क़राबत किसी औरत की वजह से न हो या यूँ समझो कि वह वारिस कि ज़विल फ़रुज़ के बाद जो कुछ बचे सब ले ले और अगर ज़विल फ़रुज़ न हों तो सारा माल यही ले ऐसी क़राबत वाला वली है और यहाँ भी वही तरतीब मलहूज़ है जो विरासत में मोअ्तबर है यानी सब में मुक़द्दम बेटा फिर पोता फिर पर पोता अगर्चे कई पुश्त का फ़ासिला हो यह न हों तो बाप फिर दादा फिर पर दादा वग़ैराहुम उसूल अगर्चे कई पुश्त ऊपर का हो फिर हक़ीक़ी भाई फिर सौतेला भाई फिर हक़ीक़ी भाई का बेटा फिर,सोतेले भाई का बेटा फिर हक़ीक़ी चचा फिर सौतेले चचा फिर हक़ीक़ी चचा का बेटा फिर सोतेले चचा का बेटा फिर बाप का हक़ीक़ी चचा फिर सौतेला चचा फिर बाप के हक़ीक़ी चचा का बेटा फिर सौतेले चचा का बेटा फिर दादा का हक़ीक़ी चचा फिर सौतेला चचा

फिर दादा के हक़ीक़ी चचा का बेटा फिर सोतेले चचा का बेटा ख़ुलासा यह कि उस ख़ान्दान में सब से ज़्यादा क़रीब का रिश्ता दार जो मर्द हो वली है अगर बेटा न हो तो जो हुक्म बेटे का है वही पोते का है वह न हो तो पर पोते का और अ़सबा के वली होने में उस का आज़ाद होना शर्त है अगर ग़ुलाम है तो उस को विलायत नहीं बल्कि उस सूरत में वली वह होगा जो उस के बाद वली हो सकता है (आलमगीरी, 283 दुर्रे मुख़्तार 337 वग़ैराहुमा)

मसअला :– किसी पागल औरत के बाप और बेटा या दादा और बेटा हैं तो बेटा वली है बाप और दादा नहीं मगर उस औरत का निकाह करना चाहें तो बेहतर यह कि बाप उस के बेटे (यानी अपने नवासे) को निकाह कर देने का हुक्म कर दे (आलमगीरी 283)

मसअला :– अ़स्बा न हो तो माँ वली है फिर दादी फिर नानी फिर बेटी फिर पोती फिर नवासी फिर पर पोती फिर नवासी की बेटी फिर नाना फिर हक़ीक़ी बहन फिर सोतेली बहन फिर अख़्याफ़ी भाई बहन यह दोनों एक दर्जे के हैं उन के बाद बहन वग़ैरहा की औलाद उसी तर्तीब से फिर फूफी फिर मामूँ फिर ख़ाला फिर चचाज़ाद बहन फिर उसी तर्तीब से उन की औलाद(ख़ानिया दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जब रिश्ता दार मौजूद न हो तो वली मौलल मवालात है यानी वह जिस के हाथ पर उस का बाप मुशर्रफ़ बइस्लाम हुआ और यह अ़हद किया कि उस के बाद यह उस का वारिस होगा या दोनों ने एक दूसरे का वारिस होना ठहरा लिया हो (ख़ानिया रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इन सब सूरतों के बाद बादशाहे इस्लाम वली है फिर क़ाज़ी जबकि सुलतान की तरफ़ से उसे नाबालिग़ों के निकाह का इख़्तियार दिया गया हो और अगर उस के मुतअ़ल्लिक़ यह काम न हो और निकाह कर दिया फिर सुलतान की तरफ़ से यह ख़िदमत भी उसे सुपुर्द हुई और क़ाज़ी ने उस निकाह को जाइज़ क़र दिया तो जाइज़ होगया (ख़ानिया)

मसअला :– क़ाज़ी ने अगर किसी नाबालिग़ा लड़की से अपना निकाह कर लिया तो यह निकाह बग़ैर वली के हुआ यानी उस सूरत में क़ाज़ी वली नहीं यूँही बादशाह ने अगर ऐसा किया तो यह भी बे वली के निकाह हुआ और अगर क़ाज़ी ने नाबालिग़ा लड़की का निकाह अपने बाप या लड़के से कराया तो यह भी जाइज़ नहीं। (आलमगीरी स 284 दुर्रे मुख़्तार 320)

मसअला :– क़ाज़ी के बाद क़ाज़ी का नाइब है जबकि बादशाहे इस्लाम ने क़ाज़ी को यह इख़्तियार दिया हो और क़ाज़ी ने उस नाइब को इजाज़त दी हो या तमाम उमूर में उस को नाइब किया हो (रद्दुल मुहतार 340)

मसअला :– वसी को यह इख़्तियार नहीं कि यतीम का निकाह कर दे अगर्चे उस यतीम के बाप दादा ने यह वसीयत भी की हो कि मेरे बाद तुम उस का निकाह कर देना अल्बत्ता अगर वह क़रीब का रिश्ता दार या हाकिम है तो कर सकता है कि अब वह वली भी है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नाबालिग़ बच्चे की किसी ने परवरिश की मसलन उसे मुतबन्ना किया या लावारिस बच्चा कहीं पड़ा मिला उसे पाल लिया तो यह शख़्स उस के निकाह का वली नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– लोन्डी, ग़ुलाम के निकाह का वली उन का मौला है उस के सिवा किसी को विलायत नहीं अगर किसी और ने या उस ने ख़ुद निकाह कर लिया तो वह निकाह मौला की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहेगा जाइज़ कर देगा जाइज़ हो जायेगा रद कर देगा बातिल हो जायेगा और अगर ग़ुलाम दो शख़्स में मुश्तरक है तो एक शख़्स तन्हा उस का निकाह नहीं कर सकता (ख़ानिया)

मसअला :– मुसलमान शख़्स काफ़िरा के निकाह का वली नहीं मगर काफ़िरा बाँदी का वली उस का मौला है यूँही बादशाहे इस्लाम और क़ाज़ी भी काफ़िरा के वली हैं कि उस को उस का निकाह करने की इजाज़त है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लौन्डी ग़ुलाम वली नहीं हो सकते यहाँ तक कि मकातिब अपने लड़के का वली नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– काफ़िरे अस़ली काफ़िरे अस़्ली का वली है और मुरतद किसी का भी वली नहीं न मुस्लिम का न काफ़िर का यहाँ तक कि मुरतद मुरतद्दा का भी वली नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– वली अगर पागल हो गया तो उस की विलायत जाती रही और अगर उस क़िस्म का पागल है कि कभी पागल रहता है और कभी होश में तो विलायत बाक़ी है इफ़ाक़ा की हालत में जो कुछ तसर्रुफ़ात करेगा नाफ़िज़ होंगे (आलमगीरी)

मसअला :– लड़का मअ़तूह या मजनून है और उसी हालत में बालिग़ हुआ तो बाप की विलायत अब भी बदस्तूर बाक़ी है और अगर बुलूग़ के वक़्त आक़िल था फिर मजनून या मअ़तूह (पागल) होगया तो बाप की विलायत फिर ऊद(वापस)कर आयेगी और किसी का बाप मजनून हो गया तो उस का बेटा वली है अपने बाप का निकाह कर सकता है (आलमगीरी 284)

मसअला :– अपने बालिग़ लड़के का निकाह कर दिया और अभी लड़के ने जाइज़ न किया था कि पागल हो गया अब उस के बाप ने निकाह जाइज़ कर दिया तो जाइज़ हो गया। (आलमगीरी)

मसअला :– नाबालिग़ ने अपना निकाह ख़ुद किया और न उस का वली है न वहाँ हाकिम तो यह निकाह मौक़ूफ़ है बालिग़ होकर अगर जाइज़ कर देगा हो जायेगा और अगर नाबालिग़ ने बालिग़ औरत से निकाह किया फिर ग़ाइब हो गया फिर औरत ने दूसरा निकाह किया और नाबालिग़ ने बुलूग़ के वक़्त निकाह जाइज़ कर दिया था अगर दूसरा निकाह इजाज़त से पहले किया तो दूसरा हो गया और बाद में तो नहीं और अब पहला हो गया (दुर्रे मुख़्तार स 341 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दो बराबर के वली ने निकाह कर दिया मसलन उस के दो हक़ीक़ी भाई हैं दोनों ने निकाह कर दिया तो जिस ने पहले किया वह सहीह है और अगर दोनों ने एक साथ किया हो या मालूम न हो कि कौन पीछे है कौन पहले तो दोनों बातिल (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वली अक़रब (ज़्यादा क़रीब) ग़ाइब है उस वक़्त दूर वाले वली ने निकाह कर दिया तो सहीह है और अगर उस की मौजूदगी में निकाह किया तो उसकी इजाज़त पर मौक़ूफ़ है महज़ उस का सुकूत काफ़ी नहीं बल्कि सराहतन या वलायतन इजाज़त की ज़रूरत है यहाँ तक कि अगर वली अक़रब मज्लिस में मौजूद हो तो यह भी इजाज़त नहीं और अगर उस वली अक़रब ने न इजाज़त दी थी न, रद किया और मरगया या ग़ाइब हो गया कि अब विलायत उसी दूर वाले को पहुँची तो वह क़ब्ल में उस का निकाह कर देना इजाज़त नहीं बल्कि अब उसकी जदीद इजाज़त दरकार है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वली के ग़ाइब होने से मुराद यह है कि अगर उस का इन्तिज़ार किया जाये तो वह जिस ने पैग़ाम दिया है और कफ़ू भी है हाथ से जाता रहेगा अगर वली करीब मफ़क़ूदुलख़बर(पता नहीं) हो या कहीं दूर रहा करता हो कि उस का पता मालूम न हो या वह वली उसी शहर में छुपा

हुआ है मगर लोगों को उस का हाल मालूम नहीं और वली अबअद ने निकाह कर दिया और वह अब ज़ाहिर हुआ तो निकाह सहीह होगया (ख़ानिया वग़ैरह)

मसअला :- वली अकरब सालिहे विलायत नहीं मसलन बच्चा है या मजनून तो वली अबअद ही निकाह का वली है (आलमगीरी)

मसअला :- मौला अगर गाइब भी हो जाये और उस का पता भी न चले जब भी लौन्डी गुलाम के निकाह की विलायत उसी को है उस के रिश्तेदार वली नहीं (आलमगीरी 285)

मसअला :- लौन्डी आजाद हो गई और उसका अस्बा कोई न हो तो वह अस्बा है जिस ने उसे आज़ाद किया और उसी की इजाजत से निकाह होगा वह मर्द हो या औरत और ज़विलअरहाम पर आज़ाद करने वाला मुकद्दम है (जौहरा नय्यरा)

मसअला :- कफ़ू ने पैगाम दिया और महरे मिस्ल भी देने पर तैयार है मगर वली अकरब लड़की का निकाह उस से नहीं करता बल्कि बिला वजह इन्कार करता है तो वली अबअद(दूर का वली) निकाह कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार 342)

मसअला :- नाबालिग और मजनून और लौन्डी गुलाम के निकाह के लिए वली शर्त है बग़ैर वली उन का निकाह नहीं हो सकता और हुर्रा बालिग़ा आक़िला ने बग़ैर वली कफ़ू से निकाह किया तो निकाह सहीह होगया और ग़ैर कफ़ू से निकाह किया तो न हुआ अगर्चे निकाह के बाद राज़ी हो गया अल्बत्ता अगर वली ने सुकूत किया और कुछ जवाब न दिया और औरत के बच्चा भी पैदा हो गया तो अब निकाह सहीह माना जायेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार स 321)

मसअला :- जिस औरत का कोई अ़सबा न हो वह अगर अपना निकाह जान बूझकर ग़ैर कफ़ू से करे तो निकाह हो जायेगा।

मसअला :- जिस औरत को उस के शौहर ने तीन तलाक़ें दे दीं बाद इद्दत उस ने जान बूझ कर ग़ैर कफ़ू से निकाह कर लिया और वली राज़ी नहीं या वली को उस का ग़ैर कफ़ू होना मालूम नहीं तो यह औरत शौहरे अव्वल के लिए हलाल न हुई (दुर्रे मुख़्तार 322)

मसअला :- एक दर्जे के चन्द वली हों बाज़ का राज़ी हो जाना काफ़ी है और अगर मुख़्तलिफ़ दरजे के हों तो अक़रब(ज़्यादा क़रीब) का राज़ी होना ज़रूरी है कि हक़ीक़तन यही वली है और जिस वली की रज़ा से निकाह हुआ जब उस से कहा गया तो यह कहता है कि यह शख़्स कफ़ू है तो अब उस की रज़ा बेकार है उस की रज़ा से बक़िया वुरसा का हक़ साक़ित न होगा(रद्दुल मुहतार 323 वग़ैरा)

मसअला :- राजी होना दो तरह है एक यह कि सराहतन कहदे कि मैं राज़ी हूँ दूसरे यह कि कोई ऐसा फ़ेल यानी काम पाया जाये जिस से राज़ी होना समझा जाता हो मसलन महर पर क़ब्ज़ा करना या महर का मुतालबा या दअ्वा कर देना या औरत को रुख़सत कर देना कि यह सब अफ़आल राज़ी होने की दलील हैं उस को दलालतन रज़ा कहते हैं और वली का सुकूत रज़ा नहीं (दुर्रे मुख़्तार 324)

मसअला :- शाफ़िई औरत बालिग़ा कुवारी ने हन्फ़ी से निकाह किया और उस का बाप राज़ी नहीं तो निकाह सहीह हो गया यूँही उस का अक्स (आलमगीरी 287)

मसअला :- औरत बालिग़ा आक़िला का निकाह बग़ैर उस की इजाज़त के कोई नहीं कर सकता न उस का बाप न बादशाहे इस्लाम कुँवारी हो या सय्यब यूँही मर्द बालिग़ आज़ाद और मकातिब व

मकातिबा का अक़्दे निकाह बिला उन की मरज़ी के कोई नहीं कर सकता(आलमगीरी स 287 दुर्रे मुख़्तार 324)

मसअला :- कुँवारी औरत से उस के वली या वली के वकील या क़ासिद ने इज़्न माँगा या वली ने बिला इजाज़त लिए निकाह कर दिया अब उस के क़ासिद ने या किसी फ़ुज़ूली आदिल ने ख़बर दी और औरत ने सुकूत किया या हँसी या मुसकुराई या बग़ैर आवाज़ के रोई तो इन सब सूरतों में इज़्न समझा जायेगा कि पहली सूरत में निकाह कर देने की इजाज़त है दूसरी में निकाह किया हुआ मन्ज़ूर है और अगर इज़्न तलब करते वक़्त या जिस वक़्त निकाह हो जाने की ख़बर दी गई उस ने सुन कर कुछ जवाब न दिया बल्कि किसी और से कलाम करना शुरू किया मगर निकाह को रद न किया तो यह भी इज़्न है और चुप रहना इस वजह से हुआ कि उसे खाँसी या छींक आगई तो यह रज़ा नहीं इसके बाद रद कर सकती है यूँही अगर किसी ने उस का मुँह बन्द कर दिया कि बोल न सकी तो रज़ा नहीं और हँसना अगर बतौर इस्तिहज़ा के हो या रोना आवाज़ से हो तो इज़्न नहीं (दुर्रे मुख़्तार 324 आलमगीरी287)

मसअला :- एक दरजा के दो वली ने बएक वक़्त दो शख़्सों से निकाह कर दिया और दोनों की ख़बर एक साथ पहुँची औरत ने सुकूत किया तो दोनों मौक़ूफ़ हैं अपने क़ौल या फ़ेल से जिस एक को जाइज़ करे जाइज़ है और दूसरा बातिल और दोनों को जाइज़ किया तो दोनों बातिल और दोनों ने इज़्न माँगा और औरत ने सुकूत किया तो जो पहले निकाह कर दे वह होगा(दुर्रे मुख़्तार स 325 रद्दुलमुहतार)

मसअला :- वली ने निकाह कर दिया औरत को ख़बर पहुँची उस ने सुकूत किया मगर उस वक़्त शौहर मर चुका था तो यह इज़्न नहीं और अगर शौहर के मरजाने के बाद कहती है कि मेरे इज़्न से मेरे बाप ने उस से निकाह किया और शौहर के वुरसा इन्कार करें तो औरत का क़ौल माना जायेगा लिहाज़ा वारिस होगी और इद्दत वाजिब और अगर औरत ने यह बयान किया कि मेरे इज़्न के बग़ैर निकाह हुआ मगर जब निकाह की ख़बर पहुँची मैंने निकाह को जाइज़ किया तो वुरसा का क़ौल मोअ्तबर है अब न महर पायेगी न मीरास रहा यह कि इद्दत गुज़ारेगी या नहीं अगर वाक़ेअ् में सच्ची है तो इद्दत गुज़ारे वरना नहीं मगर निकाह करना चाहे तो इद्दत तक रोकी जायेगी जब उस ने अपना निकाह होना बयान किया तो अब बग़ैर इद्दत क्योंकर निकाह करेगी(आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :- औरत से इज़्न लेने गये उस ने कहा किसी और से होता तो बेहतर था तो यह इन्कार है और अगर निकाह के बाद ख़बर दी गई और औरत ने वही लफ़्ज़ कहे तो कबूल समझा जायेगा (दुर्रे मुख़्तार स 325)

मसअला :- वली उस औरत से ख़ुद अपना निकाह करना चाहता है और इज़्न लेने गया उस ने सुकूत किया तो यह रज़ा है और अगर निकाह अपने से कर लिया अब ख़बर दी और सुकूत किया तो यह रद है रज़ा नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :- किसी ख़ास की निस्बत औरत से इज़्न माँगा उस ने इन्कार कर दिया मगर वली ने उसी से निकाह कर दिया अब ख़बर पहुँची और साकित (चुप) रही तो यह इज़्न हो गया और अगर कहा कि मैं तो पहले ही से उस से निकाह नहीं चाहती हूँ तो यह रद है और अगर जिस वक़्त ख़बर पहुँची इन्कार किया फिर बाद को रज़ा ज़ाहिर की तो यह निकाह जाइज़ न हुआ (रद्दुल मुहतार)

मसअला :- इज़्न लेने में यह भी ज़रूरी है कि जिस से निकाह करने का इरादा हो उस का नाम

उस तरह लिया जाये जिस को वह औरत जान सके अगर यूँ कहा कि एक मर्द से तेरा निकाह कर दूँ या यूँ कि फ़लाँ क़ौम के एक शख़्स से निकाह कर दूँ तो यूँ इज़्न नहीं हो सकता अगर यूँ कहा कि फ़ुलाँ या फ़ुलाँ से तेरा निकाह कर दूँ और औरत ने सुकूत किया तो इज़्न हो गया उन दोनों में जिस एक से चाहे कर दे या यूँ कहा कि पड़ोस वालों में से किसी से निकाह कर दूँ या यूँ कहा कि चचा ज़ाद भाईयों में किसी से निकाह कर दूँ और सुकूत किया और दोनों सूरतों में उन सब को जानती भी हो तो इज़्न होगया उन में जिस एक से करेगा हो जायेगा और सब को जानती न हो तो इज़्न नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स 326 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत ने इज़्ने आम दे दिया मसलन वली ने कहा कि बहुत से लोगों ने पैग़ाम भेजा है औरत ने कहा जो तू करे मुझे मनज़ूर है या जिस से तू चाहे निकाह कर दे तो यह इज़्ने आम है जिस से चाहे निकाह कर दे मगर उस सूरत में भी अगर किसी ख़ास शख़्स की निस्बत औरत पेशतर इन्कार कर चुकी है तो उस के बारे में इज़्न न समझा जायेगा (दुर्रे मुख़्तार 326 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इज़्न लेने में महर का ज़िक्र शर्त नहीं और बाज़ मशाइख़ ने शर्त बताया लिहाज़ा ज़िक्र हो जाना चाहिए कि इख़्तिलाफ़ से बचना है और अगर ज़िक्र न किया तो ज़रूर है कि जो महर बाँधा जाये वह महरे मिस्ल से कम न हो और कम हो तो बग़ैर औरत के राज़ी हुए अक़्द सहीह न होगा और अगर ज़्यादा कमी हो तो अगर्चे औरत राज़ी हो औलिया को एअ्तिराज़ का हक़ हासिल है यानी जबकि किसी ग़ैर वली ने निकाह किया हो और वली ने ख़ुद ऐसा किया तो कौन एअ्तिराज़ करे (रद्दुल मुहतार स 326)

मसअला :– वली ने औरत बालिग़ा का निकाह उस के सामने कर दिया और उसे उस का इल्म भी हुआ और सुकूत किया तो यह रज़ा है (दुर्रे मुख़्तार 326)

मसअला :– यह अहकाम जो मज़कूर हुए वली अक़रब के हैं अगर वली बईद या अजनबी ने निकाह का इज़्न तलब किया तो सुकूत इज़्न नहीं बल्कि अगर कुँवारी है तो सराहतन इज़्न के अल्फ़ाज़ कहे या कोई ऐसा फ़ेल करे जो क़ौल के हुक्म में हो मसलन महर या नफ़्क़ा तलब करना ख़ुशी से हँसना, ख़लवत पर राज़ी होना महर या नफ़्क़ा क़बूल करना (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वली ने औरत से कहा मैं यह चाहता हूँ कि फ़ुलाँ से तेरा निकाह कर दूँ उस ने कहा ठीक है जब चला गया तो कहने लगी मैं राज़ी नहीं और वली को उस का इल्म न हुआ और निकाह कर दिया तो सहीह हो गया (आलमगीरी स 288)

मसअला :– बिक्र (कुँवारी) वह औरत है जिस से निकाह के साथ वती न की गई हो लिहाज़ा अगर ज़ीना पर चढ़ने या उतरने या कूदने या हैज़ या ज़ख़्म या बिला निकाह ज़्यादा उम्र हो जाने या ज़िना की वजह से बुकारत ज़ाइल होगई जब भी वह कुँवारी ही कहलायेगी यूँही अगर उस का निकाह हुआ मगर शौहर नामर्द है या उस का उज़्वे तनासुल मक़तूआ है उस वजह से तफ़रीक़ हो गई बल्कि अगर शौहर ने वती से पहले तलाक़ दे दी या मरगया अगर्चे इन सब सूरतों में ख़लवत हो चुकी हो जब भी बिक्र है मगर चन्द बार उस ने ज़ना किया कि लोगों को उस का हाल मालूम होगया या उस पर हद्दे ज़िना क़ाइम की गई अगर्चे एक ही बार वाक़ेअ् हुआ हो तो अब वह औरत बिक्र नहीं क़रार दी जायेगी और जो औरत कुँवारी न हो उस को सय्यब कहते हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लड़की का निकाह नाबालिग़ा समझ कर उस के बाप ने कर दिया वह कहती है मैं बालिग़ा हूँ मेरा निकाह सहीह न हुआ और उस का बाप या शौहर कहता है नाबालिग़ा है और निकाह सहीह है तो अगर उस की उम्र नौ बरस की हो और मुराहिक़ा हो तो लड़की का क़ौल माना जायेगा और अगर दोनों ने अपने अपने दअ्वा पर गवाह पेश किये तो बुलूग़ के गवाह को तरजीह है यूँही अगर लड़के मुराहिक़ ने अपने बुलूग़ का दअ्वा किया तो उसी का क़ौल मोअ्तबर है मसलन उस के बाप ने उस की कोई चीज़ बेच डाली यह कहता है मैं बालिग़ हूँ और बैअ् सहीह न हुई उस का बाप या ख़रीदार कहता है नाबालिग़ है तो बालिग़ होना क़रार पायेगा जबकि उस की उम्र उस क़ाबिल हो (दुर्रे मुख़्तार 329)

मसअला :– नाबालिग़ लड़का और लड़की अगर्चे सय्यब हो और मजनून व मअ्तूह के निकाह पर वली को विलायते इजबार (जबरदस्ती) हासिल है यानी अगर्चे यह लोग न चाहें वली ने जब निकाह करदिया हो गया फिर अगर बाप दादा या बेटे ने निकाह कर दिया है तो अगर्चे महर मिस्ल से बहुत कम या ज़्यादा पर निकाह किया या ग़ैर कफ़ू से किया जब भी हो जायेगा बल्कि लाज़िम हो जायेगा कि उन को बालिग़ होने के बाद या मजनून को होश आने के बाद उस निकाह के तोड़ने का इख़्तियार नहीं यूँही मौला का निकाह किया हुआ भी फ़स्ख़ नहीं हो सकता हाँ अगर बाप दादा या लड़के का सूए इख़्तियार मालूम हो चुका हो मसलन उस से पेशतर उस ने अपनी लड़की का निकाह किसी ग़ैर कफ़ू फ़ासिक़ वग़ैरा से कर दिया और अब यह दूसरा निकाह ग़ैर कफ़ू से करेगा तो सहीह न होगा यूँहीं अगर नशे की हालत में ग़ैर कफ़ू से या महरे मिस्ल में ज़्यादा कमी के साथ निकाह किया तो सहीह न हुआ और अगर बाप दादा या बेटे के सिवा किसी और ने किया है और ग़ैर कफ़ू या महर मिस्ल में ज़्यादा कमी बेशी के साथ हुआ तो मुतलक़न सहीह नहीं। और अगर कफ़ू से महरे मिस्ल के साथ किया है तो सहीह है मगर बालिग़ होने के बाद और मजनून को इफ़ाक़ा के बाद और मअ्तूह को आक़िल होने के बाद फ़स्ख़ का इख़्तियार होगा अगर्चे ख़लवत बल्कि वती हो चुकी हो यानी अगर निकाह होना पहले से मालूम है तो बिक्र बालिग़ होते ही फ़ौरन और अगर मालूम न था तो जिस वक़्त मालूम हो उसी वक़्त फ़ौरन फ़स्ख़ कर सकती है अगर कुछ भी वक़्फ़ा हुआ तो इख़्तियारे फ़स्ख़ जाता रहा यह न होगा के आख़िर मज्लिस तक इख़्तियार बाक़ी रहे मगर निकाह फ़स्ख़ उस वक़्त होगा जब क़ाज़ी फ़स्ख़ का हुक्म भी दे दे लिहाज़ा उसी इसना में क़ब्ल हुक्मे क़ाज़ी अगर एक का इन्तिक़ाल हो गया तो दूसरा वारिस होगा और पूरा महर लाज़िम होगा (दुर्रे मुख़्तार, स 329 ख़ानिया 333 जौहरा वग़ैरहा)

मसअला :– औरत को ख़ियारे बुलूग़ हासिल था जिस वक़्त बालिग़ हुई उसी वक़्त उसे यह ख़बर मिली कि फ़ुलाँ जाइदाद फ़रोख़्त हुई जिस का शुफ़आ यह कर सकती है ऐसी हालत में अगर शुफ़आ करना ज़ाहिर करती है तो ख़ियारे बुलूग़ जाता है और अपने नफ़्स को इख़्तियार करती है तो शुफ़आ जाता है और चाहती यह है कि दोनों हासिल हो लिहाज़ा उस का तरीक़ा यह है कि कहे मैं दोनों हक़ तलब करती हूँ फिर तफ़सील में पहले ख़ियारे बुलूग़ को ज़िक्र करे और सय्यब को ऐसा मुआमला पेश आये तो शुफ़आ को मुक़द्दम करे और उस की वजह से ख़ियारे बुलूग़ बातिल न होगा (दुर्रे मुख़्तार 336)

मसअला :– औरत जिस वक़्त बालिग़ा हुई उसी वक़्त किसी को गवाह बनाये कि मैं अभी बालिग़ा हुई और अपने नफ़्स को इख़्तियार करती हूँ और रात में अगर उसे हैज़ आया तो उसी वक़्त अपने नफ़्स को इख़्तियार करे और सुबह को गवाहों के सामने अपना बालिग़ होना और इख़्तियार करना बयान करे मगर यह न कहे कि रात में बालिग़ हुई बल्कि यह कहे कि मैं उस वक़्त बालिग़ हुई और अपने नफ़्स को इख़्तियार किया और उस लफ़्ज़ से यह मुराद ले कि मैं उस वक़्त बालिग़ हूँ ताकि झूट न हो (बज़ाज़िया वग़ैराहुमा)

मसअला :– औरत को यह मालूम न था कि उसे ख़ियारे बुलूग़ हासिल है इस बिना पर उस ने उस पर अमल दरआमद भी न किया अब उसे यह मसअला मालूम हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकती कि उस के लिए जहल उ़ज़्र नहीं और लौन्डी किसी के निकाह में है अब आज़ाद हुई तो उसे ख़ियारे इत्क़ हासिल है कि बाद आज़ादी चाहे उस निकाह पर बाक़ी रहे या फ़स्ख़ कराले उस के लिए जहल उ़ज़्र है कि बाँदियों को मसाइल सीखने का मौक़ा नहीं मिलता और हुर्रा को हर वक़्त हासिल है और न सीखना ख़ुद उसी का क़ुसूर है लिहाज़ा क़ाबिले मअ़ज़ूरी नहीं।(दुर्रे मुख़्तार स 238 वग़ैरा)

मसअला :– लड़का या सय्यब बालिग़ हुए तो सुकूत से ख़ियारे बुलूग़ बातिल न होगा जब तक साफ़ तौर पर अपनी रज़ा या कोई ऐसा फ़ेल जो रज़ा पर दलालत करे (मसलन बोसा लेना, छूना, महर लेना देना वती पर राज़ी होना) न पाया जाये मज्लिस से उठ जाना भी ख़ियार को बातिल नहीं करता कि उसका वक़्त महदूद नहीं उम्र भर उस का वक़्त है (ख़ानिया 337) रहा यह अम्र कि फ़स्ख़े निकाह से महर लाज़िम आयेगा या नहीं अगर उस से वती न हुई तो महर भी नहीं अगर्चे जुदाई बीवी की जानिब से हो (जौहरा)

मसअला :– अगर वती हो चुकी है तो फ़स्ख़ के बाद औरत के लिए इद्दत भी है वरना नहीं और उस ज़माने–ए–इद्दत में अगर शौहर उसे तलाक़ दे तो वाक़ेअ़ न होगी और यह फ़स्ख़ तलाक़ नहीं लिहाज़ा अगर फिर उन्हीं दोनों का बाहम निकाह हो तो शौहर तीन तलाक़ का मालिक होगा(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सय्यब का निकाह हुआ उस के बाद शौहर के यहाँ से कुछ तोहफ़ा आया उस ने ले लिया रज़ा साबित न हुई यूँही अगर उस के यहाँ खाना खाया या उस की ख़िदमत की और पहले भी ख़िदमत करती थी तो रज़ा नहीं (आलमगीरी स 290)

मसअला :– नाबालिग़ ग़ुलाम का निकाह नाबालिग़ा लौन्डी से उन के मौला ने करदिया फिर उन को आज़ाद कर दिया अब बालिग़ हुए तो उन को ख़ियारे बुलूग़ हासिल नहीं और अगर लौन्डी को आज़ाद करने के बाद निकाह किया तो बालिग़ा होने के बाद उसे ख़ियार हासिल है (आलमगीरी)

कफ़ू का बयान

तिर्मिज़ी व हाकिम व इब्ने माजा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब ऐसा शख़्स पैग़ाम भेजे जिस के ख़ुल्क़ व दीन को पसन्द करते हो तो निकाह कर दो अगर न करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और फ़सादे अ़ज़ीम होगा। तिर्मिज़ी शरीफ़ में मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अ़ली तीन चीज़ों में ताख़ीर न करो 1. नमाज़ का जब वक़्त आजाये 2. जनाज़ा जब मौजूद हो 3. बे शौहर वाली का जब कफ़ू मिले कफ़ू के यह मअ़ना हैं कि मर्द औरत से नसब वग़ैरा में इतना कम न हो कि उस से निकाह औरत के औलिया के लिए बाइसे नंग

व आर हो किफ़ाअ़त सिर्फ़ मर्द की जानिब से मोअ़तबर है औरत अगर्चे कम दरजा की हो उस का एअ़तिबार नहीं (आम्मए कुतुब)

मसअला :– बाप दादा के सिवा किसी और वली ने नाबालिग़ लड़के का निकाह ग़ैर कफ़ू से कर दिया तो निकाह सहीह नहीं और बालिग़ अपना ख़ुद निकाह करना चाहे तो ग़ैर कफ़ू औरत से कर सकता है कि औरत की जानिब से उस सूरत में किफ़ाअत मोअ़तबर नहीं और नाबालिग़ में दोनों तरफ़ से किफ़ाअत का एअ़तिबार है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किफ़ाअ़त में छः चीज़ों का एअ़तिबार है (1) नसब (2) इस्लाम (3) हिरफ़ा(पेशा)(4) हुर्रियत (5) दियानत (6) माल क़ुरैश में जितने ख़ान्दान हैं वह सब बाहम कफ़ू हैं यहाँ तक कि क़र्शी ग़ैर हाश्मी हाशमी का कफ़ू है और कोई ग़ैर क़र्शी क़ुरैश का कफ़ू नहीं। क़ुरैश के अ़लावा अ़रब की तमाम क़ौमें एक दूसरे की कफ़ू हैं अन्सार व मुहाजिरीन सब उस में बराबर हैं। अजमीयुन्नस्ब अ़रबी का कफ़ू नहीं मगर आ़लिमे दीन कि उस की शराफ़त नसब की शराफ़त पर फ़ौक़ियत रखती है(ख़ानिया आलमगीरी)

मसअला :– जो ख़ुद मुसलमान हुआ यानी उस के बाप दादा मुसलमान न थे वह उस का कफ़ू नहीं जिस का बाप मुसलमान हो और जिस का सिर्फ़ बाप मुसलमान हो उस का कफ़ू नहीं जिस का दादा भी मुसलमान हो और बाप दादा दो पुश्त से इस्लाम हो तो अब दूसरी तरफ़ अगर्चे ज़्यादा पुश्तों से इस्लाम हो कफ़ू हैं मगर बाप दादा के इस्लाम का एअ़तिबार ग़ैर अ़रब में है अ़रबी के लिए ख़ुद मुसलमान हुआ या बाप दादा से इस्लाम चला आता हो सब बराबर हैं (ख़ानिया दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुरतद अगर इस्लाम लाया तो वह उस मुसलमान का कफ़ू है जो मुरतद न हुआ था (दुर्रे मुख़्तार स 347)

मसअला :– ग़ुलाम हुर्रा का कफ़ू नहीं न वह जो आज़ाद किया गया हुर्रा–ए–अस्लिया का कफ़ू है और जिस का बाप दादा आज़ाद किया गया वह उस का कफ़ू नहीं जिस का दादा आज़ाद किया गया और जिस का दादा आज़ाद किया गया वह उस का कफ़ू है जिस की आज़ादी कई पुश्त से है (ख़ानिया)

मसअला :– जिस लौन्डी के आज़ाद करने वाले अशराफ़ हों उस का कफ़ू वह नहीं जिस के आज़ाद करने वाले ग़ैर अशराफ़ हों (आलमगीरी स 290)

मसअला :– फ़ासिक़ शख़्स मुत्तक़ी की लड़की का कफ़ू नहीं अगर्चे वह लड़की ख़ुद मुत्तक़िया न हो (दुर्रे मुख़्तार 337 वग़ैरा) और ज़ाहिर कि फ़िस्क़े एअ़तिक़ादी फ़िस्क़े अ़मली से बदरजहा बदतर लिहाज़ा सुन्नी औरत का कफ़ू वह बद मज़हब नहीं हो सकता जिस की बद मज़हबी हद्दे कुफ़्र को न पहुँची हो और जो बदमज़हब ऐसे हैं कि उन की बद मज़हबी कुफ़्र को पहुँची हो उन से तो निकाह ही नहीं हो सकता कि वह मुसलमान ही नहीं कफ़ू होना तो बड़ी बात है जैसे रवाफ़िज़ व वहाबिया–ए–ज़माना कि उन के अ़क़ाइद व अक़वाल का बयान हिस्सए अव्वल में हो चुका है।

मसअला :– माल में किफ़ाअ़त के यह मअ़ना हैं कि मर्द के पास इतना माल हो कि महर मुअ़ज्जल और नफ़्क़ा देने पर क़ादिर हो अगर्चे पेशा न करता हो तो एक माह का नफ़्क़ा देने पर क़ादिर हो वरना रोज़ की मज़दूरी इतनी हो कि औरत के रोज़ के ज़रूरी मसारिफ़ रोज़ दे सके उस की ज़रूरत नहीं कि माल में यह उस के बराबर हो (ख़ानिया दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मर्द के पास माल है मगर जितना महर है उतना ही उस पर क़र्ज़ भी है और माल

इतना है कि क़र्ज़ अदा कर दे या दैन महर तो कफ़ू है (रद्दुल मुहतार स 348)

मसअला :– औरत मोहताजे है और उस के बाप दादा भी ऐसे ही हैं तो उस का कफ़ू बहैसियत माल वही होगा कि महर मुअज्जल और नफ़्क़ा देने पर क़ादिर हो (ख़ानिया)

मसअला :– मालदार शख़्स का नाबालिग़ लड़का अगर्चे वह ख़ुद माल का मालिक नहीं मगर मालदार क़रार दिया जायेगा कि छोटे बच्चे बाप दादा के माल होने से ग़नी कहलाते हैं(ख़ानिया वग़ैरा)

मसअला :– मुहताज ने निकाह किया और औरत ने महर मुआफ़ कर दिया तो वह कफ़ू नहीं हो जायेगा कि किफ़ाअत का एअ्तिबार वक़्ते अक़्द है और अक़्द के वक़्त वह कफ़ू न था (आलमगीरी 291)

मसअला :– नफ़्क़ा पर क़ुदरते कफ़ू होने में उस वक़्त ज़रूरी है कि औरत क़ाबिले जिमाअ् हो वरना जब तक उस क़ाबिल न हो शौहर पर उसका नफ़्क़ा वाजिब नहीं लिहाज़ा उस पर क़ुदरत भी ज़रूरी नहीं सिर्फ़ महरे मुअज्जल पर क़ुदरत काफ़ी है (आलमगीरी)

मसअला :– जिन लोगों के पेशे ज़लील समझे जाते हों वह अच्छे पेशा वालों के कफ़ू नहीं मसलन जूता बनाने वाले, चमड़ा पकाने वाले, साईस चरवाहे यह उन के कफ़ू नहीं जो कपड़ा बेचते इत्र फ़रोशी करते तिजारत करते हैं और अगर ख़ुद जूता न बनाता हो बल्कि कार ख़ाना दार है कि उस के यहाँ लोग नौकर हैं या दुकानदार है कि बने हुए जूते लेता और बेचता है तो ताजिर वग़ैरा का कफ़ू है यूँही और कामों में (दुर्रे मुख़्तार स 349 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नाजाइज़ महकमों की नौकरी करने वाले या वह नौकरियाँ जिन में ज़ालिमों का इत्तिबाअ् करना होता है अगर्चे यह सब पेशों से रज़ील पेशा है और उलमा–ए–मुतक़द्दिमीन ने इस बारे में यही फ़तवा दिया था कि अगर्चे यह कितने ही मालदार हों ताजिर वग़ैरा के कफ़ू नहीं मगर चूँकि किफ़ाअत का मदार उर्फ़ दुनियवी पर है और उस ज़माना में तक़्वा व दियानत पर इज़्ज़त का मदार नहीं बल्कि अब तो दुनियवी वजाहत देखी जाती है और यह लोग चूँकि उर्फ़ में वजाहत वाले कहे जाते हैं लिहाज़ा उलमाए–मुताअख़्ख़िरीन ने इन के कफ़ू होने का फ़तवा दिया जब कि इन की नौकरियाँ उर्फ़ में ज़लील न हों (रद्दुल मुहतार स 349)

मसअला :– औक़ाफ़ की नौकरी भी मिनजुमला पेशा के है अगर ज़लील काम पर न हो तो ताजिर वग़ैरा का कफ़ू हो सकता है यूँही इल्मे दीन पढ़ाने वाले ताजिर वग़ैरा के कफ़ू हैं बल्कि इल्मी फ़ज़ीलतों पर ग़ालिब हैं कि ताजिर वग़ैरा आलिम के कफ़ू नहीं (दुर्रे मुख़्तार 350 रद्दुल मुहतार) निकाह के वक़्त कफ़ू था बाद में किफ़ाअत जाती रही तो निकाह फ़स्ख़ नहीं किया जायेगा और अगर पहले किसी का पेशा कम दरजा का था जिस की वजह से कफ़ू न था और उस ने उस काम को छोड़ दिया अगर आर बाक़ी है तो अब भी कफ़ू नहीं वरना है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किफ़ाअत में शहरी और देहाती होना मोअ्तबर नहीं जबकि शराइत मज़कूरा पाये जायें(ख़ानिया)

मसअला :– हुस्न व जमाल का एअ्तिबार नहीं मगर औलिया को चाहिए कि उस का भी ख़याल कर लें कि बाद में कोई ख़राबी न वाक़ेअ् हो (आलमगीरी)

मसअला :– अमराज़ व उयूब मसलन जुज़ाम, जुनून, बरस, गन्दा दहनी वग़ैरहा का एअ्तेबार नहीं(ख़ानिया)

मसअला :– किसी ने अपना नसब छुपाया और दूसरा नसब बता दिया बाद को मालूम हुआ तो अगर इतना कम दरजा है कि कफ़ू नहीं तो औरत और उसके औलिया को हक़्क़े फ़स्ख़ हासिल है

और अगर इतना कम नहीं कि कफ़ू न हो तो औलिया को हक़ नहीं है औरत को है और अगर उस का नसब उस बढ़ कर है जो बताया तो किसी को नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने शौहर को धोका दिया और अपना नसब दूसरा बताया तो शौहर को हक़्क़े फ़स्ख़ नहीं चाहे रखे या तलाक़ देदे (आलमगीरी स 293)

मसअला :– अगर ग़ैर कफ़ू से औरत ने ख़ुद या उस के वली ने निकाह कर दिया मगर उस का ग़ैर कफ़ू होना मालूम न था और कफ़ू होना उस ने ज़ाहिर भी न किया था तो फ़स्ख़ का इख़्तियार नहीं। पहली सूरत में औरत को नहीं दूसरी में किसी को नहीं (ख़ानिया आलमगीरी स 239)

मसअला :– औरत मजहूलतुन्नसब(ऐसी औरत जिसका का नसब मालूम न हो) से किसी ग़ैर शरीफ़ ने निकाह किया बाद में किसी क़र्शी ने दअ्वा किया कि यह मेरी लड़की है और क़ाज़ी ने उस की बेटी होने का हुक्म दिया तो उस शख़्स को निकाह फ़स्ख़ करने का इख़्तियार है (आलमगीरी)

निकाह की वकालत का बयान

मसअला :– निकाह की वकालत में गवाह शर्त नहीं (आलमगीरी) बग़ैर गवाहों के वकील किया और उस ने निकाह पढ़ा दिया हो गया गवाह की यूँ ज़रूरत है कि अगर इन्कार कर दिया कि मैं ने तुझ को वकील नहीं बनाया था तो अब वकालत साबित करने के लिए गवाहों की हाजत है।

मसअला :– औरत ने किसी को वकील बनाया कि तू जिस से चाहे मेरा निकाह कर दे तो वकील ख़ुद अपने निकाह में उसे नहीं ला सकता यूँही मर्द ने औरत को वकील बनाया तो वह औरत अपना निकाह उस से नहीं कर सकती (आलमगीरी)

मसअला :– मर्द ने औरत को वकील किया कि तू अपने साथ मेरा निकाह कर दे या औरत ने मर्द को वकील किया कि मेरा निकाह अपने साथ कर ले उस ने कहा मैं ने फ़ूलाँ मर्द (मुवक्किल का नाम लेकर) या फ़ुलानी औरत (मुवक्किला का नाम लेकर) से अपना निकाह किया हो गया क़बूल कीर भी हाजत नहीं (आलमगीरी 265)

मसअला :– किसी को वकील किया कि फ़ुलानी औरत से इतने महर पर मेरा निकाह कर दे वकील ने उस महर पर अपना निकाह उस औरत से कर लिया तो उसी वकील का निकाह हुआ फिर वकील ने उसे महीने भर रख कर दुख़ूल के बाद उसे तलाक़ देदी और इद्दत गुज़रने पर मुवक्किल से निकाह कर दिया मुवक्किल का निकाह जाइज़ होगया (आलमगीरी 296)

मसअला :– वकील से कहा किसी औरत से मेरा निकाह कर दे उस ने बाँदी से किया सहीह न हुआ यूँही अपनी बालिग़ा या नाबालिग़ा लड़की या नाबालिग़ा बहन या भतीजी से कर दिया जिस का यह वली है तो निकाह सहीह न हुआ और अगर बालिग़ा बहन या भतीजी से किया तो सहीह है यूँही औरत के वकील ने उस का निकाह अपने बाप या बेटे से कर दिया तो सहीह न हुआ।(आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने अपने कामों में तसर्रूफ़ात का किसी को वकील किया उस ने उस वकालत की बिना पर अपना निकाह उस से कर लिया औरत कहती है मैं ने तो ख़रीद व फ़रोख़्त के लिए वकील बनाया था निकाह का वकील नहीं किया था तो यह निकाह सहीह न हुआ अगर निकाह का वकील होता भी तो उसे कब इख़्तियार था कि अपने साथ निकाह कर ले (आलमगीरी स 295)

मसअला :– वकील से कहा फ़ुलाँ औरत से मेरा निकाह कर दे उस ने दूसरी से कर दिया या दूसरा

से करने को कहा था बाँदी से किया या बाँदी से करने को कहा था आज़ाद औरत से किया या जितना महर बता दिया था उस से ज़्यादा बाँधा या औरत ने निकाह का वकील कर दिया था उस ने ग़ैर कफ़ू से निकाह कर दिया उन सब सूरतों में निकाह सहीह नहीं हुआ (दुर्रे मुख़्तार स 253 रद्दुलमुहतार 301)

मसअ्ला :– औरत के वकील ने उस का निकाह कफ़ू से किया मगर वह अन्धा या आपहिज या बच्चा या मअ्तूह (कम अक़्ल) तो होगया यूँही मर्द के वकील ने अन्धी या लुन्झी या मजनूना या नाबालिग़ा से निकाह कर दिया सहीह होगया और अगर खूबसूरत औरत से निकाह करने को कहा था उस ने काली हब्शन से कर दिया या उस का अक्स तो न हुआ और अन्धी से निकाह करने के लिए कहा था वकील ने आँख वाली से करदिया तो सहीह है (आलमगीरी 295)

मसअ्ला :– वकील से कहा किसी औरत से मेरा निकाह कर दो उस ने उस औरत से किया जिस की निस्बत मुवक्किल कह चुका था कि उस से निकाह करूँ तो उसे तलाक़ है तो निकाह हो गया और तलाक़ पड़ गई (आलमगीरी 295)

मसअ्ला :– वकील से कहा किसी औरत से निकाह कर दे वकील ने उस औरत से किया जिस को मुवक्किल तवकील (वकली बनाने) से पहले छोड़ चुका है अगर मुवक्किल ने उस की बद खुल्क़ी वग़ैरा की शिकायत वकील से न की हो तो निकाह हो जायेगा और अगर जिस से निकाह किया उसे वकील बनाने के बाद छोड़ा है तो न हुआ (आलमगीरी 295)

मसअ्ला :– वकील से कहा फ़ुलानी या फ़ुलानी से कर दे तो जिस एक से करेगा हो जायेगा और अगर दोनों से एक अक़्द में किया तो किसी से न हुआ (ख़ानिया)

मसअ्ला :– वकील से कहा एक औरत से निकाह कर दे उस ने दो से एक अक़्द में किया तो किसी से नाफ़िज़ न हुआ फिर अगर मुवक्किल उन में से एक को जाइज़ कर दे तो जाइज़ हो जायेगा और दोनों को तो दोनों और अगर दो अक़्द में दोनों से निकाह किया तो पहला लाज़िम हो जायेगा और दूसरा मुवक्किल की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहेगा और अगर दो औरतों से एक अक़्द के साथ निकाह करने को कहा था उस ने एक से किया या दो से दो अक़्दों में किया तो जाइज़ होगया और अगर कहा था फ़ुलानी से करदे वकील ने उस के साथ एक औरत मिला कर दोनों से एक अक़्द में किया तो जिस को बता दिया था उस का हो गया (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वकील से कहा उस से मेरा निकाह करदे बाद को मालूम हुआ कि वह शौहर वाली है फिर उस औरत का शौहर मर गया या उस ने तलाक़ दे दी और इद्दत भी गुज़र गई अब वकील ने उस से निकाह कर दिया तो हो गया (ख़ानिया)

मसअ्ला :– वकील से कहा मेरी क़ौम की औरत से निकाह कर दे उस ने दूसरी क़ौम की औरत से किया जाइज़ न हुआ (आलमगीरी 293)

मसअ्ला :– वकील से कहा इतने महर पर निकाह कर दे और उस में इतना मुअ़ज्जल हो वकील ने महर तो वही रखा मगर मुअ़ज्जल की मिक़दार बढ़ादी तो निकाह शौहर की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहा और अगर शौहर को इल्म हो गया और औरत से वती की तो इजाज़त हो गई और ला इल्मी में की तो नहीं। (आलमगीरी 296)

मसअ्ला :– किसी को भेजा कि फ़ुलानी से मेरी मंगनी कर आ वकील ने जाकर उस से निकाह

कर दिया होगया और अगर वकील से कहा फ़ुलाँ की लड़की से मेरी मंगनी कर दे उस ने लड़की के बाप से कहा अपनी लड़की मुझे दे उस ने कहा दी अब वकील कहता है मैं ने उस लफ़्ज़ से अपने मुवक्किल का निकाह मुराद लिया था अगर वकील का लफ़्ज़ मंगनी के तौर पर था और लड़की के बाप का जवाब भी अक़्द के तौर पर न था तो निकाह न हुआ और अगर जवाब अक़्द के तौर पर था तो निकाह होगया मगर वकील से हुआ मुविक्कल से न हुआ और अगर वकील और लड़की के बाप ने मुवक्किल से निकाह के मुतअ़ल्लिक़ बात चीत हो चुकने के बाद लड़की के बाप ने कहा मैं ने अपनी लड़की का निकाह इतने महर पर कर दिया यह न कहा कि किस से वकील से या मुवक्किल से वकील ने कहा मैंने क़बूल की तो लड़की का निकाह उस वकील से होगया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह बात तो पहले बता दी गई है कि निकाह के वकील को यह इख़्तियार नहीं कि वह दूसरे से निकाह पढ़वा दे हाँ अगर औरत ने वकील से कहदिया कि तू जो कुछ करे मनज़ूर है तो अब वकील दूसरे को वकील कर सकता है यानी दूसरे से पढ़वा सकता है और अगर दो शख़्सों को मर्द या औरत ने वकील बनाया उन में एक ने निकाह कर दिया जाइज़ नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने निकाह का किसी को वकील बनाया या फिर उस ने बतौर ख़ुद निकाह कर लिया तो वकील की वकालत जाती रही वकील को उस का इल्म हुआ या न हुआ और अगर उस ने वकालत से मअ्ज़ूल किया तो जब तक वकील को उस का इल्म न हो मअ्ज़ूल न होगा यहाँ तक कि मअ्ज़ूल करने के बाद वकील को इल्म न हुआ था उस ने निकाह कर दिया हो गया और अगर मर्द ने किसी ख़ास औरत से निकाह का वकील किया था फिर मुवक्किल ने उस औरत की माँ या बेटी से निकाह कर लिया तो वकालत ख़त्म हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस के निकाह में चार औरतें मोजूद हैं उस ने निकाह का वकील किया तो यह वकालत मुअ़त्तल रहेगी जब उन में से कोई बाइन हो जाये उस वक़्त वकील अपनी वकालत से काम ले सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी की ज़ुबान बन्द हो गई उस से किसी ने पूछा तेरी लड़की के निकाह का वकील हो जाऊँ उस ने कहा हाँ हाँ, उस के सिवा कुछ न कहा और वकील ने निकाह कर दिया सहीह न हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस मज्लिस में ईजाब हुआ अगर उसी में क़बूल न हुआ तो वह ईजाब बातिल हो गया बाद मज्लिस क़बूल करना बेकार है और यह हुक्म निकाह के साथ ख़ास नहीं बल्कि बैअ् वग़ैरा तमाम उक़ूद का यही हुक्म है मसलन मर्द ने लोगों से कहा गवाह हो जाओ मैं ने फ़ुलानी औरत से निकाह किया और औरत को ख़बर पहुँची उस ने जाइज़ कर दिया तो निकाह न हुआ या औरत ने कहा गवाह हो जाओ कि मैंने फ़ुलाँ शख़्स से जो मौजूद नहीं है निकाह किया और उसे जब ख़बर पहुँची तो जाइज़ कर दिया निकाह न हुआ (दुर्रे मुख़्तार स 353)

मसअ्ला :– पाँच सूरतों में एक शख़्स का ईजाब काइम मक़ाम क़बूल के भी होगा 1. दोनों का वली हो मसलन यह कहे मैंने अपने बेटे का निकाह अपनी भतीजी से कर दिया या पोते का निकाह पोती से कर दिया 2. दोनों का वकील हो मसलन मैंने अपने मुवक्किल का निकाह अपनी मुवक्किला से कर दिया और उस सूरत में हो सकता है कि जो दो गवाह मर्द के वकील करने के हों वही औरत

के वकील बनाने के हों और वही निकाह के भी गवाह हों 3. एक तरफ़ से असील दूसरी तरफ़ से वकील मसलन औरत ने उसे वकील बनाया कि मेरा निकाह तू अपने साथ कर ले उस ने कहा मैंने अपनी मुवक्किला का निकाह अपने साथ किया 4. एक तरफ़ से असील हो दूसरी तरफ़ से वली मसलन चचा ज़ाद नाबालिग़ा बहन से अ पना निकाह करे और उस लड़की का यही वली अक़रब भी है और अगर बालिग़ा हो और बग़ैर इजाज़त उस से निकाह किया तो अगर्चे जाइज़ कर दे निकाह बातिल है 5. एक तरफ़ से वली हो दूसरी तरफ़ से वकील मसलन अपनी लड़की का निकाह अपने मुवक्किल से करे 1. और अगर एक शख़्स दोनों तरफ से फ़ुज़ूली हो 2. या एक तरफ़ से फ़ुज़ूली हो दूसरी तरफ़ से वकील 3. या एक तरफ़ से फ़ुज़ूली हो दूसरी तरफ़ से वली या एक तरफ़ से फ़ुज़ूली हो दूसरी तरफ़ से असील तो उन चारों सूरतों में ईजाब व क़बूल दोनों नहीं कर सकता अगर किया तो निकाह न हुआ (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– फ़ुज़ूली ने ईजाब किया और क़बूल करने वाला कोई दूसरा है जिस ने क़बूल किया ख़्वाह वह असील हो या वकील या वली या फ़ुज़ूली तो यह अक़्द इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहा जिस की तरफ़ से फ़ुज़ूली ने ईजाब या क़बूल किया उस ने जाइज़ कर दिया जाइज़ होगया और रद कर दिया बातिल हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़ुज़ूली ने जो निकाह किया उस की इजाज़त क़ौल व फ़ेल दोनों से हो सकती है मसलन कहा तुम ने अच्छा किया या अल्लाह हमारे लिए मुबारक करे या तूने ठीक किया और अगर उस के कलाम से साबित होता है कि इजाज़त के अल्फ़ाज़ इस्तिहज़ा मज़ाक़ के तौर पर कहे तो इजाज़त नहीं इजाज़ते फ़ेअ्ली मसलन महर भेज देना उस के साथ ख़लवत करना (आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़ुज़ूली ने निकाह किया और मर गया उस के मरने के बाद जिस की इजाज़त पर मौक़ूफ़ था उस ने इजाज़त दी सहीह हो गया अगर्चे दोनों तरफ़ से दो फ़ुज़ूलियों ने ईजाब व क़बूल किया हो और फ़ुज़ूली ने बैअ् की हो तो उस के मरने के बाद जाइज़ नहीं कर सकता(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार 356)

मसअ्ला :– फ़ुज़ूली अपने किये हुए निकाह को फ़स्ख़ करना चाहे तो नहीं कर सकता न क़ौल से फ़स्ख़ कर सकता है मसलन कहे मैंने फ़स्ख़ कर दिया न फ़ेअ्ल से मसलन उसी शख़्स का निकाह उस औरत की बहन से करदिया तो पहला फ़स्ख़ न होगा और अगर फ़ुज़ूली ने मर्द की बिग़ैर इजाज़त निकाह कर दिया उस के बाद उसी शख़्स ने उस फ़ुज़ूली को वकील किया कि मेरा किसी औरत से निकाह कर दे उस ने उस पहली औरत की बहन से निकाह किया तो पहला फ़स्ख़ हो गया और कहता कि मैंने फ़स्ख़ किया तो फ़स्ख़ न होता (ख़ानिया)

मसअ्ला :– फ़ुज़ूली ने चार औरतों से एक अक़्द में किसी का निकाह कर दिया उस ने उन में से एक को तलाक़ दे दी तो बाक़ीयों के निकाह की इजाज़त हो गई और पाँच औरतों से मुतफ़र्रिक़ अक़्द के साथ निकाह किया तो शौहर को इख़्तियार है कि उन में से चार को इख़्तियार कर ले और एक को छोड़ दे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– गुलाम और बाँदी का निकाह मौला की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहता है वह जाइज़ कर दे तो जाइज़ रद कर दे तो बातिल ख़्वाह मुदब्बर हो या मुकातिब या उम्मे वलद या वह गुलाम जिस में का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका और बाँदी को जो महर मिलेगा उस का मालिक मौला है मगर मुकातिबा और जिस बाँदी का बाज़ आज़ाद हुआ है उन को जो महर मिलेगा उन्हीं का होगा (ख़ानिया)

महर का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ؕ

तर्जमा :–"जिन औरतों से निकाह करना चाहो उन के महर मुक़र्रर शुदा उन्हें दो और क़रार दाद के बाद तुम्हारे आपस में जो रज़ा मन्दी हो जाये उस में कुछ गुनाह नहीं बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है"

और फ़रमाता है:–

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ؕ

तर्जमा :– "औरतों को उन के महर ख़ुशी से दो फिर अगर वह ख़ुशी दिल से उस में से कुछ तुम्हें दे दें तो उसे खाओ रचता पचता"

और फ़रमाता है:–

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ○ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِیْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

तर्जमा :– " तुम पर कुछ मुतालबा नहीं अगर तुम औरतों को तलाक़ दो जब तक तुम ने उन को हाथ न लगाया हो या महर न मुक़र्रर किया हो और उन को कुछ बरतने को दो मालदार पर उस के लाइक़ और तंग दस्त पर उस के लाइक़ हस्बे दस्तूर बरतने की चीज़ वाजिब है भलाई वालों पर और अगर तुम ने औरतों को हाथ लगाने से पहले तलाक़ देदी और उन के लिए महर मुक़र्रर कर चुके थे तो जिनता मुक़र्रर किया उस का निस्फ़ वाजिब है मगर यह कि औरतें मुआफ़ कर दें या वह ज़्यादा दे जिस के हाथ में निकाह की गिरह है और ऐ मर्द तुम्हारा ज़्यादा देना परहेज़गारी से ज़्यादा नज़्दीक़ है और आपस में एहसान करना न भूलो बेशक अल्लाह तुम्हारा काम देख रहा है"।

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है अबू सलमा कहते हैं मैंने उम्मुलमोमेनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महर कितना था फ़रमाया हुज़ूर का महर अज़वाजे मुतहरात के लिए साढ़े बारह औक़ीया था यानी पाँच सौ दिरहम।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद व निसाई उम्मुलमोमिनीन उम्मे हबीब रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि नजाशी ने उन का निकाह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ किया और चार हज़ार महर के हुज़ूर की तरफ़ से ख़ुद अदा किए और शरहबील इब्ने हसन रदियल्लहु तआला अन्हु के हमराह उन्हें हुज़ूर की ख़िदमत में भेज दिया।

हदीस न.3 :– अबू दाऊद तिर्मिज़ी व निसाई व दारमी रावी कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल हुआ कि एक शख़्स ने निकाह किया और महर कुछ नहीं बँधा और दुख़ूल से पहले उस का इन्तिक़ाल हो गया इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया औरत को महर मिस्ल मिलेगा न कम न ज़्यादा और उस पर इद्दत है और उसे मीरास मिलेगी मअ्क़ल इब्ने

सनान अशजई रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि बरूअ् बिन्ते वाशिक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही हुक्म फरमाया था यह सुन कर इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु खुश हुए

हदीस न.4 :– हाकिम व बैहक़ी उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फरमाया बेहतर वह महर है जो आसान हो।

हदीस न.5 :– अबूयअ्ला व तबरानी सुहैब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फरमाया जो शख़्स निकाह करे और नीयत यह हो कि औरत को महर में से कुछ न देगा तो जिस रोज़ मरेगा ज़ानी मरेगा और जो किसी से कोई शय ख़रीदे और यह नियत हो कि क़ीमत में से उसे कुछ न देगा तो जिस दिन मरेगा ख़ाइन मरेगा और ख़ाइन नार(जहन्नुम) में है।

मसाइल फ़िक़्हिया

महर कम से कम दस दिरम है उस से कम नहीं हो सकता जिस की मिक़दार आजकल के हिसाब से 2 रूपये 12 आने $9\frac{3}{5}$ पाई है ख़्वाह सिक्का हो या वैसी ही चान्दी या उस क़ीमत का कोई सामान अगर दिरहम के सिवा कोई और चीज़ महर ठहरी तो उस की क़ीमत अक़्द के वक़्त दस दिरहम से कम न हो और अगर उस वक़्त तो उसी क़ीमत की थी मगर बाद में क़ीमत कम हो गई तो औरत वही पायेगी फेरने का उसे हक़ नहीं और अगर उस वक़्त दस दिरहम से कम क़ीमत की थी और जिस दिन क़ब्ज़ा किया क़ीमत बढ़ गई तो अक़्द के दिन जो कमी थी वह ले लेगी मसलन उस रोज़ उस की क़ीमत आठ दिरहम थी और आज दस दिरहम है तो औरत वह चीज़ लेगी और दो दिरहम और अगर उस चीज़ में कोई नुक़सान आ गया तो औरत को इख़्तियार है कि दस दिरहम ले या वह चीज़ (आलमगीरी वग़ैरा)

नोट :– ऊपर जो दस दिरहम की क़ीमत रूपयों में दी गई यह उस वक़्त की है जब बहारे शरीअत उर्दू तस्नीफ़ की गई थी मगर अज के हिसाब से यह क़ीमत सही नहीं सही यह है कि दस दिरहम की क़ीमत आज के ज़माने में रूपयों में जो होगी वही कम से कम महर की मिक़दार है(क़ादरी)

मसअला :– निकाह में दस दिरहम या उस से कम महर बाँधा गया तो दस दिरहम वाजिब और ज़्यादा बाँधा हो तो जो मुक़र्रर हुआ वाजिब (मुतून)

मसअला :– वती यां ख़लवते सहीहा या दोनों में से किसी की मौत हो इन सब से महर मुअक्कद हो जाता है कि जो महर है अब उस में कमी नहीं हो सकती यूँही अगर औरत को तलाक़ बाइन दी थी और इद्दत के अन्दर उस से फिर निकाह कर लिया तो यह महर बग़ैर दुख़ूल वग़ैरा के मुअक्कद हो जायेगा हाँ अगर साहिबे हक़ ने कुल या जुज़ मुआफ़ कर दिया तो मुआफ़ हो जायेगा और अगर महर मुअक्कद न हुआ था और शौहर ने तलाक़ दे दी तो निस्फ़ (आधा) वाजिब होगा और अगर तलाक़ से पहले पूरा महर अदा कर चुका था तो निस्फ़ तो औरत का हुआ ही और निस्फ़ शौहर को वापस मिलेगा मगर उस की वापसी में शर्त यह है कि या औरत अपनी ख़ुशी से फेर दे या क़ाज़ी ने वापसी का हुक्म दे दिया हो और यह दोनों बातें न हों तो शौहर का तसर्रुफ़ उस में नाफ़िज़ न होगा मसलन उस को बेचना हिबा करना तसद्दुक(सदका) करना चाहे तो नहीं कर सकता और अगर वह महर गुलाम है तो शौहर उस को आज़ाद नहीं कर सकता और क़ाज़ी के हुक्म से पेशतर औरत उस में हर किस्म का तसर्रुफ़ कर सकती है मगर क़ाज़ी के हुक्म बाद उसकी आधी क़ीमत

देनी होगी और अगर महर में ज़्यादती हो मसलन गाय, भैंस, वग़ैरा कोई जानवर महर में था उस के बच्चा हुआ या दरख़्त था उस में फल आये या कपड़ा था रंगा गया या मकान था उस में कुछ नई तअ्मीर हुई या गुलाम था उस ने कुछ कमाया तो अगर ज़ौजा के क़ब्ज़ा से पहले उस महर में ज़्यादती मुतवल्लिद[1] है उस के आधे की औरत मालिक है और आधे का शौहर मालिक वरना कुल ज़्यादती की भी औरत ही मालिक है (दुर्रेमुख़्तार स 358 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो चीज़ माले मुतक़व्विम (क़ाइम व मौजूद रहने वाला माल) नहीं वह महर नहीं हो सकती और महर मिस्ल वाजिब होगा मसलन महर यह ठहरा कि आज़ाद शौहर औरत की साल भर तक ख़िदमत करेगा या यह कि उसे क़ुर्आन मजीद या इल्मे दीन पढ़ा देगा या हज वग़ैरा करा देगा या मुसलमान मर्द का निकाह मुसलमान औरत से हो और महर में ख़ून या शराब या ख़िन्ज़ीर का ज़िक्र आया यह कि शौहर अपनी पहली बीवी को तलाक़ दे दे तो इन सब सूरतों में महर मिस्ल वाजिब होगा (दुर्रे मुख़्तार 362)

मसअला :– अगर शौहर गुलाम है और एक मुद्दते मुअय्यना तक औरत की ख़िदमत करना महर ठहरा और मालिक ने उस की इजाज़त भी दे दी हो तो सहीह वरना अक़्दे सहीह नहीं आज़ाद शख़्स औरत के मौला या वली कि ख़िदमत करेगा या शौहर का गुलाम या उस की बाँदी औरत की ख़िदमत करेगी तो यह महर सहीह है (दुर्रे मुख़्तार स 363 वग़ैरा)

मसअला :– अगर महर में किसी दूसरे आज़ाद शख़्स का ख़िदमत करना ठहरा तो अगर न उस की इजाज़त से ऐसा हुआ न उस ने जाइज़ रखा तो उस ख़िदमत की क़ीमत महर है और अगर उस के हुक्म से हुआ और ख़िदमत वह है जिस में औरत के पास रहना सहना होता है तो वाजिब है कि ख़िदमत न ले बल्कि उस की क़ीमत ले और अगर वह ख़िदमत ऐसी नहीं तो ख़िदमत ले सकती है और अगर ख़िदमत की नोईयत मुअय्यन नहीं तो अगर उस किस्म की लेगी तो वह हुक्म है और इस किस्म की तो यह(फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– शिग़ार यानी एक शख़्स ने अपनी लड़की या बहन का निकाह दूसरे से कर दिया और दूसरे ने अपनी लड़की या बहन का निकाह उस से करदिया और हर एक का महर दूसरा निकाह है तो ऐसा करना गुनाह व मनअ् है और महर मिस्ल वाजिब होगा (दुर्रे मुख़्तार स 361)

मसअला :– किसी शख़्स की तरफ़ इशारा कर के कहा कि मैंने बएवज़ इस गुलाम के हालाँकि वह आज़ाद था या मटके की तरफ़ इशारा कर के कहा बएवज़ उस सिरका के और वह शराब है तो महरे मिस्ल वाजिब है यूँ अगर कपड़े या जानवर या मकान के एवज़ कहा और जिन्स नहीं बयान की यानी यह नहीं कहा कि फ़ुलाँ किस्म का कपड़ा या फ़ुलाँ जानवर तो महरे मिस्ल वाजिब है(दुर्रे मुख़्तार स 367)

मसअला :– निकाह में महर का ज़िक्र ही न हुआ या महर की नफ़ी करदी कि बिला महर निकाह किया तो निकाह हो जायेगा और अगर ख़लवते सहीहा होगई या दोनों में से कोई मर गया तो महर मिस्ल वाजिब है बशर्ते कि बादे अक़्द आपस में कोई महर तै न पागया हो और अगर तै हो चुका तो वही है शुदा है यूँही अगर क़ाज़ी ने मुक़र्रर कर दिया तो जो मुक़र्रर कर दिया वह है और उन दोनों सूरतों में महर जिस चीज़ से मुअक्कद होता है मुअक्कद हो जायेगा और मुअक्कद न हुआ बल्कि ख़लवते सहीहा से

(1) ज़्यादत दो किस्म है मुतवल्लिदा(पैदा होने वाली)और ग़ैर मुतवल्लिदा(पैदा न होने वाली ज़्यादती) और हर एक दो किस्म मुत्तसिला व मुन्फ़सिला मुतवल्लिदा मुत्तसिला मसलन दरख़्त के फल जबकि दरख़्त में लगे हों मुतवल्लिदा मुन्फ़सिला मसलन जानवर का बच्चा या टूटे हुऐ फल ग़ैर मुतवल्लिदा मुत्तसिला जैसे कपड़े को रंगना या मकान में तअ्मीर ग़ैर मुतवल्लिदा मुन्फ़सिला जैसे गुलाम ने कुछ कमाया और हर एक औरत के क़ब्ज़े से पेशतर है या बाद तो यह सब आठ किस्में हुई और तनसीफ़ (आधा करना) सिर्फ़ ज़्यादत मुतवल्लिदा क़ब्लुलक़ब्ज़ (क़ब्ज़े से पहले) की है बाक़ी की नहीं (रद्दुल मुहतार)

पहले तलाक़ होगई तो उन दोनों सूरतों में भी एक जोड़ा कपड़ा वाजिब है यानी कुर्ता पाजामा, दोपट्टा जिस की क़ीमत निस्फ़ महरे मिस्ल से ज़्यादा न हो और ज़्यादा हो तो महरे मिस्ल का निस्फ़ दिया जाये अगर शौहर मालदार हो और ऐसा जोड़ा भी न हो जो पाँच दिरहम से कम क़ीमत का हो अगर शौहर मोहताज हो अगर मर्द व औरत दोनों मालदार तो जोड़ा अअ्ला दरजा का हो और दोनों मोहताज हों तो मअ्मूली और एक मालदार हो एक मोहताज तो दरमियानी (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी 364)

मसअ्ला :– जोड़ा देना उस वक़्त वाजिब है जब फ़ुर्क़ते ज़ौज शौहर की जानिब से हो मसलन तलाक़, ईला, लिआन, नामर्द होना, शौहर का मुरतद होना औरत की माँ या लड़की को शहवत के साथ बोसा देना और अगर फ़ुर्क़त जानिबे ज़ौजा (बीवी)से हो तो वाजिब नहीं मसलन औरत का मुरतद हो जाना या शौहर के लड़के को बशहवत बोसा देना सौत को दूध पिला देना बुलूग़ या आज़ादी के बाद अपने नफ़्स को इख़्तियार करना यूँही अगर ज़ौजा कनीज़ थी शौहर ने या उस के वकील ने मौला से ख़रीद ली तो अब वह जोड़ा साक़ित होगया और अगर मौला ने किसी और के हाथ बेची उस से ख़रीदी तो वाजिब है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जोड़े की जगह अगर क़ीमत दे दे तो यह भी हो सकता है और औरत क़बूल करने पर मजबूर की जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औरत का महर मुअ़य्यन है और ख़लवत से पहले उसे तलाक़ दे दी गई उसे जोड़ा देना मुस्तहब भी नहीं और दुख़ूल के बाद तलाक़ हुई तो महर मुअ़य्यन हो या न हो जोड़ा देना मुस्तहब है (दुर्रे मुख़्तार स 365)

मसअ्ला :– महर मुक़र्रर हो चुका था बाद में शौहर या उस के वली ने कुछ मिक़दार बढ़ादी तो यह मिक़दार भी शौहर पर वाजिब होगई बशर्ते कि उसी मज्लिस में औरत ने या नाबालिग़ा हो तो उस के वली ने क़बूल करली हो और ज़्यादती की मिक़दार मालूम हो और ज़्यादती की मिक़दार मुअ़य्यन न की हो तो कुछ नहीं मसलन कहा मैंने तेरे महर में ज़्यादती करदी और यह न बताया कि कितनी उस के सहीह होन के लिए गवाहों की भी हाजत नहीं हाँ अगर शौहर इन्कार करदे तो सुबूत के लिए गवाह दरकार होंगे अगर औरत ने महर मुआफ़ कर दिया या हिबा कर दिया हैं जब भी ज़्यादती हो सकती है (दुर्रे मुख़्तार, स 365 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– पहले ख़ुफ़्या निकाह हुआ और एक हज़ार का महर बाँधा फिर अलानिया एक हज़ार पर निकाह हुआ तो दो हज़ार वाजिब हो गये और अगर महज़ एहतियातन तजदीदे निकाह की तो दोबारा निकाह का महर वाजिब न हुआ और अगर महर अदा कर चुका था फिर औरत ने हिबा करदिया फिर उसके बाद शौहर ने इक़रार किया कि उस का मुझ पर इतना है तो मिक़दार लाज़िम होगई ख़्वाह यह इक़रार बक़स्द ज़्यादती हो या नहीं (दुर्रे मुख़्तार, स 366 ख़ानिया)

मसअ्ला :– महर मुक़र्रर शुदा पर शौहर ने इज़ाफ़ा किया मगर ख़लवते सहीहा से पहले तलाक़ दी तो अस्ल महर का निस्फ़ औरत पायेगी उस इज़ाफ़ा का भी निस्फ़ लेना चाहे तो नहीं मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार स 366)

मसअ्ला :– औरत कुल महर या जुज़ मुआफ़ करे तो मुआफ़ हो जायेगा बशर्ते कि शौहर ने इन्कार न करदिया हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– और अगर वह औरत नाबालिग़ा है और उसका बाप मुआफ़ करना चाहता है तो नहीं

कर सकता और बालिग़ा है तो उसकी इजाज़त पर मुआफ़ मौक़ूफ़ है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ख़लवते सहीहा यह है कि ज़ौज ज़ौजा(मियाँ बीवी)एक मकान में जमअ् हों और कोई चीज़ मानेअ् जिमाअ् (जिमाअ् से रोकने वाली कोई चीज़) न हो यह ख़लवत जिमाअ् ही के हुक्म में है और मवानेअ् तीन हैं 1–**हिस्सी** 2–**शरई** 3–**तबई मानेअ् हिस्सी** जैसे मर्ज़ कि शौहर बीमार है तो मुतलक़न ख़लवते सहीहा न होगी और ज़ौजा बीमार है तो उस हद की बीमार हो कि वती से ज़रर (नुक़सान) का अन्देशा सहीह हो और ऐसी बीमारी न हो तो ख़लवत सहीहा हो जायेगी। **मानेअ् तबई** जैसे वहाँ किसी तीसरे का होना अगर्चे वह सोता हो या नाबीना हो उस की दूसरी बीवी हो या दोनों में किसी की बाँदी हो हाँ अगर इतना छोटा बच्चा कि किसी के सामने बयान न कर सकेगा तो उस का होना मानेअ् नहीं यानी ख़लवते सहीहा हो जायेगी मजनून व मअ्तूह बच्चा के हुक्म में हैं अगर अक़्ल कुछ रखते हैं तो ख़लवत न होगी वरना हो जायेगी और अगर वह शख़्स बेहोशी में हैं तो ख़लवत हो जायेगी अगर वहाँ औरत का कुत्ता है तो ख़लवते सहीहा न होगी और अगर मर्द का है और कटख़ना है जब भी न होगी वरना हो जायेगी **मानेअ् शरई** मसलन औरत हैज़ या निफ़ास में है या दोनों में कोई मुहरिम हो एहराम फ़र्ज़ का हो या नफ़्ल का हज का हो या उ़मरा का या उन में किसी का रमज़ान का रोज़ा–ए–अदा हो या नमाज़ फ़र्ज़ में हो उन सब सूरतों में ख़लवते सहीहा न होगी और अगर नफ़्ल या नज़्र या कफ़्फ़ारा या क़ज़ा का रोज़ा हो या नफ़्ली नमाज़ हो तो यह चीज़ें ख़लवते सहीहा से मानेअ् (रोकने वाली) नहीं और अगर दोनों एक जगह तनहाई में जमअ् हुए मगर कोई मानेअ् शरई या तबई या हिस्सी पाया जाता है तो ख़लवत फ़ासिदा है(आलमगीरी ,दुर्रे मुख़्तार स 367 वग़ैरा हुमा)

मसअ्ला :– औरत मर्द के पास तन्हाई में गई मर्द ने उसे न पहचाना थोड़ी देर ठहर कर चली आई या मर्द औरत के पास गया और उसे नहीं पहचाना चला आया तो ख़लवत सहीहा न हुई लिहाज़ा अगर ख़लवत सहीहा का दअ्वा करे और मर्द यह उ़ज़्र पेश करे तो मान लिया जायेगा और अगर मर्द ने पहचान लिया और औरत ने न पहचाना तो ख़लवते सहीहा हो गई (जौहरा तबईन)

मसअ्ला :– लड़का जो उस क़ाबिल नहीं कि सोहबत कर सके मगर अपनी औरत के साथ तन्हाई में रहा या ज़ौजा इतनी छोटी लड़की है कि उस क़ाबिल नहीं उस के साथ उस का शौहर रहा तो दोनों सूरतों में ख़लवते सहीहा न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत के अन्दामे नहानी (शर्मगाह) में कोई ऐसी चीज़ पैदा होगई जिस की वजह से वती नहीं हो सकती मसलन वहाँ गोश्त आगया या मक़ाम जुड़ गया या हड्डी पैदा हो गई या ग़दूद हो गया तो इन सब सूरतों में ख़लवते सहीहा नहीं हो सकती (दुर्रे मुख़्तार 367)

मसअ्ला :– जिस जगह इज्तिमाअ् (इकटठे हुए)हुआ वह जगह इस क़ाबिल नहीं कि वहाँ वती की जाये तो ख़लवत सहीहा न होगी मसलन मस्जिद अगर्चे अन्दर से बन्द हो और रास्ता और मैदान और हम्माम में जबकि उस में कोई हो या उस का दरवाज़ा खुला हो और अगर बन्द हो तो हो जायेगी और जिस छत पर परदा की दीवार न हो या टाट वग़ैरा मोटी चीज़ का परदा न हो या है मगर इतना नीचा है कि अगर कोई खड़ा हो तो उन दोनों को देख ले तो उस पर भी न होगी वरना हो जायेगी और अगर मकान ऐसा है जिस का दरवाज़ा खुला हुआ कि अगर कोई बाहर खड़ा हो तो

उन दोनों को देख सके या यह अन्देशा है कि कोई आजाये तो ख़लवते सहीहा न होगी(जौहरा दुर्रे मुख़्तार स.343)

मसअला :– ख़ेमा में हो जायेगी यूँही बाग़ में अगर दरवाज़ा है और वह बन्द है तो हो जायेगी वरना नहीं और महमल अगर इस क़ाबिल है कि उस में सोहबत हो सके तो हो जायेगी वरना नहीं।(जौहरा आलमगीरी)

मसअला :– शौहर का उज़्वे तनासुल कटा हुआ है या उन्सयैन निकाल लिए गये हैं या इन्नीन है या ख़ुन्सा है और उस का मर्द होना ज़ाहिर हो चुका तो उन सब में ख़लवते सहीहा हो जायेगी(दुर्रे मुख़्तार 300)

मसअला :– ख़लवते सहीहा के बाद औरत को तलाक़ दी तो महर पूरा वाजिब होगा जबकि निकाह भी सहीह हो और अगर निकाह फ़ासिद है यअ्नी निकाह की कोई शर्त मफ़क़ूद (न पाया जाना)है मसलन बिग़ैर गवाहों के निकाह हुआ, दो बहनों से एक साथ निकाह किया या औरत की इद्दत में उस की बहन से निकाह किया या जो औरत किसी की इद्दत में है उस से निकाह किया या चौथी की इद्दत में पाँचवीं से निकाह किया या हुर्रा निकाह में होते हुए बान्दी से निकाह किया तो उन सब सूरतों में फ़क़त ख़लवत से वाजिब नहीं। बल्कि अगर वती हुई तो महर मिस्ल वाजिब होगा और महर मुक़र्रर न था तो ख़लवते सहीहा से निकाह सहीह में महर मिस्ल मुअक्कद हो जायेगा ख़लवते सहीहा के यह अहकाम भी हैं तलाक़ दी तो औरत पर इद्दत वाजिब बल्कि इद्दत में नान व नफ़्क़ा और रहने को मकान देना भी वाजिब है (1)बल्कि निकाहे सहीह में इद्दत तो मुतलक़न ख़लवत से वाजिब होती है सहीहा हो या फ़ासिदा अल्बत्ता निकाह फ़ासिद हो तो बग़ैर वती के इद्दत वाजिब नहीं (2) ख़लवत का यह हुक्म भी है कि जब तक इद्दत में है उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकता (3) और उस के अलावा चार औरतें निकाह में नहीं हो सकतीं अगर (4)वह आज़ाद है तो उसकी इद्दत में बाँदी से निकाह नहीं कर सकता और(5)उस औरत को जिस से ख़लवत सहीहा हुई उस ज़माना में तलाक़ दे जो मोतूहा के तलाक़ का ज़माना है और (6)इद्दत में उसे तलाक़ बाइन दे सकता है मगर उस से रजअ़त नहीं कर सकता न तलाक़े रजई देने के बाद फ़क़त ख़लवते सहीहा से रजअ़त हो सकती है और (7) उस की इद्दत के ज़माने में शौहर मरगया तो वारिस न होगी (8) ख़लवत से जब महर मुअक्कद हो चुका तो अब साक़ित न होगा अगर्चे जुदाई औरत की जानिब से हो (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर मियाँ बीवी में तफ़रीक़ हो गई मर्द कहता है ख़लवत न हुई औरत कहती है हो गई तो औरत का क़ौल मोअ्तबर है और अगर ख़लवत हुई मगर औरत मर्द के क़ाबू में न आई अगर कुँवारी है महर पूरा वाजिब होजायेगा अगर सय्यब है तो महर मुअक्कद न हुआ (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जो रक़म महर की मुक़र्रर हुई वह शौहर ने औरत को दे दी औरत ने क़ब्ज़ा कर ने के बाद शौहर को हिबा कर दी और क़ब्ल वती के तलाक़ हुई तो शौहर निस्फ़ उस रक़म को औरत से और वुसूल करेगा और अगर बग़ैर क़ब्ज़ा किए कुल को हिबा कर दिया या सिर्फ़ निस्फ़ पर क़ब्ज़ा किया और कुल को हिबा कर दिया या निस्फ़ बाक़ी को तो अब कुछ नहीं ले सकता हाँ अगर क़ब्ज़ा करने के बाद उसे ऐबदार कर दिया और ऐब भी बहुत है उस के बाद हिबा किया तो जिस दिन क़ब्ज़ा किया उस दिन उस चीज़ की जो क़ीमत थी उस का निस्फ़ शौहर वुसूल करेगा और अगर औरत ने शौहर के हाथ वह चीज़ बेच डाली जब भी निस्फ़ क़ीमत लेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ख़लवत से पहले ज़न व शौहर में एक ने दूसरे को या किसी दूसरे ने उन में किसी को मार डाला या शौहर ने ख़ुद कुशी कर ली या ज़ौजा हुर्रा ने ख़ुद कुशी करली तो महर पूरा वाजिब

होगा और अगर ज़ौजा बाँदी थी उस ने ख़ुद कुशी कर ली तो नहीं यूँही अगर उस के मौला ने जो आक़िल बालिग़ है उस कनीज़ को मार डाला तो महर साक़ित हो जायेगा और अगर नाबालिग़ या मजनून था तो साक़ित न हुआ (आलमगीरी)

महरे मिस्ल का बयान

मसअला :– औरत के ख़ान्दान की उस जैसी औरत का जो महर हो वह उस के लिए महरे मिस्ल है मसलन उस की बहन, फूफी, चचा की बेटी वग़ैरहा का महर उस की माँ का महर उस के लिए महर मिस्ल नहीं जब कि वह दूसरे घराने की हो और अगर उस की माँ उसी ख़ान्दान की हो मसलन उस के बाप की चचा ज़ाद बहन है तो उस का महर उस के लिये महरे मिस्ल है और वह औरत जिस का महर उस के लिए महर मिस्ल है वह किन उमूर मे उस जैसी हो उन की तफ़सील यह है 1.उम्र, 2.जमाल, 3.माल में मुशाबह हो 4.दोनों एक शहर में हों 5.एक ज़माना हो 6.अक़्ल 7.तमीज़ 8.दियानत 9.पारसाई 10.इल्म 11.अदब में यकसाँ हों दोनों 12.कुँवारी हों या दोनों सय्यब 13.औलाद होने न होने में एक सी हों कि उन चीज़ों के इख़्तिलाफ़ से महर में इख़्तिलाफ़ होता है शौहर का हाल भी मलहूज़ होता है मसलन जवान और बूढ़े के महर में इख़्तिलाफ़ होता है अक़्द के वक़्त उन उमूर में यकसाँ होने का एअ्तिबार है बाद में किसी बात की कमी बेशी हुई तो उस का एअ्तिबार नहीं मसलन एक का जब निकाह हुआ था उस वक़्त जिस हैसियत की थी दूसरी भी अपने निकाह के वक़्त उसी हैसियत की है मगर पहली में बाद को कमी होगई और दूसरी में ज़्यादती या बर अक्स हुआ तो उस का एअ्तिबार नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर उस ख़ान्दान में कोई ऐसी औरत न हो जिस का महर उस के लिए महरे मिस्ल हो सके तो कोइ दूसरा ख़ान्दान जो उस के ख़ान्दान के मिस्ल है उस में कोई औरत उस जैसी हो उस का महर उस के लिए महरे मिस्ल होगा (आलमगीरी)

मसअला :– महरे मिस्ल के सुबूत के लिए दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें गवाहाने आदिल चाहिए जो लफ़्ज़े शहादत बयान करें और गवाह न हों तो शौहर का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअला :– हज़ार रुपये का महर बाँधा गया इस शर्त पर कि उस शहर से औरत को नहीं ले जायेगा या उस के होते हुए दूसरा निकाह न करेगा तो अगर शर्त पूरी की तो वह हज़ार महर के हैं और अगर पूरी न की बल्कि उसे यहाँ से ले गया या उस की मौजूदगी में दूसरा निकाह कर लिया तो महरे मिस्ल है और अगर यह शर्त है कि यहाँ रखे तो एक हज़ार महर और बाहर लेजाये तो दो हज़ार और यहीं रखा तो वही एक हज़ार हैं और बाहर ले गया तो महरे मिस्ल वाजिब मगर महर मिस्ल अगर दो हज़ार से ज़्यादा है तो दो ही हज़ार पायेगी ज़्यादा नहीं और अगर महरे मिस्ल एक हज़ार से कम है तो पूरे एक हज़ार लेगी कम नहीं और अगर दुख़ूल से पहले तलाक़ हुई तो बहर सूरत जो मुक़र्रर हो उस का निस्फ़ लेगी यानी यहाँ रखा तो पाँचसौ और बाहर ले गया तो एक हज़ार यूहीं अगर कुँवारी और सय्यब में दो हज़ार और एक हज़ार की तफ़रीक़ थी तो सय्यब में एक हज़ार महर रहेगा और अगर कुँवारी साबित हुई तो महर मिस्ल, यह शर्त है कि ख़ूबसूरत है तो दो

हज़ार और बदसूरत है तो एक हज़ार अगर ख़ूब सूरत है दो हज़ार लेगी और बद सूरत है तो एक हज़ार उस सूरत में महरे मिस्ल नहीं।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– निकाह फ़ासिद में जब तक वती न हो महर लाज़िम नहीं यानी ख़लवते सहीहा काफ़ी नहीं और वती हो गई तो महरे मिस्ल वाजिब है जो महर मुक़र्रर से ज़ाइद न हो और अगर उस से ज़्यादा है तो जो मुक़र्रर हुआ वही देंगे और निकाह फ़ासिद का हुक्म यह है कि उन में हर एक पर फ़स्ख़ कर देना वाजिब है उस की भी ज़रूरत नहीं कि दूसरे के सामने फ़स्ख़ करे और अगर ख़ुद फ़स्ख़ न करें तो क़ाज़ी पर वाजिब है कि तफ़रीक़ कर दे और तफ़रीक़ हो गई या शौहर मर गया तो औरत पर इद्दत वाजिब है जबकि वती हो चुकी हो मगर मौत में भी इद्दत वही तीन हैज़ है चार महीने दस दिन नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– निकाहे फ़ासिद में तफ़रीक़ या मुतारका के वक़्त से इद्दत है अगर्चे औरत को उस की ख़बर न हो मुतारका यह है कि उसे छोड़दे मसलन यह कहे मैं ने उसे छोड़ा या चली जा या निकाह कर ले या कोई और लफ़्ज़ उसी के मिस्ल कहे और फ़क़त जाना, आना, छोड़ने,से मुतारका न होगा जब तक ज़ुबान से न कहे और लफ़्ज़े तलाक़ से भी मुतारका होजायेगा मगर इस तलाक़ से यह न होगा कि अगर फ़िर उस से निकाहे सहीह करे तो तीन तलाक़ का मालिक न रहे बल्कि निकाहे सहीह करने के बाद तीन तलाक़ का उसे इख़्तियार रहेगा निकाह से इन्कार कर बैठना मुतारका नहीं और अगर्चे तफ़रीक़ वग़ैरा में उस का वहाँ होना ज़रूर नहीं मगर किसी का जानना ज़रूरी है अगर किसी ने न जाना तो इद्दत पूरी न होगी (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– निकाहे फ़ासिद में नफ़क़ा वाजिब नहीं अगर नफ़क़ा पर मुसालिहत हुई जब भी नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– आज़ाद मर्द ने कनीज़ से निकाह करके फिर अपनी औरत को ख़रीद लिया तो निकाह फ़ासिद हो गया और ग़ुलाम माज़ून ने अपनी ज़ौजा को ख़रीदा तो नहीं (आलमगीरी)

महरे मुसम्मा की सूरतें :–

मसअला :– महरे मुसम्मा तीन क़िस्म का है अव्वल **मजहूलुलजिन्स वल वस्फ़** मसलन कपड़ा या चौपाया या मकान या बाँदी के पेट में जो बच्चा है या बकरी के पेट में जो बच्चा है या इस साल बाग़ में जितने फल आयेंगे उन सब में महरे मिस्ल वाजिब है दोम **मअ्लूमुलजिन्स मजहूलुल वस्फ़** मसलन ग़ुलाम या घोड़ा या गाय या बकरी उस सब में मुतवस्सित दरजा का वाजिब है या उस की क़ीमत सोम **जिन्स व वस्फ़** दोनों मालूम हों तो जो कहा वही वाजिब है (आलमगीरी वग़ैरा)

महर की ज़मानत

मसअला :– औरत का वली उस के महर का ज़ामिन हो सकता है अगर्चे नाबालिग़ा हो अगर्चे ख़ुद वली ने निकाह पढ़वाया हो मगर शर्त यह है कि वह वली मर्ज़ुलमौत में मुब्तला न हो अगर मर्ज़ुलमौत में है तो दो सूरतें हैं वह औरत उस की वारिस है तो किफ़ालत सहीह नहीं और अगर वारिस न हो तो अपने तिहाई माल में किफ़ालत कर सकता है यूँही शौहर का वली भी महर का ज़ामिन हो सकता है और उसमें भी वही शर्त है और वही सूरतें हैं और यह भी शर्त है कि औरत या उस का वली या फ़ुज़ूली उसी मज्लिस में क़बूल भी कर ले वरना किफ़ालत सहीह न होगी और औरत बालिग़ा हो तो जिस से चाहे मुतालबा करे शौहर से या ज़ामिन से अगर ज़ामिन से मुतालबा किया और उस ने दे दिया तो ज़ामिन शौहर से वुसूल करे अगर उस के हुक्म से ज़मानत की हो और अगर बतौर ख़ुद ज़ामिन हो गया तो नहीं ले सकता और अगर शौहर नाबालिग़ है तो जब तक

बालिग़ न हो उस से मुतालबा नहीं कर सकती और अगर शौहर नाबालिग़ के बाप ने किफ़ालत की और महर दे दिया तो बेटे से नहीं वुसूल कर सकता हाँ अगर ज़ामिन होने के वक़्त यह शर्त लगा दी थी कि वुसूल कर लेगा तो अब ले सकता है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़ैद ने अपनी लड़की का निकाह अम्र से दो हज़ार महर पर किया यूँ कि हज़ार मैं दूँगा और हज़ार अम्र पर और अम्र ने क़बूल भी कर लिया तो दोनों हज़ार अम्र पर हैं और ज़ैद हज़ार का ज़ामिन क़रार दिया जायेगा अगर औरत ने अपने बाप ज़ैद से ले लिया तो ज़ैद अम्र से वुसूल कर ले और अगर औरत ने ज़ैद के मरने के बाद उस के तरका में से हज़ार ले लिए तो ज़ैद के वुरसा अम्र से वुसूल करें (आलमगीरी)

मसअला :– शौहर के बाप के कहने से किसी अजनबी ने ज़मानत कर ली फिर अदा करने से पहले बाप मरगया तो औरत को इख़्तियार है शौहर से ले या उस के बाप के तरका से अगर तरका से लिया तो बाक़ी वुरसा शौहर से वुसूल करें (आलमगीरी)

मसअला :– निकाह के वकील ने महर की ज़मानत कर ली अगर शौहर के हुक्म से है तो वापस ले सकता है वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– शौहर नाबालिग़ मोहताज है तो उस के बाप से महर का मुतालबा नहीं हो सकता और अगर मालदार है तो यह मुतालबा है कि लड़के के माल से महर अदा कर दे यह नहीं कि अपने माल से अदा करे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बाप ने बेटे का महर अदा कर दिया और ज़ामिन न था तो अगर देते वक़्त गवाह बना लिए कि वापस ले ले गा तो ले सकता है वरना नहीं (रद्दुल मुहतार)

महर की क़िस्में

मसअला :–महर तीन क़िस्म है मुअज्जल (معجل)कि ख़लवत से पहले महर देना क़रार पाया है (مؤجل)जिस के लिए कोई मीआद मुक़र्रर हो और मुतलक़(مطلق)जिस में न वह हो न यहऔर यह भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा मुअज्जल हो कुछ मुअज्जल या मुतलक़ या मुअज्जल या कुछ मुअज्जल हो कुछ मुतलक़ या कुछ मुअज्जल और कुछ मुअज्जल और कुछ मुतलक़ महरे मुअज्जल वुसूल करने के लिए औरत अपने को शौहर से रोक सकती है यानी यह इख़्तियार है कि वती व मुक़द्दमाते वती से बाज़ रखे ख़्वाह कुल मुअज्जल हो या बाज़ और शौहर को हलाल नहीं कि औरत को मजबूर करे अगर्चे उस के पेश्तर औरत की रज़ा मन्दी से वती व ख़लवत हो चुकी हो यानी यह हक़ औरत को हमेशा हासिल है जब तक वुसूल न कर ले यूँही अगर शौहर सफ़र में ले जाना चाहता है तो महर मुअज्जल वुसूल करने के लिए जाने से इन्कार कर सकती है यूँही अगर महर मुतलक़ हो और वहाँ का उर्फ़ है कि ऐसी महर में कुछ ख़लवत से पहले अदा किया जाता है तो उस के ख़ान्दान में जितना पेश्तर अदा करने का रिवाज है उस का हुक्म महरे मुअज्जल का है यानी उस के वुसूल करने के लिए वती व सफ़र से मनअ् कर सकती है और अगर महर मुअज्जल यानी मीआदी है और मीआद मजहूल(मालूम न होना) है जब भी फ़ौरन देना वाजिब है हाँ अगर मुअज्जल है और मीआद यह ठहरी कि मौत या तलाक़ पर वुसूल करने का हक़ है तो जब तक तलाक़ या मौत वाक़िअ् न हो वुसूल नहीं कर सकती जैसे उमूमन हिन्दुस्तान में यही राइज है कि महर मुअज्जल से यही समझते हैं (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़ौजा नाबालिग़ा है तो उस के बाप या दादा को इख़्तियार है कि महर मुअज्जल लेने के लिये रुख़सत न करें और ज़ौजा खुद अपने को शौहर के क़ब्ज़ा में नहीं दे सकती और नाबालिग़ा का महर मुअज्जल लेने से पहले सिर्फ़ बाप दादा रुख़सत कर सकते हैं इन के सिवा और किसी वली को इख़्तियार नहीं कि रुख़सत कर दे (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत ने जब महरे मुअज्जल पा लिया तो अब शौहर उसे परदेस को भी लेजा सकता है औरत को अब इनकार का हक़ नहीं और अगर महरे मुअज्जल में एक रुपया भी बाक़ी है तो वती व सफ़र से बाज़ रह सकती है यूहीं अगर औरत का बाप मअ् अहल व अयाल परदेस को जाना चाहता है और अपने साथ अपनी जवान लड़की को ले जाना चाहता है जिस की शादी हो चुकी है और शौहर ने महर मुअज्जल अदा नहीं किया है तो ले जा सकता है और महर वुसूल हो चुका है तो बग़ैर इजाज़ते शौहर नहीं ले जा सकता अगर महरे मुअज्जल कुल अदा हो चुका है सिर्फ़ एक दिरहम बाक़ी है तो ले जा सकता है और शौहर यह चाहे कि जो दिया है वापस कर ले तो वापस नहीं ले सकता (आलमगीरी)

मसअला :– नाबालिग़ा की रुख़सत हो चुकी मगर महरे मुअज्जल वुसूल नहीं हुआ है तो उस का वली रोक सकता है और शौहर कुछ नहीं कर सकता जब तक महर मुअज्जल अदा न कर ले (आलमगीरी)

मसअला :– बाप अगर लड़की का महर शौहर से वुसूल करना चाहे तो उस की ज़रूरत नहीं कि लड़की भी वहाँ हाज़िर हो फिर अगर शौहर लड़की के बाप से रुख़सत के लिए कहे और लड़की अपने बाप के घर मौजूद हो तो रुख़सत कर दे और अगर वहाँ न हो और भेजने पर भी कुदरत न हो तो महर पर क़ब्ज़ा करने का भी उसे हक़ नहीं अगर शौहर महर देने पर तैयार है मगर यह कहता है कि लड़की का बाप लड़की को नहीं देगा खुद ले लेगा तो क़ाज़ी हुक्म देगा कि लड़की का बाप ज़ामिन दे कि महर लड़की के पास पहुँच जायेगा और शौहर को हुक्म देगा कि महर अदा करे। (आलमगीरी)

मसअला :– महरे मुअज्जल यानी मीआदी था और मीआद पूरी होगई तो औरत अपने को रोक सकती है या बाज़ मुअज्जल था बाज़ मीआदी और मीआद पूरी हो गई तो औरत अपने को रोक सकती है (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर महर मुअज्जल (जिस की मीआद मौत या तलाक़ थी)या मुतलक़ था और तलाक़ या मौत वाक़िअ् हुई तो अब यह भी मुअज्जल हो जायेगा यानी फ़िलहाल मुतालबा कर सकती है अगर्चे तलाक़े रज्ई हो मगर रज्ई में रुजूअ् के बाद मुअज्जल हो गया और अगर महर मुनज्जिम यानी किस्त बकिस्त वुसूल करेगी और तलाक़ हुई तो अब भी किस्त ही के साथ लेगी(आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– महरे मुअज्जल लेने के लिए औरत अगर वती से इन्कार करे तो उस की वजह से नफ़का साकित न होगा और उस सूरत में बिला इजाज़त शौहर के घर से बाहर सफ़र में भी जासकती है जबकि ज़रूरत से हो और अपने मैके वालों से मिलने के लिए भी बिला इजाज़त जा सकती है और जब महर वुसूल कर लिया तो अब बिला इजाज़त नहीं जा सकती मगर सिर्फ़ माँ बाप की मुलाकात को हर हफ़्ता में एक बार दिन भर के लिए जासकती है और महारिम के यहाँ साल भर में एक बार और मुहारिम के सिवा और रिश्ता दारों या ग़ैरों के यहाँ ग़मी शा शादी की किसी तक़रीब में नहीं जा सकती न शौहर उन मौक़ों पर जाने की इजाज़त दे अगर इजाज़त दी तो दोनों गुनहगार हुए (दुर्रे मुख़्तार)

नोट :– इस बयान में मुअज्जल (معجل)और मुअज्जल(مؤجل)के फ़र्क़ को अच्छी तरह समझ लें ताकि ठीक तरह से मसअला समझ में आये। (क़ादरी)

महर में इख़्तिलाफ़ की सूरतें

मसअला :– महर में इख़्तिलाफ़ हो तो उस की चन्द सूरतें हैं एक यह कि नफ़्से महर मे इख़्तिलाफ़ हो एक कहता है महर बँधा था दूसरा कहता है निकाह के वक़्त महर का ज़िक्र ही न आया तो जो कहता है बन्धा था गवाह पेश करे न पेश कर सके तो इन्कार करने वाले को हलफ़ दिया जाये अगर हलफ़ उठाने से इन्कार करे तो मुद्दई का दअ्वा साबित और हलफ़ उठा ले तो महरे मिस्ल वाजिब होगा यानी जबकि निकाह बाक़ी हो या ख़लवत के बाद तलाक़ हुई और अगर ख़लवत से पहले तलाक़ हुई तो कपड़े का जोड़ा वाजिब होगा उस का हुक्म पेश्तर बयान हो चुका दूसरी सूरत यह कि मिक़दार में इख़्तिाफ़ हो तो अगर महरे मिस्ल उतना है जितना औरत बताती है या ज़ाइद तो औरत की बात क़सम के साथ मानी जाये और अगर महरे मिस्ल शौहर के कहने के मुताबिक़ है या कम तो क़सम के साथ शौहर की बात मानी जाये और अगर किसी ने गवाह पेश किए तो उस का क़ौल माना जाये महरे मिस्ल कुछ भी हो और अगर दोनों ने पेश किए तो जिस का क़ौल महरे मिस्ल के ख़िलाफ़ है उस के गवाह मक़बूल हैं और अगर महरे मिस्ल दोनों दअ्वों के दरमियान है मसलन शौहर का दअ्वा एक हज़ार का है और औरत का दो हज़ार का और महरे मिस्ल डेढ़ हज़ार है तो दोनों को क़सम देंगे जो क़सम खा जाये उसका क़ौल मोअ्तबर है या जो गवाह पेश करे उस का क़ौल माना जाये और अगर दोनों क़सम खा जायें या दोनों गवाह पेश करें तो महरे मिस्ल पर फ़ैसला होगा यह तफ़सील उस वक़्त है कि निकाह बाक़ी हो दुख़ूल हो या नहीं या दोनों में एक मर चुका हो यूँही उस सूरत में कि दुख़ूल के बाद तलाक़ दे दी हो और अगर क़ब्ल दुख़ूल तलाक़ दी हो तो मतआ–ए–मिस्ल (यानी जोड़ा)जिस के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो क़सम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है और अगर मतआ–ए–मिस्ल दोनों के दरमियान हो तो दोनों पर हलफ़ रखें जो हलफ़ उठा ले उस की बात मोअ्तबर है और दोनों उठालें तो मतअ् मिस्ल देंगे और अगर कोई गवाह पेश करे तो क़ौल मोअ्तबर है और दोनों ने पेश किए तो जिस का क़ौल मतआ–ए–मिस्ल के ख़िलाफ़ है वह मोअ्तबर और अगर दोनों का इन्तिक़ाल हो चुका और दोनों के वुरसा में इख़्तिलाफ़ हुआ तो मिक़दार में ज़ौज के वुरसा का क़ौल माना जाये और नफ़्से महर में इख़्तिलाफ़ हुआ कि मुक़र्रर हुआ था या नहीं तो महरे मिस्ल पर फ़ैसला करेंगे (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– शौहर अगर काबीन नामा(महर का काग़ज़) लिखने से इन्कार करे तो मजबूर न किया जाये और अगर महर रुपये का बाँधा गया और काबैन नामा में अशरफ़ियाँ लिखी गयीं तो शौहर पर रुपये वाजिब हैं मगर क़ाज़ी अशरफ़ियाँ दिलवायेगा जबकि उसे इल्म न हो कि रुपये का महर बँधा था(आलमगीरी)

शौहर ने औरत के यहाँ कुछ चीज़ भेजना

मसअला :– शौहर ने कोई चीज़ औरत के यहाँ भेजी अगर यह कह दिया कि हदया है तो अब नहीं कह सकता कि महर में थी और अगर कुछ न कहा और अब कहता है कि महर में भेजी और औरत कहती है कि हदया है और चीज़ खाने की क़िस्म से है मसलन रोटी, गोश्त, हलवा, मिठाई वग़ैरा तो औरत से क़सम ले कर उस का क़ौल माना जायेगा और अगर खाने की क़िस्म से नहीं यानी बाक़ी रहने वाली चीज़ हो मसलन कपड़े, बकरी, घी, शहद वग़ैरहा तो शौहर को हलफ़ दिया जाये क़सम खा ले तो उस की बात माने और औरत को इख़्तियार होगा कि अगर वह चीज़ महरकी क़िस्म से नहीं और बाक़ी है तो वापस दे और अपना महर वुसूल करे (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शौहर ने औरत के यहाँ कोई चीज़ भेजी और औरत के बाप ने शौहर के यहाँ कुछ भेजा शौहर कहता है वह चीज़ मैंने महर में भेजी थी तो क़सम के साथ उस का क़ौल मान लिया

जायेगा और औरत को इख़्तियार होगा कि वह शैय वापस करे या महर में महसूब करे और औरत के बाप ने जो भेजा था अगर वह शैय हलाक होगई तो कुछ वापस नहीं ले सकता और मौजूद है तो वापस ले सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– जिस लड़की से मंगनी हुई उस के पास लड़के के यहाँ से शकर और मेवे वग़ैरा आये फिर किसी वजह से निकाह न हुआ तो अगर वह चीज़ें तक़सीम हो गईं और भेजने वाले ने तक़सीम की इजाज़त भी दे दी थी तो वापस नहीं ले सकता वरना वापस ले सकता है (आलमगीरी) तक़सीम की इजाज़त सराहतन हो या उ़र्फ़न मसलन हिन्दुस्तान में इस मौक़े पर ऐसी चीज़ें इसी लिए भेजते हैं कि लड़की वाला अपने कुन्बा और रिश्ता दोरों में बाँटेगा यह चीज़ें इस लिए नहीं होती कि रख लेगा या ख़ुद खा जायेगा

मसअला :– शौहर ने औरत के यहाँ ईदी भेजी फिर यह कहता है कि वह रुपये महर में भेजे थे तो उस का क़ौल नहीं माना जायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– औरत मरगई शौहर ने गाय बकरी वग़ैरा कोई जानवर भेजा कि ज़िबह कर के तीजा में खिलाया जाये उस की क़ीमत नहीं बताई थी तो नहीं ले सकता और क़ीमत बतादी थी तो ले सकता है और अगर इख़्तिलाफ़ हो वह कहता है कि बतादी थी और लड़की वाला कहता है कि नहीं बताई थी तो अगर लड़की वाला क़सम खाले तो उस की बात मान ली जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– कोई औरत इ़द्दत में थी उसे ख़र्च देता रहा इस उम्मीद पर कि बादे इ़द्दत इस से निकाह करेगा अगर निकाह हो गया तो जो कुछ ख़र्च किया है वापस नहीं ले सकता और औरत ने निकाह से इन्कार कर दिया तो जो उसे बतौर तमलीक दिया है वापस ले सकता है और जो बतौर इबाहत दिया है मसलन उस के यहाँ खाना खाती रही तो यह वापस नहीं ले सकता (तनवीर)

मसअला :– लड़की को जो कुछ जहेज़ में दिया है वह वापस नहीं ले सकता और वुरसा को भी इख़्तियार नहीं जबकि मर्ज़ुलमौत में न दिया हो यूँही जो कुछ सामान नाबालिग़ा लड़की के लिए ख़रीदा अगर्चे अभी न दिया हो या मर्ज़ुलमौत में दिया उस की मालिक भी तन्हा लड़की है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लड़की वालों ने निकाह या रुख़सत के वक़्त शौहर से कुछ लिया हो यानी बग़ैर लिये निकाह या रुख़सत से इन्कार करते हों और शौहर ने देकर निकाह या रुख़सत कराई तो शौहर उस चीज़ को वापस ले सकता है और वह न रही तो उस की क़ीमत ले सकता है कि यह रिश्वत है (बहर वग़ैरा)रुख़सत के वक़्त जो कपड़े भेजे अगर बतौर तमलीक है जैसे हिन्दुस्तान में उमूमन रिवाज है कि डाल बरी में जो जोड़े भेजे जाते हैं और उ़र्फ़ यही है कि लड़की को मालिक कर देते हैं तो उन्हें वापस नहीं ले सकता और तमलीक न हो तो ले सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– लड़की को जहेज़ दिया फिर यह कहता है कि मैंने बतौर आरियत दिया है और लड़की या उस के मरने के बाद शौहर कहता है कि बतौर तमलीक (मालिक बनाना) दिया है तो अगर वह चीज़ ऐसी है कि उमूमन लोग उसे जहेज़ में दिया करते हैं तो लड़की या उस के शौहर का क़ौल माना जाये और अगर उमूमन यह बात न हो बल्कि आरियत व तमलीक दोनों तरह दी जाती हो तो उस के बाप या वुरसा का क़ौल मोअ़तबर है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिस सूरत में लड़की का क़ौल मोअ़तबर है अगर उस के बाप ने गवाह पेश किये जो उस अम्र की शहादत देते हैं कि देते वक़्त उस ने कह दिया था कि आरियत है तो गवाह मान लिए जायेंगे (आलमगीरी)

मसअला :– बालिग़ा लड़की का निकाह कर दिया और जहेज़ के असबाब भी मुअ़य्यन कर दिये मगर अभी दिये नहीं और वह अ़क्द फ़स्ख़ हो गया फिर दूसरे से निकाह हुआ तो लड़की उस जहेज़ का बाप से मुतालबा नही कर सकती। (आलमगीरी)

मसअला :– लड़की ने माँ बाप के माल और अपनी दस्तकारी से कोई चीज़ जहेज़ के लिये तैयार की और उस की माँ मर गई बाप ने वह चीज़ जहेज़ में दे दी तो उस के भाईयों को यह हक़ नहीं पहुँचता कि उस चीज़ में माँ की तरफ़ से मीरास का दअ़्वा करें यूँही उस का बाप जो कपड़े लाता रहा उस में से यह अपने जहेज़ के लिए बना कर रखती रही और बहुत कुछ जमअ़ कर लिया और बाप मरगया तो यह असबाब सब लड़की का है (आलमगीरी)

मसअला :– माँ ने बेटी के लिए उस के बाप के माल से जहेज़ तैयार किया या उस का कुछ असबाब जहेज़ में दे दिया और उसे इ़ल्म हुआ और ख़ामोश रहा और लड़की रुख़सत कर दी गई तो अब बाप उस जहेज़ को लड़की से वापस नहीं ले सकता (तनवीरुल अबसार)

मसअला :– जिस घर में दोनों ज़न व शौहर रहते हैं उस में कुछ असबाब जिस का हर एक मुद्दई है तो अगर वह ऐसी शय है जो औरतें बरत्ती हैं मसलन दोपट्टा, सिंगार दान, ख़ास औरतों के पहनने के कपड़े तो ऐसी चीज़ औरत को दी जायेगी हाँ अगर शौहर सुबूत दे कि यह चीज़ उस की है तो उसे देदेंगे और अगर वह ख़ास मर्दों के बरतने की है मसलन टोपी, अ़मामा, अंगरखा और हथयार वग़ैरा तो ऐसी चीज़ मर्द को देंगे मगर जब औरत गवाह से अपनी मिल्क साबित करे तो उसे देंगे और अगर दोनों के काम की वह चीज़ हो मसलन बिछौना तो यह भी मर्द ही को दें मगर जब औरत गवाह पेश करे तो उसे दे दें और अगर उन दोनों में एक का इन्तिक़ाल हो चुका है उस के वुरसा और उस मे इख़्तिलाफ़ हुआ जब भी वही तफ़सील है मगर जो चीज़ दोनों के बरतने की हो वह उसे दें जो ज़िन्दा है वारिस को नहीं और अगर मकान में माले तिजारत है और मशहूर है कि वह शख़्स उस चीज़ की तिजारत करता था तो मर्द को दें (आलमगीरी)

मसअला :– जो चीज़ मुसलमान के निकाह में महर हो सकती है वह काफ़िर के निकाह में भी हो सकती है और जो मुसलमान के निकाह में महर नहीं हो सकती काफ़िर के निकाह में भी नहीं हो सकती सिवा शराब व ख़िन्ज़ीर कि यह काफ़िर के महर में हो सकते हैं मुसलमान के नहीं(अम्ए कुतुब)

मसअला :– काफ़िर का निकाह बग़ैर महर के हुआ यानी महर का ज़िक्र न आया या कहा कि महर नहीं दिया जायेगा या मुर्दार का महर बाँधा और यह उनके मज़हब में जाइज़ भी हो यानी उन सूरतों में उन के यहाँ महर का हुक्म न दिया जाता हो तो उन सूरतों में औरत को महर न मिलेगा अगर्चे वती हो चुकी या क़ब्ले वती तलाक़ हो गई हो या शौहर मर गया हो अगर्चे दोनों अब मुसलमान हो गये या मुसलमान के पास उस का मुक़द्दमा पेश किया हाँ बाक़ी अहकामे निकाह साबित होंगे मसलन वुजूबे नफ़्क़ा, वुक़ूए़ तलाक़, इ़द्दत, नसब, ख़ियारे बुलूग़ वग़ैरा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नाबालिग़ ने बग़ैर इजाज़ते वली निकाह किया और वती भी कर ली फिर वली ने रद कर दिया तो महर लाज़िम नहीं (ख़ानिया)

मसअला :– नाबालिग़ा के बाप को हक़ है कि अपनी लड़की का महर मुअ़ज्जल शौहर से तलब करे और अगर लड़की क़ाबिले जिमाअ़ है तो शौहर रुख़सत करा सकता है और उस के लिए किसी सिन(उम्र)की तख़सीस नहीं और अगर इस क़ाबिल नहीं अगर्चे बालिग़ा हो तो रुख़सत पर जब्र नहीं किया जा सकता (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

लौन्डी, गुलाम के निकाह का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है :–

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ

तर्जमा :– "और तुम में कुदरत न होने के सबब जिस के निकाह में आज़ाद औरतें मुसलमान न हो तो उस से निकाह करे जिस को तुम्हारे हाथ मालिक हैं ईमान वाली बाँदियाँ और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ख़ूब जानता है तुम में एक दूसरे से है तो उन से निकाह करो उन के मालिकों की इजाज़त से और हस्बे दस्तूर उनके महर उन्हें दो"

इमाम अहमद, व अबू दाऊद, व तिर्मिज़ी व हाकिम जाबिर रदियल्लाह तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो गुलाम बग़ैर मौला की इजाज़त के निकाह करे वह ज़ानी है अबू दाऊद इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब गुलाम ने बग़ैर इजाज़ते मौला निकाह किया तो उस का निकाह बातिल है इमाम शाफ़िई व बैहक़ी हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी उन्होंने फरमाया गुलाम दो औरतों से निकाह कर सकता है ज़्यादा नहीं।

मसअ्ला :– लौन्डी गुलाम ने अगर्चे ख़ुद निकाह कर लिया या उन का निकाह किसी और ने करदिया तो यह निकाह मौला की इजाज़त पर मौकूफ़ है जाइज़ करदेगा नाफ़िज़ हो जायेगा रद कर देगा बातिल होजायेगा फिर अगर वती भी हो चुकी और मौला ने रद कर दिया तो जब तक आज़ाद न हो लौन्डी अपना महर तलब नहीं कर सकती न गुलाम से मुतालबा हो सकता है और अगर वती न हुई जब तो महर वाजिब ही न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यहाँ मौला से मुराद वह है जिसे उस के निकाह की विलायत हासिल हो मसलन मालिक नाबालिग़ा हो तो उसका बाप या दादा या काज़ी या वसी और लौन्डी गुलाम से मुराद आम है मुदब्बिर, मुकातिब, माज़ून, उम्मे वलद, या वह जिस का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका सब को शामिल है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुकातिब अपनी लौन्डी का निकाह अपने इज़्न से कर सकता है और अपना या अपने गुलाम का नहीं कर सकता और माज़ून गुलाम लौन्डी का भी नहीं कर सकता (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मौला की इजाज़त से गुलाम ने निकाह किया तो महर व नफ़्क़ा ख़ुद गुलाम पर वाजिब है मौला पर नहीं और मरगया तो महर व नफ़्क़ा दोनों साक़ित और गुलाम ख़ालिस महर व नफ़्क़ा के सबब बेच डाला जायेगा और मुदब्बर, मुकातिब न बेचे जायें बल्कि उन्हें हुक्म दिया जाये कि कमा कर अदा करते रहें हाँ मुकातिब अगर बदले किताबत से आ़जिज़ हो तो अब मुकातिब न रहेगा और महर व नफ़्क़ा में बेचा जायेगा और गुलाम की बैअ् उस का मौला करे अगर वह इन्कार करे तो उस के सामने क़ाज़ी बैअ् कर देगा और यह भी हो सकता है कि जिन दामों को फ़रोख़्त हो रहा है मौला अपने पास से उतने दाम दे दे और फ़रोख़्त न होने दे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– महर में फ़रोख़्त हुआ मगर वह दाम अदाए महर के लिए काफ़ी न हों तो अब दोबारा फ़रोख़्त न किया जाये बल्कि बक़िया महर बादे आज़ादी तलब कर सकती है और अगर ख़ुद उसी

औरत के हाथ बेचा गया तो बक़िया महर साक़ित हो गया और नफ़्क़ा में बेचा गया और उन दामों से नफ़्क़ा अदा न हुआ तो बाक़ी बादे इत्क़(आज़ादी के बाद) ले सकती है और बैअ् के बाद फिर और नफ़्क़ा वाजिब हुआ तो दोबारा बैअ् हो उस में भी अगर कुछ बाक़ी रहा तो बाद आज़ादी यूँही हर जदीद नफ़्क़ा में बैअ् हो सकती है और बक़िया में नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ने अपने गुलाम का निकाह अपनी लौन्डी से कर दिया तो सहीह यह है कि महर वाजिब ही न हुआ यानी जब कनीज़ माज़ूना मदयूना न हो वरना महर में बेचा जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गुलाम का निकाह उस के मौला ने कर दिया फिर फ़रोख़्त कर डाला तो महर गुलाम की गर्दन से वाबस्ता है यानी औरत जब चाहे उसे फ़रोख़्त करा कर महर वुसूल करे और औरत को यह भी इख़्तियार है कि पहली बैअ् फ़स्ख़ कराde (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मौला को अपने गुलाम और लौन्डी पर जबरी विलायत है यानी जिस से चाहे निकाह कर दे उन को मनअ् का कोई हक़ नहीं मगर मुकातिब व मुकातिबा का निकाह बग़ैर इजाज़त नहीं कर सकता अगर्चे नाबालिग़ हों करदेगा तो उन की इजाज़त पर मौकूफ़ रहेगा और अगर नाबालिग मुकातिब व मुकातिबा ने बदले किताबत अदा कर दिया और आज़ाद हो गये तो अब मौला की इजाज़त पर मौकूफ़ है जबकि और कोई अस्बा न हो कि नाबालिग़ी की वजह से इजाज़त के अहल नहीं और अगर बदले किताबत अदा करने से आ़जिज़ हुए तो मुकातिब गुलाम का निकाह इजाज़ते मौला पर मौकूफ़ है और मुकातिबा का बातिल (आलमगीरी)

मसअ्ला :– गुलाम ने बग़ैर इज़्ने मौला निकाह किया अब मौला से इजाज़त माँगी उस ने कहा तलाक़े रज्ई देदे तो इजाज़त होगई और पहला निकाह सहीह हो गया और कहा तलाक़ दे दे या उसे अलाहिदा कर दे तो यह इजाज़त नहीं बल्कि पहला निकाह रद होगया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मौला से निकाह की इजाज़त ली और निकाह फ़ासिद किया तो इजाज़त ख़त्म हो गई यानी फिर निकाहे सहीह करना चाहे तो दोबारा इजाज़त लेनी होगी और निकाहे फ़ासिद में वती कर ली है तो महर गुलाम पर वाजिब यानी गुलाम महर में बेचा जा सकता है और अगर इजाज़त देने में मौला ने निकाहे सहीह की नियत की थी तो उस की नियत का एअ्तिबार होगा और निकाहे फ़ासिद की इजाज़त दी तो यही निकाह सहीह की भी इजाज़त है बख़िलाफ़ वकील कि उस ने अगर पहली सूरत में निकाह फ़ासिद कर दिया तो अभी वकालत ख़त्म न हुई दो बारा सहीह निकाह कर सकता है और अगर उसे निकाहे फ़ासिद का वकील बनाया है तो निकाहे सहीह का वकील नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गुलाम को निकाह की इजाज़त दी थी उस ने एक अ़क़्द में दो औरतों से निकाह किया तो किसी का न हुआ हाँ अगर इजाज़त ऐसे लफ़्ज़ों से दी जिन से तअ़मीम (आम इजाज़त) समझी जाती है तो हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने अपनी लड़की का निकाह अपने मुकातिब से कर दिया फिर मरगया तो निकाह फ़ासिद न होगा हाँ अगर मुकातिब बदले किताबत अदा करने से आ़जिज़ आया तो अब फ़ासिद हो जायेगा कि लड़की उस की मालिका हो गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुकातिब या मुकातिबा ने निकाह किया और मौला मर गया तो वारिस की इजाज़त से सहीह हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लौन्डी का निकाह हुआ तो जो कुछ महर है मौला को मिलेगा ख़्वाह अ़क़्द से महर वाजिब हुआ हो या दुख़ूल से मसलन निकाह फ़ासिद कि उस में नफ़्से निकाह से महर वाजिब नहीं

होता मगर मुकातिबा या जिस का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका है कि उन का महर उन्हीं को मिलेगा मौला को नहीं कनीज़ का निकाह कर दिया था फिर आजाद कर दी अब उस के शौहर ने महर में कुछ इज़ाफा किया तो यह भी मौला ही को मिलेगा (आलमगीरी)

मसअला :– बग़ैर इजाज़ते मौला निकाह किया और इजाज़त से पहले तलाक दे दी तो अगर्चे यह तलाक नहीं मगर अब मौला की इजाज़त से भी जाइज़ न होगा (आलमगीरी)

मसअला :– कनीज़ ने बग़ैर इज़्न निकाह किया था और मौला ने उसे बेच डाला और वती हो चुकी है तो मुश्तरी की इजाज़त से सहीह हो जायेगा वरना नहीं और अगर मुश्तरी ऐसा शख्स हो कि उस कनीज़ से वती उस के लिए हलाल न हो तो अगर्चे वती न हुई हो इजाजत दे सकता है यूँही गुलाम ने बग़ैर इज़्न निकाह किया था मौला ने उसे बेच डाला और मुश्तरी ने जाइज़ कर दिया मौला मरगया और वारिस ने जाइज़ कर दिया होगया और आजाद कर दिया गया तो खुद सहीह होगया इजाज़त की हाजत ही न रही (आलमगीरी)

मसअला :– लौन्डी ने बग़ैर इजाज़त निकाह किया था और मौला ने इजाजत दे दी तो महर मौला को मिलेगा अगर्चे इजाजत के बाद आजाद कर दिया हो अगर्चे आजादी के बाद सोहबत हुई हो और अगर मौला ने इजाज़त से पहले आजाद कर दिया और वह बालिग़ा है तो निकाह जाइज हो गया फिर अगर आज़ादी से पहले वती हो चुकी है तो महर मौला को मिलगा वरना लौन्डी को और अगर नाबालिग़ा है तो आजादी के बाद भी इजाजते मौला पर मौकूफ है जबकि कोई और अस्बा न हो वरना उसकी इजाजत पर। (आलमगीरी)

मसअला :– बग़ैर गवाहों के निकाह हुआ और मौला ने गवाहो के सामने जाइज़ किया तो निकाह सहीह न हुआ। (आलमगीरी)

मसअला :– बाप या वसी ने नाबालिग की कनीज का निकाह उस के गुलाम से किया तो सहीह न हुआ (आलमगीरी)

मसअला :– लौन्डी ने बग़ैर इजाज़ते मौला निकाह किया उस के बाद मौला ने वती की या शहवत से बोसा लिया तो निकाह फस्ख़ हो गया मौला को निकाह का इल्म हो या न हो (आलमगीरी)

मसअला :– कनीज़ ख़रीदी और कब्ज़ा से पहले उस का निकाह कर दिया तो अगर बैअ् तमाम होगई निकाह हो गया और बैअ् फस्ख हो गई तो निकाह भी बातिल (आलमगीरी)

मसअला :– बाप की कनीज का बेटे ने निकाह कर दिया फिर बाप मर गया तो अब यह निकाह बेटे की इजाज़त पर मौकूफ है रद कर देगा तो रद हो जायेगा और अगर बेटे ने बाप के मरने के बाद अपना निकाह उस की कनीज से किया तो सहीह न हुआ (आलमगीरी)

मसअला :– मुकातिब ने अपनी जौजा को खरीदा तो निकाह फ़ासिद न हुआ और अगर तलाके बाइन दे दी फिर निकाह करना चाहे तो बग़ैर इजाजत नही कर सकता (आलमगीरी)

मसअला :– लौन्डी का निकाह कर दिया तो मौला पर यह वाजिब नहीं कि उसे शौहर के हवाले कर दे और ख़िदमत न ले (और उस को तबविया कहते हैं)हाँ अगर शौहर के पास आती जाती है और मौला की खिदमत भी करती है तो यूँ कर सकती है और शौहर को मौका मिले तो वती कर सकता है अगर शौहर ने महर अदा कर दिया है तो मौला पर यह जरूरी है कि इतना कह दे अगर तुझे मौका मिले तो वती कर सकता है और अगर अक्द में तबविया की शर्त थी जब भी मौला पर वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :– अगर कनीज़ को उस के शौहर के हवाले कर दिया जब भी मौला को इख़्तियार है जब चाहे उस से ख़िदमत ले और ज़माना–ए–तबविया में नफ़्क़ा और रहने को मकान शौहर के ज़िम्मे है और मौला वापस ले तो मौला पर है शौहर से साकित हो गया और अगर खुद किसी किसी वक्त अपने आका का काम कर जाती है मौला ने हुक्म नही दिया है तो नफ़्क़ा वग़ैरा शौहर ही पर है यूँही अगर मौला दिन में काम लेता है मगर रात को शौहर के मकान पर भेज देता है जब भी नफ़्क़ा शौहर पर है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– ज़माना–ए–तबविया में तलाक बाइन दी तो नफ़्क़ा वग़ैरा शौहर के ज़िम्मे है और वापस लेने के बाद दी तो मौला पर (आलमगीरी)

मसअला :– जिस कनीज़ का निकाह कर दिया उसे सफ़र में ले जाना चाहता है तो मुतलकन उसे इख़्तियार है अगर्चे शौहर मनअ् करे बल्कि अगर्चे शौहर ने पूरा महर दे दिया हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिस कनीज़ से वती करता है अब उस का निकाह करना चाहता है तो इस्तिबरा वाजिब है अगर निकाह कर दिया और छः महीने से कम में बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा मौला का करार दिया जायेगा यानी जबकि वह कनीज़ उम्मे वलद हो और मौला ने इन्कार न किया हो और उम्मे वलद न हो तो वह बच्चा मौला का उस वक़्त है जब उस ने दअ्वा किया हो और अगर लाइल्मी में निकाह किया तो बहर सूरत निकाह फ़ासिद है शौहर ने वती की है तो महर वाजिब है वरना नही और दानिसता निकाह कर दिया तो निकाह हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– कनीज़ का निकाह कर दिया तो उस से जो बच्चा पैदा होगा वह आज़ाद नहीं मगर जब कि निकाह मे आज़ादी की शर्त लगादी हो तो उस निकाह से जितनी औलादें पैदा हुई आज़ाद है और अगर तलाक दे कर फिर निकाह किया तो उस निकाहे सानी (दूसरे निकाह)की औलाद आज़ाद नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कनीज़ का निकाह कर दिया और वती से पहले मौला ने उस को मार डाला अगर्चे ख़ताअन कत्ल वाकेअ् हुआ तो महर साकित हो गया जबकि वह मौला आकिल, बालिग़ हो और अगर लौन्डी ने खुद कुशी की या मुरतद्दा हो गई या उस ने अपने शौहर के बेटे का बशहवत बोसा लिया या शौहर की वती के बाद मौला ने कत्ल किया तो इन सूरतों में महर साकित नही।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला – वती करने में अगर इन्ज़ाल बाहर करना चाहता है तो इन सूरतों में महर साकित नहीं

मसअला :– वती करने में अगर इन्ज़ाल बाहर करना चाहता है तो उस में इजाज़त की ज़रूरत है अगर औरते हुर्रा मुकातिबा है तो खुद उस की इजाज़त से और कनीज़ बालिग़ा है तो मौला की इजाजत से और अपनी कनीज़ से वती की तो अस्लन इजाज़त की हाजत नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– कनीज जो किसी के निकाह मे है अगर्चे उस का शौहर आज़ाद हो जब वह आज़ाद होगी तो उसे इख़्तियार है चाहे अपने नफ्स को इख़्तियार करे तो निकाह फस्ख़ हो जायेगा और वती न हुई हो तो महर भी नहीं और चाहे शौहर को इख़्तियार करे तो निकाह बर करार रहेगा और नाबालिग़ा है तो वक्ते बुलूग़ उसे यह इख़्तियार होगा कि अपने नफ़्स को इख़्तियार करे या शौहर को (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ख़ियारे इत्क़ (आजादी का इख़्तियार) से निकाह फस्ख़ होना हुक्मे क़ाज़ी पर मौकूफ नहीं और अगर आज़ादी की ख़बर सुन कर साकित (चुप) रही तो ख़ियार बातिल न होगा जब तक

कोई फ़ेअ्ल ऐसा न पाया जाये जिस से निकाह का इख़्तियार करना समझा जाये और मज्लिस से उठ खड़ी हुई तो अब इख़्तियार न रहा और अगर अब यह कहती है कि मुझे यह मसअ्ला मालूम न था कि आज़ादी के बाद इख़्तियार मिलता है तो उस का यह जहल उज़्र क़रार दिया जायेगा लिहाज़ा मसअ्ला मालूम होने के बाद अपने नफ़्स को इख़्तियार किया निकाह फ़स्ख़ हो गया और यह इख़्तियार सिर्फ़ बाँदी के लिए है गुलाम को नहीं और ख़ियारे बुलूग़ यानी नाबालिग़ का निकाह अगर उस के बाप या दादा के सिवा किसी और वली ने किया हो तो वक़्ते बुलूग़ उसे फ़स्ख़े निकाह का इख़्तियार मिलता है मगर ख़ियारे बुलूग़ से निकाह फ़स्ख़ होना हुक्मे क़ाज़ी पर मौक़ूफ़ है और अगर बालिग़ होते वक़्त अगर सुकूत किया तो ख़ियार जाता रहा जबकि निकाह का इल्म हो और यह आख़िर मज्लिस तक नहीं रहता बल्कि फ़ौरन फ़स्ख़ करे तो फ़स्ख़ होगा वरना नहीं और इस में जहल उज़्र नहीं और ख़ियारे बुलूग़ औरत व मर्द दोनों के लिए हासिल (ख़ानिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– निकाह कनीज़ की खुशी से हुआ था जब भी ख़ियारे इत्क़ उसे हासिल है और अगर बग़ैर इजाज़ते मौला निकाह किया था और मौला ने न इजाज़त दी न रोका और आज़ाद कर दिया तो निकाह होगया और ख़ियारे इत्क़ नहीं है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बेटे की कनीज़ से निकाह किया और उस से औलाद हुई तो यह औलाद अपने भाई की तरफ़ से आज़ाद है मगर वह कनीज़ उम्मे वलद न हुई **यूँहीं** अगर बाप की कनीज़ से निकाह किया तो औलाद बाप की तरफ़ से आज़ाद होगी और कनीज़ उम्मे वलद नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बेटे की बाँदी से वती की और औलाद न हुई तो अक़्र वाजिब है और वती हराम है और अक़्र यह है कि सिर्फ़ बएअ्तिबारे जमाल जो उस की मिस्ल का महर होना चाहिए वह देना होगा और औलाद हुई और बाप ने उस का दअ्वा भी किया और बाप हुर्रे, मुस्लिम, आक़िल हो तो नसब साबित हो जायेगा बशर्ते कि वक़्ते वती से वक़्ते दअ्वा तक लड़का उस कनीज़ का मालिक रहे और कनीज़ बाप की उम्मे वलद हो जायेगी और औलाद आज़ाद और बाप कनीज़ की क़ीमत लड़के को दे अक़्र और औलाद की क़ीमत नहीं और अगर उस दरमियान में लड़के ने उस कनीज़ को अपने भाई के हाथ बेच डाला जब भी नसब साबित होगा और यही अहकाम होंगे लड़के ने अपनी उम्मे वलद की औलाद नफ़ी कर दी यानी यह कि मेरी नहीं और बाप ने दअ्वा किया कि यह मेरी औलाद है या लड़के की मुदब्बरा या मुकातिबा की औलाद का बाप ने दअ्वा किया तो इन सब सूरतों में महज़ बाप के दअ्वा करने से नसब साबित न होगा जब तक लड़का बाप की तस्दीक़ न करे (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दादा बाप के हुक्म में है जबकि बाप मर चुका हो या काफ़िर या मजनून या गुलाम हो बशर्ते कि वक़्ते उलूक़ से दअ्वे के वक़्त तक दादा को विलायत हासिल हो (दुर्रे मुख़्तार)

निकाहे काफ़िर का बयान

ज़हरी ने मुरसलन रिवायत की कि हुज़ूर के ज़माने में कुछ औरतें इस्लाम लाईं और उनके शौहर काफ़िर थे फिर जब शौहर भी मुसलमान होगये तो उसी पहले निकाह के साथ यह औरतें उन को वापस की गई यानी जदीद निकाह न किया गया।

मसअ्ला :– जिस क़िस्म का निकाह मुसलमानों में जाइज़ है अगर उस तरह का काफ़िर निकाह करे

तो उन का निकाह भी सहीह है मगर बाज़ उस क़िस्म के निकाह हैं जो मुसलमान के लिए नाजाइज़ और काफ़िर कर ले तो हो जायेगा उस की सूरत यह है कि निकाह की कोई शर्त मफ़क़ूद(शर्त न पाई जाये) हो मसलन बग़ैर गवाह निकाह हुआ या औरत काफ़िर की इद्दत में थी उस से निकाह किया मगर शर्त यह है कि कुफ़्फ़ार ऐसे निकाहे के जाइज़ होने के मोअ्तक़िद हों फिर ऐसे निकाह के बाद अगर दोनों मुसलमान हो गये तो उसी निकाहे साबिक़ पर बाक़ी रखे जायें नये निकाह की हाजत नहीं यूँहीं अगर क़ाज़ी के पास मुक़द्दमा दाइर किया तो क़ाज़ी तफ़रीक़ न करेगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– काफ़िर ने महारिम से निकाह किया अगर ऐसा निकाह उन लोगों में जाइज़ हो तो निकाह के लवाज़िम नफ़क़ा वग़ैरा साबित हो जायेंगे मगर एक दूसरे का वारिस न होगा और अगर दोनों इस्लाम लाये या एक तो तफ़रीक़ कर दी जायेगी यूँही अगर क़ाज़ी या किसी मुसलमान के पास दोनों ने उस का मुक़द्दमा पेश किया तो तफ़रीक़ करदेगा और एक ने किया तो नहीं (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– दो बहनों के साथ एक अक़्द में निकाह किया फिर एक को जुदा कर दिया फिर मुसलमान हुआ तो जो बाक़ी है उस का निकाह सहीह है उसी निकाह पर बरक़रार रखे जायें और जुदा न किया हो तो दोनों बातिल और अगर दो अक़्द के साथ निकाह हुआ तो पहली का सहीह है दूसरी का बातिल (आलमगीरी)

मसअ्ला :– काफ़िर ने औरत को तीन तलाक़ें दे दीं फिर उस के साथ बदस्तूर रहता रहा न उस से दूसरे ने निकाह किया न उस ने दो बारा निकाह किया या औरत ने खुला कराया और बाद खुला बग़ैर तजदीदे निकाह बदस्तूर रहा किया तो इन दोनों सूरतों में क़ाज़ी तफ़रीक़ करदेगा अगर्चे मुसलमान हुआ न क़ाज़ी के पास मुक़द्दमा आया और अगर तीन तलाक़ें देने के बाद औरत का दूसरे से निकाह न हुआ मगर उस शौहर ने तजदीदे निकाह की तो तफ़रीक़ न की जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किताबिया से मुसलमान ने निकाह किया था और तलाक़ दे दी अभी इद्दत ख़त्म न हुई थी कि उस से किसी काफ़िर ने निकाह किया तो तफ़रीक़ कर दी जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़ौज व ज़ौजा दोनों काफ़िर ग़ैर किताबी थे उन में से एक मुसलमान हुआ तो क़ाज़ी दूसरे पर इस्लाम पेश करे अगर मुसलमान हो गया तो ठीक और इन्कार या सुकूत किया तो तफ़रीक़ कर दे सुकूत की सूरत में एहतियात यह है कि तीन बार पेश करे यूँही अगर किताबी की औरत मुसलमान हो गई तो मर्द पर इस्लाम पेश किया जाये इस्लाम कबूल न किया तो तफ़रीक़ करदी जाये और अगर दोनों किताबी हैं और मर्द मुसलमान हुआ तो औरत बदस्तूर उस की ज़ौजा है (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– नाबालिग़ लड़का या लड़की समझदार हों तो इन्का भी वही हुक्म है और ना समझ हों तो इन्तिज़ार किया जाये जब तमीज़ आ जाये तो इस्लाम पेश किया जाये और अगर शौहर मजनून है तो उस का इन्तिज़ार न किया जाये कि होश में आये तो उस पर इस्लाम पेश करें बल्कि उस के बाप माँ पर इस्लाम पेश करें उन में जो कोई मुसलमान होजाये वह मजनून उस का ताबेअ् है और मुसलमान क़रार दिया जायेगा और अगर कोई मुसलमान न हो तो तफ़रीक़ कर दें और अगर उस के वालिदैन न हों तो क़ाज़ी किसी को उस के बाप का वसी क़रार देकर तफ़रीक़ करदे यह सब तफ़सील जुनूने अस्ली में हैं और अगर वह पहले मुसलमान था तो वह मुसलमान ही है अगर्चे उस के माँ बाप काफ़िर हों। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर मुसलमान हो गया और औरत मजूसिया थी और यहूदिया या नसरानिया होगई

तो तफ़रीक़ नहीं यूँही अगर यहूदिया थी अब नसरानिया हो गई या बिलअक्स तो बदस्तूर ज़ौजा है यूँही अगर मुसलमान की औरत नसरानिया थी यहूदिया हो गई या यहूदिया थी नसरानिया होगई तो बदस्तूर उस की औरत है यूँही अगर नसरानी की औरत मजूसिया होगई तो वह उस की औरत है (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– यह तमाम सूरतें उस वक़्त हैं कि दारुल इस्लाम में इस्लाम क़बूल किया हो और अगर दारुल हर्ब में मुसलमान हुआ तो औरत तीन हैज़ गुज़रने पर निकाह से ख़ारिज हो गई और हैज़ न आता हो तो तीन महीने गुज़रने पर कम उम्र होने की वजह से हैज़ न आता हो या बुढ़िया होगई कि हैज़ बन्द हो गया और हामिला हो तो वज़अ़े हमल से निकाह जाता रहा और यह तीन हैज़ या तीन महीने इद्दत के नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो जगह ऐसी हो कि न दारुल इस्लाम हो न दारुलहर्ब वह दारुल हर्ब के हुक्म में है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– और अगर वह जगह दारुल इस्लाम हो मगर काफ़िर का तसल्लुत हो जैसे आजकल हिन्दुस्तान तो इस मुआ़मले में यह भी दारुल हर्ब के हुक्म में है यानी तीन हैज़ या तीन महीने गुज़रने पर निकाह से बाहर होगी।

मसअ्ला :– एक दारुलइस्लाम में आकर रहने लगा दूसरा दारुलहर्ब में रहा जब भी औरत निकाह से बाहर होजायेगी मसलन मुसलमान होकर या ज़िम्मी बनकर दारुलइस्लाम में आया या यहाँ आकर मुसलमान या ज़िम्मी हुआ या क़ैद कर के दारुलहर्ब से दारुलइस्लाम में लाया गया तो निकाह से बाहर हो गई और अगर दोनों एक साथ क़ैद कर के लाये गये या दोनों एक साथ मुसलमान या ज़िम्मी बनकर वहाँ से आये या यहाँ आकर मुसलमान हुए या जिम्मा क़बूल किया तो निकाह से बाहर न हुई या हर्बी अमन लेकर दारुल इस्लाम में आया या मुसलमान या ज़िम्मी दारुलहर्ब को अमान लेकर गया तो औरत निकाह से बाहर न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बाग़ी की हुकूमत से निकल कर इमामे बरहक़ की हुकूमत में आया या बिल अक्स तो निकाह पर कोई असर नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसलमान या ज़िम्मी ने दारुलहर्ब में हरबिया किताबिया से निकाह किया था वह वहाँ से क़ैद कर के लाई गई तो निकाह से ख़ारिज न हुई यूँही अगर शौहर से पहले खुद आई जब भी निकाह बाक़ी है और अगर शौहर पहले आया और औरत बाद में तो निकाह जाता रहा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हिजरत कर के दारुलइस्लाम में आई मुसलमान हो कर या ज़िम्मी बनकर या यहाँ आकर मुसलमान या ज़िम्मिया हुई तो अगर हामिला न हो फ़ौरन निकाह कर सकती है और हामिला हो तो बाद वज़अ़े हमल, उस के लिए इद्दत नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– काफ़िर ने औरत और उस की लड़की दोनों से निकाह किया अब मुसलमान हुआ अगर एक अ़क़्द में निकाह हुआ तो दोनों का बातिल और अ़लाहेदा अ़लाहिदा निकाह किया और दुख़ूल किसी से न हुआ तो पहला निकाह सहीह है दूसरा बातिल और दोनों से वती कर ली है तो दोनों बातिल और अगर पहले एक से निकाह हुआ और दुख़ूल भी होगया उस के बाद दूसरी से निकाह किया तो पहला जाइज़ दूसरा बातिल और अगर पहली से सोहबत न की मगर दूसरी से की तो दोनों बातिल मगर जबकि पहली औरत माँ हो और दूसरी उस की बेटी और फ़क़त उस दूसरी से वती की तो उस लड़की से फिर निकाह कर सकता है और उस की माँ से नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत मुसलमान हुई और शौहर पर इस्लाम पेश किया गया उस ने इस्लाम लाने से इन्कार या सुकूत किया तो तफ़रीक़ की जायेगी और यह तफ़रीक़ तलाक़ क़रार दी जाये यानी अगर बाद में मुसलमान हो और उसी औरत से निकाह किया तो अब दो ही तलाक का मालिक रहेगा मिनजुमला तीन तलाकों के एक पहले हो चुकी है और यह तलाक बाइन है अगर्चे दुख़ूल हो चुका हो यानी अगर मुसलमान हो कर रजअ़त करना चाहे तो नही कर सकता बल्कि जदीद निकाह करना होगा और दुख़ूल हो चुका हो तो औरत पर इद्दत वाजिब है और इद्दत का नफ़का शौहर से लेगी और पूरा महर शौहर से ले सकती है और क़ब्ले दुख़ूल हो तो निस्फ़ महर वाजिब हुआ और इद्दत नहीं और अगर शौहर मुसलमान हुआ और औरत ने इन्कार किया तो तफ़रीक़ फ़स्ख़े निकाह है कि औरत की जानिब से तलाक़ नहीं हो सकती है फिर अगर वती हो चुकी है तो पूरा महर ले सकती है वरना कुछ नही (दुर्रे मुख़्तार बहर)

मसअ्ला :– ज़न व शौहर में से कोई मआ़ज़ल्ला मुरतद होगया तो निकाह फ़ौरन टूट गया और यह फ़स्ख़ है तलाक़ नहीं। औरत मोतूह है तो महर बहर हाल पूरा ले सकती है और ग़ैर मोतूह है तो अगर औरत मुरतद है कुछ न पायेगी और शौहर मुरतद हुआ तो निस्फ़ महर ले सकती है और औरत मुरतद हुई और जमाना–ए–इद्दत में मर गई और शौहर मुसलमान है तो तरका पायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला – दोनों एक साथ मुरतद हो गये फिर मुसलमान हुए तो पहला निकाह बाक़ी रहा और अगर दोनों में एक पहला मुसलमान हुआ फिर दूसरा तो निकाह जाता रहा और अगर यह मालूम न हो कि पहले कौन मुरतद हुआ तो दोनों का मुरतद होना एक साथ क़रार दिया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत मुरतद होगई तो इस्लाम लाने पर मजबूर की जाये यानी उसे क़ैद में रखें यहाँ तक कि मर जाये या इस्लाम लाये और जदीद निकाह हो तो महर बहुत थोड़ा रखा जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत ने जुबान से कलिमा–ए–कुफ़्र जारी किया ताकि शौहर से पीछा छूटे या इस लिये कि दूसरा निकाह होगा तो उस का महर भी दुसूल करेगी तो हर क़ाज़ी को इख़्तियार है कि कम से कम महर पर उसी शौहर के साथ निकाह कर दे औरत राज़ी हो या नाराज़ और औरत को यह इख़्तियार न होगा कि दूसरे से निकाह कर ले (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसलमान के निकाह में किताबिया औरत थी और मुरतद हो गया यह औरत भी उस के निकाह से बाहर हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बच्चा अपने बाप माँ में उस का ताबेअ़ होगा जिस का दीन बेहतर हो मसलन अगर कोई मुसलमान हो तो औलाद मुसलमान है हाँ अगर बच्चा दारुल हर्ब में है और उसका बाप दारुलइस्लाम में मुसलमान हुआ तो इस सूरत में उस का ताबेअ़ न होगा और अगर एक किताबी है दूसरा मजूसी या बुत परस्त तो बच्चा किताबी क़रार दिया जाये (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– मुसलमान का किसी लड़की से निकाह हुआ और उस लड़की के वालिदैन मुसलमान थे फिर मुरतद हो गये तो वह लड़की निकाह से बाहर न हुई और अगर लड़की के वालिदैन मुरतद हो कर लड़की को लेकर दारुलहर्ब को चले गये तो अब बाहर हो गई और अगर उस के वालिदैन में से कोई हालते इस्लाम में मरचुका है या मुरतद होने की हालत में मरा फिर दूसरा मुरतद हो कर लड़की को दारुल हर्ब में ले गया तो बाहर न हुई खुलासा यह कि वालिदैन के मुरतद होने से छोटे बच्चे मुरतद न होंगे जबतक दोनों मुरतद हो कर उसे दारुलहर्ब को न ले जायें नीज़ यह कि एक मर गया तो दूसरे के ताबेअ़ न होंगे अगर्चे यह मुरतद हो कर दारुलहर्ब को ले जाये और ताबेअ़

होने में शर्त यह है कि ख़ुद वह बच्चा इस क़ाबिल न हो कि इस्लाम व कुफ़्र में तमीज़ कर सके और समझ दार है तो इस्लाम व कुफ़्र में किसी का ताबेअ़ नहीं। मजनून भी बच्चा ही के हुक्म में है कि वह ताबेअ़ क़रार दिया जायेगा जबकि जुनूने असली हो और बुलूग़ से पहले या बाद बुलूग़ मुसलमान था फिर मजनून हो गया तो किसी का ताबेअ़ नहीं बल्कि यह मुसलमान है। बोहरे का भी यही हुक्म है कि असली है तो ताबेअ़ औ आरिज़ी है तो नहीं (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहा)

मसअला :– बालिग़ हो और समझ भी रखता हो मगर इस्लाम से वाक़िफ़ नहीं तो मुसलमान नहीं जबकि ईमान इजमाली भी न हो

मसअला :– मुरतद व मुरतद्दा का निकाह किसी से नहीं हो सकता न मुसलमान से न काफ़िर से न मुरतद व मुरतद्दा से (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़बान से कलिमा–ए–कुफ़्र निकला उस ने तजदीदे इस्लाम व तजदीदे निकाह की अगर मआ़ज़ल्लाह कई बार यूँही हुआ जब भी उसे हलाला की हाजत नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– नशा वाला जिसकी अ़क्ल जाती रही और ज़बान से कलिमा–ए–कुफ़्र निकला तो औरत निकाह से बाहर न हुई (आलमगीरी) मगर तजदीदे निकाह की जाये।

बारी मुक़र्रर करने का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا

तर्जमा :– अगर तुम्हें ख़ौफ़ हो कि अ़दल न करोगे तो एक ही से निकाह करो या वह बान्दीयाँ जिन के तुम मालिक हो या ज़्यादा क़रीब हैं उस से कि तुम से ज़ुल्म न हो"

और फ़रमाता है

لَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا○

तर्जमा :– "तुम से हर गिज़ न हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो अगर्चे हिर्स करो तो यह तो न हो कि एक तरफ़ पूरा झुक जाओ और दूसरी को लटकती छोड़ दो और अगर नेकी और परहेज़गारी करो तो बेशक अल्लाह तआ़ला बख़्शने वाला मेहरबान है"।

हदीस न.1 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व निसाई व इब्ने माजा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस की दो औरतें उन में एक की तरफ़ माइल हो तो क़यामत के दिन इस तरह हाज़िर होगा कि उस का आधा धड़ माइल होगा तिर्मिज़ी और हाकिम की रिवायत है कि अगर दोनों में अ़दल न करेगा तो क़यामत के दिन हाज़िर होगा इस तरह पर कि आधा धड़ साक़ित (बेकार) होगा।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम बारी में अ़दल फ़रमाते और कहते इलाही मैं जिस का मालिक हूँ उस में मैं ने यह तक़सीम करदी और जिस का मालिक तू है मैं मालिक नहीं (यानी मुहब्बते क़ल्ब)उस में मलामत न फ़रमा।

हदीस न.3 :– सहीह मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक अ़दल करने वाले अल्लाह के

नज़्दीक रहमान की दहिनी तरफ़ नूर के मिम्बर पर होंगे और उस के दोनों हाथ दहने हैं वह लोग जो हुक्म करने और अपने घर वालों में अ़दल करते हैं।

हदीस न.4 :– सहीहैन में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा फ़रमाते तो अज़वाजे मुतहहरात में क़ुरआ डालते जिन का क़ुरआ निकलता उन्हें अपने साथ ले जाते।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअला :– जिन की दो या तीन या चार औरतें हों उस पर अ़दल फ़र्ज़ है यानी जो चीज़ें इख़्तियारी हों उन में सब औरतों का एकसा लिहाज़ करे यानी हर एक को उस का पूरा हक़ अदा करे पोशाक और नान, नफ़क़ा और रहने, सहने में सब के हुक़ूक़ पूरे अदा करे और जो बात उसके इख़्तियार की नहीं उस में मअ़ज़ूर व मक़दूर है मसलन एक की ज़्यादा महब्बत है दूसरी की कम यूँही जिमाअ़ सब के साथ बराबर होना भी ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक मरतबा जिमाअ़ क़ज़ाअन वाजिब है और दियानतन यह हुक्म है कि गाहे गाहे करता रहे और उस के लिए कोई हद मुक़र्रर नहीं मगर इतना तो हो कि औरत की नज़र औरों की तरफ़ न उठे और इतनी कसरत (अधिकता) भी जाइज़ नहीं कि औरत को ज़रर पहुँचे और यह उस के जुस्सा और क़ुव्वत के एअ़तिबार से मुख़्तलिफ़ है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– एक ही बीवी है मगर मर्द उस के पास नहीं रहता बल्कि नमाज़, रोज़ा में मशग़ूल रहता है तो औरत शौहर से मुतालबा कर सकती है और उसे हुक्म दिया जायेगा कि औरत के पास भी रोज़ मर्रा तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا रहा कर कि हदीस में फ़रमाया मर्रा शब बेदारी और रोज़ा रखने में उस का हक़ तल्फ़ होता है रहा यह कि उसके पास रहने की क्या मीआ़द है उसके मुतअ़ल्लिक़ एक रिवायत यह है कि चार दिनों में एक दिन उस के लिए और तीन दिन इबादत के लिए और सहीह यह है कि उसे हुक्म दिया जाये कि औरत का भी लिहाज़ रखे उस के लिए भी कुछ वक़्त दे और उस की मिक़दार शौहर के तअ़ल्लुक़ हैं (जौहरा नय्यिरा)

मसअला :– नई और पुरानी कुँवारी और सय्यब तन्दुरुस्त और बीमार हामिला और ग़ैर हामिला और वह नाबालिग़ा जो क़ाबिले वती हो हैज़ व निफ़ास वाली और जिस से ईला या ज़िहार किया हो और जिस को तलाक़े रजई दी और रजअ़त का इरादा हो और एहराम वाली और वह मजनूना जिस से ईज़ा का ख़ौफ़ न हो मुस्लिमा और किताबिया सब बराबर हैं सब की बारियाँ बराबर होंगी यूँही मर्द इन्नीन हो या ख़स्सी मरीज़ हो या तनदुरुस्त बालिग़ हो या नाबालिग़ क़ाबिले वती इस सब का एक हुक्म है(आलमगीरी)

मसअला :– एक ज़ौजा कनीज़ है दूसरी हुर्रा तो आज़ाद के लिए दो दिन और दो रातें और कनीज़ के लिए एक दिन रात और अगर उस औरत के पास जो कनीज़ है एक दिन रात रह चुका था कि आज़ाद हो गई तो हुर्रा के पास चला जाये यूहीं हुर्रा के पास एक दिन रात रहचुका था कनीज़ आज़ाद हो गई तो कनीज़ के पास चलाजाये कि अब उस के यहाँ दो दिन रहने की कोई वजह नहीं जो कनीज़ उस की मिल्क में है उस के लिए बारी नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– बारी में रात का एअ़तिबार है लिहाज़ा एक की रात में दूसरी के यहाँ बिला ज़रूरत नहीं जा सकता दिन में किसी हाजत के लिए जा सकता है और दूसरी बीमार है तो उस के पूछने को रात में भी जासकता है और मर्ज़ शदीद है तो उस के यहाँ रह भी सकता है यानी जब उसके यहाँ कोई ऐसा न हो जिस से उस का जी बहले और तीमार दारी करे एक की बारी में दूसरी से

दिन में भी जिमाअ़ नहीं कर सकता (जौहरा नय्यरा)

मसअ्ला :– रात में काम करता है मसलन पहरा देने पर नौकर है तो बारियाँ दिन की मुक़र्रर करे

मसअ्ला :– एक औरत के यहाँ आफ़ताब के गुरूब के बाद आया दूसरी के यहाँ बादे इशा तो बारी के ख़िलाफ़ हुआ यानी रात का हिस्सा दोनों के पास बराबर सर्फ़ करना चाहिए रहा दिन उस में बराबरी ज़रूरी नहीं एक के पास दिन का ज़्यादा हिस्सा गुज़ारा दूसरी के पास कम तो उस में हर्ज नहीं(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर बीमार हुआ और औरतों के मकानाते सुकूनत के अलावा भी उस का कोई मकान है और उसी घर में है तो एक को उस की बारी पर उस मकान में बुलाये और अगर उन में से किसी के मकान में है तो दूसरी की बारी में उस के मकान पर चला जाये अगर इतनी ताक़त नहीं कि दूसरी के यहाँ जाये तो सेहत के बाद दूसरी के यहाँ इतने ही दिन ठहरे जितने दिन बीमारी में उस के यहाँ था (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह इख़्तियार शौहर को है कि एक एक दिन की बारी मुक़र्रर करे या तीन तीन दिन की बल्कि एक एक हफ़्ता की भी मुक़र्रर कर सकता है और यह भी शौहर ही को इख़्तियार है कि शुरू किस के पास से करे एक हफ़्ता से ज़्यादा न रहे और अगर एक के पास जो मुक़र्रर किया है उस से ज़्यादा रहा तो दूसरी के पास भी उतने ही दिनों रहे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जब सब औरतो की बारियाँ पूरी हो गईं तो कुछ दिनों उन में से किसी के पास न रहने बल्कि किसी कनीज़ के पास रहने या तन्हा रहने का शौहर को इख़्तियार है यानी यह ज़रूर नहीं कि हमेशा किसी न किसी के यहाँ रहे (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक औरत के पास महीने भर रहा और दूसरी के पास न रहा उस ने दअ्वा किया तो आइन्दा के लिए क़ाज़ी हुक्म देगा कि दोनों के पास बराबर रहे और पहले जो एक महीना रह चुका है उस का मुआवज़ा नहीं अगर्चे अ़द्ल न करने से गुनाहगार हुआ और क़ाज़ी के मना करने पर भी न माने तो सज़ा का मुस्तहक़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सफ़र को जाने में बारी नहीं बल्कि शौहर को इख़्तियार है जिसे चाहे अपने साथ ले जाये और बेहतर यह कि क़ुरआ डाले जिस के नाम का क़ुरआ निकले उसे ले जाये और सफ़र से वापसी के बाद और औरतों को यह हक़ नहीं कि उस का मुतालबा करें कि जितने दिन सफ़र में रहा उतने ही दिनों उन बाक़ियों के पास रहे बल्कि अब से बारी मुक़र्रर होगी (जौहरा)सफ़र से मुराद शरई सफ़र है जिस का बयान नमाज़ में गुज़रा उर्फ़ में परदेस में रहने को भी सफ़र कहते हैं यह मुराद नहीं।

मसअ्ला :– औरत को इख़्तियार है अपनी बारी सोत को हिबा कर दे और हिबा करने के बाद वापस लेना चाहे तो वापस ले सकती है (जौहरा वग़ैरा)

मसअ्ला :– दो औरतों से निकाह किया इस शर्त पर कि एक के यहाँ ज़्यादा रहेगा या औरत ने कुछ माल दिया या महर में से कुछ कम कर दिया कि उस के पास ज़्यादा रहे या शौहर ने एक को माल दिया कि वह अपनी बारी सोत को देदे या एक औरत ने दूसरी को माल दिया कि यह अपनी बारी उसे दे दे यह सब सूरतें बातिल हैं और जो माल दिया था है वापस होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वती व बोसा हर क़िस्म के तमत्तोअ़ सब औरतों के साथ एकसा करना मुस्तहब है वाजिब नहीं (फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :– एक मकान में दो या चन्द औरतों को इक्ट्ठा न करे और अगर औरतें एक मकान में रहने पर ख़ुद राज़ी हों तो रह सकती हैं मगर एक के सामने दूसरी से वती न करे अगर ऐसे मोक़ेअ़ पर औरत ने इनकार कर दिया तो नाफ़रमान नहीं क़रार दी जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को जनाबत व हैज़ व निफ़ास के बाद नहाने पर मजबूर कर सकता है मगर किताबिया हो तो जब्र नहीं ख़ुश्बू इस्तिअ़माल करने और मुए ज़ेरे नाफ़ साफ़ करने पर भी मजबूर कर सकता है और जिस चीज़ की बू से उसे नफ़रत है मसलन कच्चा लहसन, प्याज, मूली वग़ैरा खाने, तम्बाकू खाने हुक्का पीने को मनअ़ कर सकता है बल्कि हर मुबाह चीज़ जिस से शौहर मनअ़ करे औरत को उस का मानना वाजिब (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर बनाव सिंगार को कहता है यह नहीं करती या वह अपने पास बुलाता है और यह नहीं आती उस सूरत में शौहर को मारने का भी हक़ है और नमाज़ नहीं पढ़ती तो तलाक़ देनी जाइज़ है अगर्चे महर अदा करने पर क़ादिर न हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को मसअ्ला पूछने की ज़रूरत हो तो अगर शौहर आलिम हो उस से पूछ ले और आलिम नहीं तो उस से कहे वह पूछ आये और इन सूरतों में उसे ख़ुद आलिम के यहाँ जाने की इजाज़त नहीं और यह सूरतें न हों तो जा सकती है (आलमगीरी)

मसअ्ला :–औरत का बाप अपाहिज हो और उस का कोई निगराँ नहीं तो औरत उस की ख़िदमत के लिए जासकती है अगर्चे शौहर मनअ़ करता हो (आलमगीरी)

मियाँ बीवी के हुक़ूक़

आज कल आम शिकायत है कि ज़न व शौहर में ना इत्तिफ़ाक़ी है मर्द को औरत की शिकायत है तो औरत को मर्द की हर एक दूसरे के लिए बलाये जान है और जब इत्तिफ़ाक़ न हो तो ज़िन्दगी तल्ख़ और नताइज निहायत ख़राब आपस की नाइत्तिफ़ाक़ी अलावा दुनिया की ख़राबी के दीन भी बरबाद करने वाली होती है और उस नाइत्तिफ़ाक़ी का असरे बद उन्हीं तक महदूद नहीं रहता बल्कि औलाद पर भी असर पड़ता है औलाद के दिल में न बाप का अदब रहता है न माँ की इज़्ज़त इस नाइत्तिफ़ाक़ी का बड़ा सबब यह है कि तरफ़ैन में हर एक दूसरे के हुक़ूक़ का लिहाज़ नहीं रखते और बाहम रवादारी से काम नहीं लेते मर्द चाहता है कि औरत को बान्दी से बदतर कर के रखे और औरत चाहती है कि मर्द मेरा ग़ुलाम रहे जो मैं चाहूँ वह हो चाहे कुछ हो जाये मगर बात में फ़र्क न आये जब ऐसे ख़ियालाते फ़ासिदा(बुरेख़्यालात) तरफ़ैन में पैदा होंगे तो क्योंकर बन सकेगी दिन रात की लड़ाई और एक के अख़लाक़ व आदात में बुराई और घर की बरबादी उस का नतीजा है क़ुर्आन मजीद में जिस तरह यह हुक्म आया कि اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ जिस से मर्दों की बड़ाई ज़ाहिर होती है उस तरह यह भी फ़रमाया कि जिस का साफ़ यह मतलब है कि औरतों के साथ अच्छी मुआशिरत करो इस मोक़ेअ़ पर हम बाज़ हदीसें ज़िक्र करेंगे जिन से हर एक के हुक़ूक़ की मअ़रिफ़त(पहचान)हासिल हो मगर मर्द को यह देखना चाहिए कि उस के ज़िम्मा औरत के क्या हुक़ूक़ हैं उन्हें अदा करे और औरत शौहर के हुक़ूक़ देखे और पूरे करे यह न हो कि हर एक अपने हुक़ूक़ का मुतालबा करे और दूसरे के हुक़ूक़ से सरोकार न रखे और यही फ़साद की जड़ है और यह बहुत ज़रूरी है कि हर एक दूसरे की बेजा बातों का तहम्मुल करे और अगर किसी मौक़े पर दूसरी तरफ़ से ज़्यादती हो तो आमादा बफ़साद न हो कि ऐसी जगह ज़िद पैदा हो

जाती है और सुलझी हुई बात उलझ जाती है।

हदीस न.1 :– हाकिम ने उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरतों पर सब आदमियों से ज़्यादा हक़ उस के शौहर का है और मर्द पर उस की माँ का

हदीस न.2 ता 5 :– निसाई अबू हुरैरा से और इमाम अहमद मआज़ से और हाकिम बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर मैं किसी शख़्स को किसी मख़लूक़ के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करे इसी की मिस्ल अबू दाऊद और हाकिम की रिवायत क़ैस बिन सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु से है उस में सजदा की वजह भी बयान फ़रमाई कि अल्लाह तआला ने मर्दों का हक़ औरतों के ज़िम्मे कर दिया है।

हदीस न.6 :– इमाम अहमद व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर मैं किसी को हुक्म करता कि ग़ैर ख़ुदा के लिए सजदा करे तो हुक्म देता कि औरत अपने शौहर को सजदा करे क़सम है उस की जिस के क़ब्ज़ा–ए–क़ुदरत में मुहम्मद(सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम)की जान है औरत अपने परवरदिगार का हक़ अदा न करेगी जबतक शौहर के कुल हक़ अदा न करे।

हदीस न.7 :– इमाम अहमद अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर आदमी का आदमी के लिए सजदा करना दुरुस्त होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे कि उस का उस के ज़िम्मे बहुत बड़ा हक़ है क़सम है उस की जिस के क़बज़–ए–क़ुदरत में मेरी जान है अगर क़दम से सर तक शौहर के तमाम जिस्म में ज़ख़्म हों जिन से पीप और कचलहू बहता हो फिर औरत उसे चाटे तो हक़े शौहर अदा न किया।

हदीस न.8 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं शौहर ने औरत को बुलाया उस ने इन्कार कर दिया और ग़ुस्सा में उस ने रात गुज़ारी तो सुबह तक उस औरत पर फ़रिश्ते लअ्नत भेजते रहते हैं और दूसरी रिवायत में है कि जब तक शौहर उस से राज़ी न हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उस औरत से नाराज़ रहता है।

हदीस न.9 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब औरत अपने शौहर को दुनिया में ईज़ा देती है तो हूरें कहती हैं ख़ुदा तुझे क़त्ल करे इसे ईज़ा न दे यह तो तेरे पास मेहमान है अन्क़रीब तुझ से जुदा हो कर हमारे पास आयेगा।

हदीस न.10 :– तबरानी मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरत ईमान का मज़ा न पायेगी जब तक शौहर का हक़ अदा न करे।

हदीस न.11 :– तबरानी मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि फ़रमाया जो औरत ख़ुदा की इताअत करे और शौहर का हक़ अदा करे और उसे नेक काम की याद दिलाये और अपनी असमत और उस के माल में ख़ियानत न करे तो उस के और शहीदों के दरमियान जन्नत में एक दरजा का

फ़र्क़ होगा फिर उस का शौहर बा ईमान नेक ख़ू (नेक आदत) तो जन्नत में वह उस की बीवी है वरना शोहदा में से कोई उस का शौहर होगा।

हदीस न.12 :– अबू दाऊद व तियालसी व इब्ने असाकर इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शौहर का हक़ औरत पर यह है कि अपने नफ़्स को उस से न रोके और सिवा फ़र्ज़ के किसी दिन बग़ैर उस की इजाज़त के रोज़ा न रखे अगर ऐसा किया यानी बग़ैर इजाज़त रोज़ा रख लिया तो गुनाहगार हुई और बिदूने इजाज़त (बिग़ैर इजाज़त) उस का कोई अमल मक़बूल नहीं अगर औरत ने कर लिया तो शौहर को सवाब है और औरत पर गुनाह और बग़ैर इजाज़त उस के घर से न जाये अगर ऐसा किया तो जबतक तोबा न करे अल्लाह और फ़रिश्ते उस पर लअ्नत करते हैं अर्ज़ की गई अगर्चे शौहर ज़ालिम हो फ़रमाया अगर्चे ज़ालिम हो।

हदीस न.13 :– तिबरानी तमीम दारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरत पर शौहर का हक़ यह है कि उसके बिछौने न को छोड़े और उसकी क़सम को सच्चा करे और बग़ैर उसकी इजाज़त के बाहर न जाये और ऐसे शख़्स को मकान में आने न दे जिस का आना शौहर को पसन्द न हो।

हदीस न.14 :– अबू नईम अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाया ऐ औरतों! ख़ुदा से डरो और शौहर की रज़ा मन्दी की तलाश में रहो इस लिए कि औरत को अगर मालूम होता कि शौहर का क्या हक़ है तो जब तक उस के पास खाना हाज़िर रहता यह खड़ी रहती।

हदीस न.15 :– अबू नईम हिल्या में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरत जब पाँचों नमाज़ें पढ़े और माहे रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी इफ़्फ़त की मुहाफ़ज़त करे और शौहर की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो।

हदीस न.16 :– तिर्मिज़ी उम्मुलमोमिनीन उम्मे सल्मा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो औरत उस हाल में मरी कि शौहर राज़ी था वह जन्नत में दाख़िल होगी।

हदीस न.17 :– बैहक़ी शोअ्बुलईमान में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लललाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तीन शख़्स हैं जिनकी नमाज़ क़बूल नहीं होती और उन की कोई नेकी बलन्द नहीं होती 1. भागा हुआ ग़ुलाम जबतक अपने आक़ाओं के पास लौट न आये और अपने को उनके क़ाबू में न दे दे 2. और वह औरत जिस का शौहर उस पर नाराज़ हो 3. नशा वाला जबतक होश में न आये यह चन्द हदीसें हुक़ूक़े शौहर की ज़िक्र की गईं औरतों पर लाज़िम है कि हुक़ूक़े शौहर का तहफ़्फ़ुज़ करें और शौहर को नाराज़ कर के अल्लाह तआला की नाराज़गी का वबाल अपने सर न लें कि उस में दुनिया व आख़िरत दोनों की बरबादी है न दुनिया में चैन न आख़िरत में राहत अब बाज़ वह अहादीस ज़िक्र की जाती हैं कि मर्दों को औरतों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए मर्दों पर ज़रूरी है कि उन का लिहाज़ करे और इन इरशादाते आलिया की पाबन्दी करे।

हदीस न.18 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरतों के बारे में भलाई करने की मैं वसियत फ़रमाता हूँ तुम मेरी इस वसियत को क़बूल करो वह पसली से पैदा की गई और पसलियों में सब से ज़्यादा टेढ़ी ऊपर वाली है अगर तू उसे सीधा करने चले तो तोड़ देगा और अगर वैसी ही रहने दे तो टेढ़ी बाक़ी रहेगी और मुस्लिम शरीफ़ की दूसरी रिवायत में है कि औरत पसली से पैदा की गई वह तेरे लिए कभी सीधी नहीं हो सकती अगर तू उसे बरतना चाहे तो इसी हालत में बरत सकता है और सीधा करना चाहेगा तो तोड़देगा और तोड़ना तलाक़ देना है।

हदीस न.19 :– सहीह मुस्लिम में उन्हीं से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमान मर्द मोमिना को मबगूज़ न रखे अगर उस की एक आदत बुरी मालूम होती है दूसरी पसन्द होगी यानी तमाम आदतें ख़राब नहीं होंगी जबकि अच्छी बुरी हर किस्म की बातें होंगी तो मर्द को यह न चाहिए कि ख़राब ही आदत को देखता रहे बल्कि बुरी आदत से चश्म पोशी करे और अच्छी आदत की तरफ़ नज़र करे।

हदीस न.20 :– हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में अच्छे वह लोग हैं जो औरतों से अच्छी तरह पेश आयें।

हदीस न.21 :– सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्ने ज़ोमआ रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई शख़्स अपनी औरत को न मारे जैसे ग़ुलाम को मारता है फिर दूसरे वक़्त उस से मुजामअत करेगा दूसरी रिवायत में है कि औरत को ग़ुलाम की तरह मारने का क़स्द करता है (यानी ऐसा न करे) कि शायद दूसरे वक़्त उसे अपना हम ख़्वाब करे यानी ज़ौजियत के तअल्लुक़ात इस क़िस्म के हैं कि हर एक को दूसरे की हाजत और बाहम ऐसे मरासिम कि उनको छोड़ना दुश्वार लिहाज़ा जो इन बातों का ख़्याल करेगा मारने का हरगिज़ क़स्द न करेगा।

शादी के रुसूम

शादियों में तरह तरह की रसमें बरती जाती हैं हर एक मुल्क में नये नये रुसूम हर क़ौम व ख़ानदान के रिवाज और तरीक़े जुदागाना जो रस्में हमारे मुल्क में जारी हैं उन में बाज़ का ज़िक्र किया जाता है रुसूम की बिना उर्फ़ पर है यह कोई नहीं समझता कि शरअन वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब है लिहाज़ा जब तक किसी रस्म की मुमानअत शरीअत से साबित न हो उस वक़्त तक उसे हराम व नाजाइज़ नहीं कह सकते खींच तानकर ममनूअ क़रार देना ज़्यादती है मगर यह ज़रूर है कि रुसूम की पाबन्दी उसी हद तक कर सकता है कि किसी फ़ेले हराम में मुब्तला न हो बाज़ लोग इस क़द्र पाबन्दी करते हैं कि नाजाइज़ फ़ेल करना पड़े तो पड़े मगर रस्म का छोड़ना गवारा नहीं मसलन लड़की जवान है और रुसूम अदा करने को रुपया नहीं तो यह न होगा कि रुसूम छोड़ दें और निकाह कर दें कि सुबुकदोश हो और फ़ितना का दरवाज़ा बन्द हो अब रुसूम के पूरा करने को भीक माँगते तरह तरह की फ़िकरें करते इस ख़्याल में कि कहीं से माल मिल जाये तो शादी करें बरसें गुज़ार देते हैं और बहुत सी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं बाज़ लोग क़र्ज़ लेकर रुसूम को अन्जाम देते हैं यह ज़ाहिर कि मुफ़्लिस को क़र्ज़ दे कौन फिर जब यूँ क़र्ज़ न मिला तो बनियों के पास गये और सूदी क़र्ज़ की नोबत आई सूद लेना जिस तरह हराम उसी तरह देना भी हराम

हदीस में दोनों पर लअनत आई अल्लाह व रसूल की लअनत के मुस्तहक़ होते हैं और शरीअत की मुख़ालफ़त करते हैं मगर रस्म छोड़ना गवारा नहीं करते फिर अगर बाप दादा की कमाई हुई कुछ जायदाद है तो उसे सूदी क़र्ज़ में मकफ़ूल किया वरना रहने का झोंपड़ा ही गिरवी रखा थोड़े दिनों में सूद का सैलाब सब को बहा ले गया जायदाद नीलाम हो गई मकान बनिये के क़ब्ज़े मे गया दर बदर मारे मारे फिरते हैं न खाने का ठिकाना न रहने की जगह उसकी मिसालें हर जगह बकसरत मिलेंगी कि ऐसे ही ग़ैर ज़रूरी मसारिफ़ की वजह से मुसलमानों की बेश्तर जाइदादें सूद की नज़र हो गयीं फिर क़र्ज़ ख़्वाह के तक़ाज़े और उसके तशद्दुद आमेज़ लहजा से रही सही इज़्ज़त पर भी पानी पड़जाता है यह सारी तबाही, बरबादी, आँखों देख रहे हैं मगर अब भी इबरत नहीं होती और मुसलमान अपनी फ़ुज़ूल ख़र्चियों से बाज नहीं आते यही नहीं कि उसी पर बस हो उस की ख़राबियाँ इसी ज़िन्दगी दुनिया ही तक महदूद हों बल्कि आख़िरत का वबाल अलग है बमूजिब हदीसे सहीह लअनत का इस्तिहक़ाक़ वलअयाज़ुबिल्लाहे तआला अकसर जाहिलों में रिवाज है कि महल्ले या रिश्ते की औरतें जमअ होती हैं और गाती बजाती हैं यह हराम है अव्वलन ढोल बजाना ही हराम फिर औरतों का गाना मज़ीद बरआँ औरत की आवाज़ ना महरमों को पहुँचना और वह भी गाने की और वह भी इश्क़ व हिज्र व विसाल के अशआर या गीत जो औरतें अपने घरों में चिल्ला कर बात करना पसन्द नहीं करतीं घर से बाहर आवाज़ जाने को मअयूब जानती हैं ऐसे मौक़ों पर वह भी शरीक हो जाती हैं गोया उन के नज़्दीक गाना कोई ऐब ही नहीं कितनी ही दूर तक आवाज़ जाये कोई हर्ज नहीं नीज़ ऐसे गाने में जवान जवान कुँवारी लडकियाँ भी होती हैं उन का ऐसे अशआर पढ़ना या सुनना किस हद तक उनके दबे हुए जोश को उभारेगा और कैसे कैसे वलवले पैदा करेगा और अख़लाक़ व आदात पर उसका कहाँ तक असर पढ़ेगा यह बातें ऐसी नहीं जिन के समझाने की ज़रूरत हो सुबूत पेश करने की हाजत हो नीज़ इसी ज़िम्न में रत जगा भी है कि रात भर गाती हैं और गुलगुले पकते हैं सुबह को मस्जिद में ताक़ भरने जाती हैं यह बहुत सी खुराफ़ात पर मुश्तमिल है नियाज़ घर में भी हो सकती है और अगर मस्जिद ही में हो तो मर्द ले जा सकते हैं औरतों की क्या ज़रूरत फिर अगर इस रस्म की अदा के लिए औरत ही होना ज़रूर हो तो उस जगह जमगठे की क्या हाजत फिर जवानों और कुँवारियों की उसमें शिरकत और ना महरम के सामने जाने की जुरअत किस क़द्र हिमाक़त है फिर बाज़ जगह यह भी देखा गया कि इस रस्म के अदा करने के लिए चलती हैं तो वही गाना बजाना साथ होता है उसी शान से मस्जिद तक पहुँचती हैं हाथ में एक चोमुक होता है यह सब नाजाइज़ जब सुबह होगई चिराग़ की क्या ज़रूरत और अगर चिराग़ की हाजत है तो मिट्टी का काफ़ी है आटे का चिराग़ बनाना और तेल की जगह घी जलाना फ़ुज़ूल ख़र्ची है दूल्हा दुल्हन को उब्टन लगाना माईयों बिठाना जाइज़ है उन में कोई हर्ज नहीं दूल्हा को मेहदी लगाना नाजाइज़ है यूँही कंगना बाँधना, दाल बरी की रस्म कि कपड़े वग़ैरा भेजे जाते हैं जाइज़, दूल्हा को रेश्मी कपड़े पहनाना हराम यूँही मिग़रक़ जूते भी नाजाइज़ और ख़ालिस फूलों का सेहरा जाइज़ बिला वजह ममनूअ नहीं कहा जा सकता। नाच, बाजे, आतिशबाज़ी, हराम हैं कौन उनकी हुरमत से वाक़िफ़ नहीं मगर बाज़ लोग ऐसे मुनहमिक होते हैं कि यह न हो तो गोया शादी ही न हुई बल्कि बाज़ तो इतने बेबाक होते हैं कि अगर शादी में यह मुहर्रमात न हों तो उसे ग़मी और जनाज़ा से तअबीर करते हैं यह ख़्याल नहीं करते कि एक तो गुनाह और शरीअत

की मुख़ालफ़त है दूसरे माल ज़ाइअ् करना है तीसरे तमाम तमाशाईयों के गुनाह का यही सबब है और सब के मजमुआ के बराबर उस पर गुनाह का बोझ आतिशबाज़ी में कभी कपड़े जलते कभी किसी के मकान या छप्पर में आग लगजाती है कोई जल जाता है नाच में जिन फ़वाहिश व बदकारियों और मुखरिबे अख़लाक(अख़लाक़ ख़राब करने वली) बातों का इजतिमाअ् है उन के बयान की हाजत नहीं ऐसी ही मज्लिसों से अकसर नौजवान आवारा हो जाते हैं धन दौलत बरबाद कर बैठतें हैं बाज़ारियों से तअल्लुक़ और घर वाली से नफ़रत पैदा हो जाती है कैसे बुरे बुरे नताइज रुनुमा होते हैं और अगर इन बेहूदा कारियों से कोई महफ़ूज़ रहा तो इतना ज़रूर होता है कि हया व ग़ैरत उठा कर ताक़ पर रख देता है बाज़ों को यहाँ तक सुना गया है कि खुद भी देखते हैं और साथ साथ जवान बेटों को दिखाते हैं ऐसी बद तहज़ीबी के मजमेअ् में बाप बेटे का साथ होना कहाँ तक हया व ग़ैरत का पता देता है शादी में नाच बाजे का होना बाज़ के नज़दीक इतना ज़रूरी अम्र है कि निस्बत के वक़्त तै कर लेते हैं कि नाच लाना होगा वरना हम शादी न करेंगे लड़की वाला यह नही ख़्याल करता कि बेजा सर्फ़ न हो तो उसी की औलाद के काम आयेगा एक वक़्ती खुशी में यह सब कुछ कर लिया मगर यह न समझा कि लड़की जहाँ बियाह कर गई वहाँ तो अब उस के बैठने का भी ठिकाना न रहा एक मकान था वह भी सूद में गया अब तकलीफ़ हुई तो मियाँ बीवी में लड़ाई ठनी और उस का सिलसिला दराज़ हुआ तो अच्छी ख़ासी जंग क़ाइम हो गई यह शादी हुई या एअ्लाने जंग हम ने माना कि यह खुशी का मौक़ा है और मुद्दत की आरज़ू के बाद यह दिन देखने नसीब हुए बेशक ख़ुशी करो मगर हद से गुज़रना और हुदूदे शरअ् से बाहर हो जाना किसी आक़िल का काम नहीं वलीमा सुन्नत है ब नियत इत्तिबाअ्–ए–रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलीमा करो ख़ेश व अक़ारिब और दूसरे मुसलमानों को खाना खिलाओ बिलजुमला मुसलमान पर लाज़िम है कि अपने हर काम को शरीअत के मुवाफ़िक़ करे अल्लाह व रसूल की मुख़ालफ़त से बचे उसी में दीन व दुनिया की भलाई है।

وَ هُوَ حَسْبِیْ وَ نِعْمَ الْوَكِیْلُ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَیْهِ التُّكْلَانُ

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

सितम्बर 2010 ई.

बहारे शरीअ़त

आठवाँ हिस़्सा

मुस़न्निफ़

सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारूल इशाअ़त

मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53

Mob:–9312106346

Scanned by CamScanner